खण्ड-264, अंक-8
मंगलवार, 24 फाल्गुन, शक संवत् 1887
(15 मार्च, 1966 ई0)

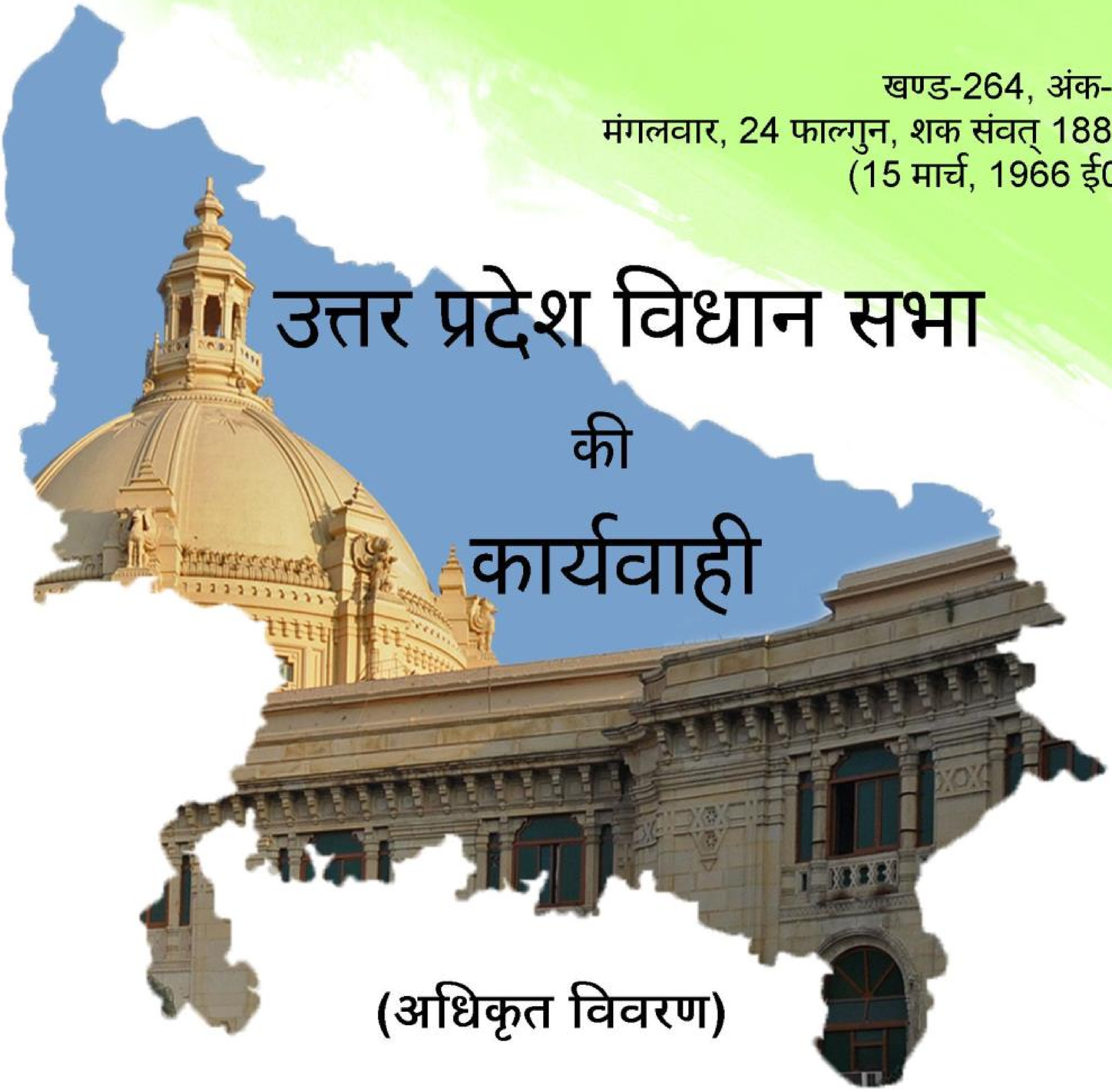

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 264 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६६

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

AUG 1967
UTTAR PRADESH

मंगलवार, १५ मार्च, १९६६

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदन मोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—३३९

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनीसुर्रहमान , श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब, खां चौधरी
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशप्रताप, राजा
अवेद्यनाथ, श्री
अशरफ अली खां, श्री
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासनसिंह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उल्फतसिंह यादव, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
कंधईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलारानी मिश्र, श्रीमती
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
(उपनाम छुनन्न गुरु)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
काशीप्रसाद त्रिवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा बेगम, श्रीमती
कुमार करुणा कृष्ण नायर, श्री
कृष्णचन्द, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णा, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशभान, श्री
केशरी प्रसाद पाण्डेय, श्री
केशवगुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठ णी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री

गिरधारीलाल, श्री (बिजनौर)
गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)
गिरवरप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी श्रीमती
गोकुलप्रसाद, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रबलीसिंह, श्री
चुन्नीलाल, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
जगदम्बाप्रसाद, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशप्रसाद पाण्डेय, श्री
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयगोपाल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, काजी
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम बक्कन)
जुगलकिशोर, आचार्य
जुगलकिशोर, श्री
जे० ए० अहमद, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखण्डेराय, श्री
झिलमिटराम, श्री
टम्बेश्वरप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजनारायण त्रिवेदी, श्री
तेजसिंह, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दशरथप्रसाद, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयाल करबरिया, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवीदत्त, श्री
देशराजसिंह, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारकाप्रसाद पाण्डेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरसिंहनारायण पाण्डेय, श्री
नरेन्द्रसिंह त्रिष्ट, श्री
नवरंगसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पाण्डेय, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
पंचमदास, श्री
परमाईलाल, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पितईराम, श्री
पुरुषोत्तमलाल बुधवार, श्री (राजाजी)
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री
फूलसिंह, श्री
बंशीधर पाण्डेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनारसीदास, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री

बलवीरसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बसन्तसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजराजसिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेदराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास बरनवाल, श्री
भगवानदास यादवेन्दु, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवानसहाय, श्री
भगौतीदीन, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
मंगल, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मन्नालाल, श्री
महरामसिंह, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुजफ्फरहसन, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुमताज मुहम्मद खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मेघनाथसिंह शिशोदिया, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मैनेजरसिंह, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल अहिरवार, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशपालसिंह वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त, श्री
यादवेन्द्रसिंह, श्री (लल्लन जी)
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ा, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसहाय कैथवार, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण मिश्र, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रसिंह, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामअधार कनौजिया, श्री
रामअधीनसिंह, श्री
रामअनन्त पाण्डेय, श्री
रामअवध, श्री
रामआसरे वर्मा, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरण शाह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री

रामभजन, श्री
रामभूति 'अंचल', श्री
रामरती, श्रीमती
रामरूपसिंह, श्री
रामलखन वकील, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री, (बेलपरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पाण्डेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामायणराय, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
विक्रमशाह, राजा
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पाण्डेय, 'प्रणव' श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
विष्णुप्रताप सिंह, श्री
वीरसेन, श्री
बैजनाथ पाण्डेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषण सिंह, श्री
शान्तिचन्द्र शुक्ल, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शिब्बनलाल सक्सेना, श्री
शिवचरण, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवसम्पति शर्मा, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द्र शर्मा, श्री
शौकत हमीद खां, श्री
श्यामलाल, श्री
श्रद्धादेवी, कुमारी
श्रीपत मिश्र, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यदेव, श्री
सत्यनारायण पाण्डेय श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सालिग्राम जैसवाल, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल श्री, (लखनऊ)
सुचेता कृपालानी, श्रीमती
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सूबेदारसिंह, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी एडवोकेट, श्री
हरीदत्त कण्डपाल, श्री
हरीसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेतरामसिंह, श्री
हेमराज, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
हीरालाल अग्रवाल, श्री
हीरालाल यादव, श्री

नोट:--गृह मंत्री, श्री हरगोविन्दसिंह, वित्त मंत्री, श्री कैलाशप्रकाश तथा शिक्षा उपमंत्री,

प्रश्नों के सम्बन्ध में आपत्ति

श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)—

श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैं आपका ध्यान नत्थी 'क' की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मैंने जो प्रश्न किया था वह अल्पसूचित तारांकित प्रश्न था वह अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न था। लेकिन उसे तारांकित प्रश्न के रूप में परिवर्तित किया गया। इसका किसानों और कृषि उत्पादन से सीधा संबंध है और इसका अपने अन्न की आत्मनिर्भरता पर बड़ा असर पड़ता है। इसलिये मैं आप से प्रार्थना करता हूं कि इसके स्थगन का कारण बतलाया जाय।

श्री अध्यक्ष—

मैंने पहले भी कई बार निवेदन किया है कि प्रश्नों का स्थगन तो फाइल देखकर ही बतलाया जा सकता है कि क्यों हुआ। आप कृपा कर मेरे कक्ष में आ जायं तो कारण बतलाया जा सकता है।

श्री दया राम शाक्य (जिला फर्रुखाबाद)—

मेरा निवेदन है कि जिस समय सरकार चाहती है प्रश्नों को स्थगित करा लेती है। उसके महत्व को आप को ध्यान में रखना चाहिये और तब स्थगन की अनुमति प्रदान करनी चाहिये अन्यथा इससे बड़ी परेशानी हो जाती है।

श्री मुमताज मुहम्मद खां—

इसमें जो प्रतिबन्ध है उसके कारण सरकार को अवश्य ही ज्ञात होंगे, लेकिन फिर भी इसको स्थगित किया जा रहा है। उसका कारण हम लोगों को मालूम होना चाहिये।

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, १५ मार्च, १९६६

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३० (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न

*१-२—श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)—

[७वें मंगलवार के लिये स्थगित किये गये।]

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३९ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

*१—श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर स्थगित किया गया।]

स्याना क्षेत्र से नलकूप लगाने की प्रार्थना

*२—श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि ग्राम योजना झांथा (विधान सभा क्षेत्र स्याना जिला बुलन्दशहर) के किसानों के अनेक प्रार्थना-पत्र उक्त गांव में नलकूप लगाने के लिये अधिशासी अभियन्ता नलकूप डिवीजन बुलन्दशहर को सन् १९६५ में बार-बार मिले हैं? यदि हां, तो नलकूप लगाने के लिये उक्त क्षेत्र में कब सर्वेक्षण किया गया?

[श्री मुमताज मुहम्मद खां]

*३—क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र स्याना जिला बुलन्दशहर, ग्राम मूंड़ी बकापुर में जहां १,५०० एकड़ भूमि खाली है सरकारी ट्यूबवेल लगाने के एक प्रस्ताव को मुख्य अभियन्ता सिंचाई ने सन् १९६५ में केवल इस आधार पर अस्वीकृत कर दिया कि वहां ट्यूबवेल के निर्माण पर साधारण लागत से दस हजार रुपये अधिक लागत का अनुमान है ?

*४—क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि नलकूप डिवीजन बुलन्दशहर ने सन् १९६४ में मुख्य अभियन्ता से यह अनुरोध किया था कि ग्राम मूंड़ी बकापुर (स्याना, बुलन्दशहर) में नलकूप बनाया जाय ?

विद्युत उप मंत्री (श्री शांति प्रसन्न शर्मा)—

सूचना एकत्रित नहीं हो पाई है ।

श्री मुमताज मुहम्मद खां—

मान्यवर, यह प्रश्न भिन्न है और इस संबंध में मैं जानना चाहता हूं कि वहां के किसानों ने जो प्रार्थना-पत्र अधिशासी अभियन्ता को दिया था उस संबंध में लखावटी में जो अमीन मुकर्रर है उसने १७ सितम्बर, और २० सितम्बर, १९६५ को जांच की थी और जो रिपोर्ट उसने भेजी थी वह केवल इस कारण फाड़ दी गयी कि बाद में जो प्रश्न मैंने किया उसके जवाब उन्होंने गलत दे दिये थे । क्या मंत्री जी इसकी जांच करायेंगे ?

श्री शान्तिप्रसन्न शर्मा—

मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूं । आप सदस्य हैं । आप की बड़ी इज्जत है मेरे दिल में । अगर आप कहेंगे अथवा लिखकर देंगे तो आश्वासन न देने के बाद भी मैं जांच करा लूंगा ।

श्री अध्यक्ष—

जिस समय उस प्रश्न का जवाब आयेगा उस समय आप इस प्रकार का प्रश्न कर सकते हैं और उनसे जांच का आश्वासन ले सकते हैं । यह उसी समय हो सकता है ।

श्री मुमताज मुहम्मद खां—

सन् १९६५ में सिंचाई मंत्री ने स्वयं मुझे मूंड़ी बकापुर में एक राजकीय नलकूप के संबंध में बुलाया था और मुझे आश्वासन दिया था कि इस नलकूप का निर्माण होगा, किन्तु मुझे खेद है चीफ इंजीनियर ने वहां राजकीय नलकूप लगाने का विरोध कर दिया.....

श्री अध्यक्ष—

यह सवाल तो उस वक्त भी हो सकता है जब जवाब आयेगा ।

फियट गाड़ी का परमिट

*५—श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट (जिला फैजाबाद) (अनुपस्थित), श्री बालोजी अग्रवाल (जिला आगरा), (अनुपस्थित) श्री भगवान दास यादवेन्दु (जिला आगरा) (अनुपस्थित), श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी), श्री ब्रह्म दत्त मायर (जिला सहारनपुर) तथा श्री मुन्नू सिंह (जिला बहराइच)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि फियेट गाड़ी का परमिट १ अगस्त, १९६४ से ३१ अक्तूबर, १९६५ तक किन-किन व्यक्तियों को दिया गया है तथा उन व्यक्तियों के प्रार्थना-पत्र आने की तारीखें क्या थीं ।

खाद्य मंत्री के सभा सचिव (श्री हरीदत्त कान्डपाल)—

सूची संलग्न है ।

(देखिये नत्थी "क" आगे पृष्ठ ६८८–६८९ पर)

श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अभी इन नामों के अलावा कितने प्रार्थना-पत्र ऐसे हैं जिनको कि अभी तक परमिट नहीं दिये गये हैं और वह इन नामों के पहले की अप्लीकेशंस हैं ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

हमारे यहां ३०० रेकार्डेड हैं, और भी शायद हों।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जिन लोगों को फियट गाड़ी के परिमट दिये गये उनमें विधायकों को प्राथमिकता दी गयी ? यदि दी गयी तो कितने विधायकों को प्राथमिकता के आधार पर परमिट दिये गये और कितनों को नहीं दिये गये ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

यह कोटा विधायकों के लिए नहीं है, बल्कि गवर्नमेंट के डिस्क्रिशन पर गवर्नमेंट आफ इंडिया ने रख छोड़ा है पब्लिक यूटिलिटी परपज के लिए, और गवर्नमेंट को डिस्क्रिशन है कि वह निश्चय करे। जो लिस्ट मेरे पास है उसमें बहुत काफी एम० एल० एज० हैं।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

मेरे प्रश्न का उत्तर स्पष्ट नहीं है। कितने लोग हैं ? कौन-कौन हैं ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

श्री चतुर्भुज शर्मा, बेगम ऐजाज रसूल, अशरफ अली खां, भानुप्रताप सिंह, श्रीमती रानी टण्डन, श्रीमती चम्पावती, सुरेन्द्र विक्रम सिंह, राजेन्द्रपाल सिंह, रामलखन, श्रीमती सोनी सहाय.....

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि कांग्रेसी सदस्यों को छोड़कर इधर के बैठने वाले कितने सदस्य हैं जिन्हें ये परमिट दिये गये ? क्या उनके प्रार्थना-पत्र कांग्रेस की सदस्यता के लिए आ चुके हैं ?

श्री अध्यक्ष—

मायर जी, वह तो इसी लिस्ट से मालूम हो जायगा।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

यह लालच दिया जा रहा है।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—

मंत्री जी ने अभी सोनी सहाय का नाम पढ़ दिया, उनके पति तो ऐक्टिव सर्विस में हैं, यहां हैं भी नहीं। तो प्रश्न मेरा यह है कि क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिन लोगों के पास पहले से ही गाड़ियां मौजूद थीं और नये माडेल की गाड़ियां थीं, उनको फीयट के परमिट देने की क्या जरूरत पड़ी, उनको क्यों परमिट दिये गये ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि उनके पास गाड़ियां थीं या नहीं।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

फीयट गाड़ी के परमिट जिन लोगों को दिये जाते हैं उनको यह आश्वासन देना पड़ता है कि २ साल तक वे उस गाड़ी को नहीं बेचेंगे। मेरी सूचना यह है कि जिन माननीय सदस्यों को सरकार ने इस गाड़ी के परमिट दिये उनमें से अधिकांश ने तुरन्त उस गाड़ी को ब्लेक में बेंच दिया। तो क्या सरकार इसकी जांच करायेगी ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

ऐसी मेरे पास कोई सूचना नहीं है कि उन्होंने बेंच दी।

श्री काशीनाथ मिश्र—

मैंने पूछा है कि आप इसकी जांच करायेंगे।

श्री अध्यक्ष—

फिर पूछ लीजियेगा।

श्री मुकुटबिहारीलाल (जिला बाराबंकी)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उसके डिस्पोजल पर साल भर में कितनी गाड़ियां रहती हैं जिनका कि वह परमिट देती हैं ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

अध्यक्ष महोदय, सन् ६५ के पहले तक तो यह नियम था कि वह मिनिमम ५ गाड़ियां और इससे ज्यादा जितनी हो सकें उतनी हमको साल भर में दिया करते थे। उसके बाद केन्द्रीय सरकार ने यह कोटा निश्चित इस तरह कर दिया है कि जितनी गाड़ियां मैनुफैक्चर होंगी उसका १० परसेंट हमारे डिस्पोजल पर रहेंगी।

श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी)—

जिन विधायकों को गाड़ियां दी गयीं उनमें से कितने लोग कांग्रेस पक्ष के थे और कितने विरोधी पक्ष के तथा जिन विधायकों ने इसके लिये प्रार्थना-पत्र दिये उनमें उनका प्रतिशत क्या था ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

श्रीमन्, जब गाड़ियां दी जाती हैं तो उसमें किसी पार्टी का कोई लिहाज नहीं रखा जाता।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—

अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अभी उत्तर दिया कि जितनी बनती हैं उसकी १० परसेंट गाड़ियां उनके डिस्पोजल पर रहती हैं। तो मैनुफैक्चर जितनी होती हैं उसका अगर १० परसेंट देखा जाय तब तो यह हजारों गाड़ियां हो जायेंगी, मैं समझता हूं यह फिगर्स उन्होंने गलत दी है, सही उत्तर दिलवा दिया जाय ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

श्रीमन्, यह है कि कम से कम क्वार्टर में दस गाड़ियां मिलेंगी। जो टोटल मैनुफैक्चर होंगी उसका पांच परसेंट।

कुंवर श्रीपालसिंह—

क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस कोटे का अलाटमेंट मुख्य मंत्री करती हैं या परिवहन मंत्री करते हैं या किसी और के द्वारा किया जाता है ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

यह कार्य मुख्य मंत्री करती हैं।

श्री विजयसिंह (जिला जालौन)—

क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९६२ की जिन विधायकों की दरख्वास्तें पड़ी हैं उनको गाड़ियां न देकर कुछ और लोगों को नई गाड़ियां दे दी गई हैं। तो ये गाड़ियां उनको किस आधार पर दे दी गई हैं और ६२ वाली दरख्वास्तें कन्सीडर क्यों नहीं की गई हैं?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

गाड़ियां देने का आधार मैंने बताया। यह कोई क्राईटेरियन नहीं होता कि जिसकी दरख्वास्त पहिले आई हो उनको गाड़ी दे दी जाय। जनहित की दृष्टि से जिनको पहिले दिया जाना उचित समझा जाता है उनको गाड़ी दी जाती हैं।

श्री काशीनाथ मिश्र—

श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। जब इन गाड़ियों का अलाटमेंट स्वयं मुख्य मंत्री करती हैं तो माननीय मंत्री जी इसका उत्तर किस आधार पर देंगे कि ये गाड़ियां किन आधार पर दी जाती हैं। इसका उत्तर तो माननीया मुख्य मंत्री को देना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

यह जवाब तो सरकार से आ रहा है।

श्री झारखण्डेराय (जिला आजमगढ़)—

मान्यवर, इस बात को देखते हुए कि देश में गाड़ियों की कमी है और लड़ाई के बाद और कमी हो गई है। तो जब सरकार का कोटा इतना कम है और चाहने वाले ज्यादा हैं और लोग प्रार्थना-पत्र देत ह। बहुतों को मिलती है और बहुतों को नहीं मिलती है। मान्यवर मंत्री जी बता रहे हैं कि वह गाड़ी का दिया जाना इस बात को देखते हुए तय होता है कि किसको कितनी जरूरत है और किसको नहीं है। तो यह कि किसको कितनी जरूरत है इस बात का मैजरिंग राड क्या है?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

यह तो अध्यक्ष महोदय साधारण बात है। यह तो मुख्य मंत्री के विवेक पर निर्भर करता है।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि फीयट गाड़ी की जो ऐक्च्वल प्राइस है उससे मार्केट प्राइस आठ हजार रुपया ज्यादा है? उसका आठ हजार रुपया ब्लैक में हर समय मिल सकता है एक साल के अन्दर। इस चीज को देखते हुए क्या सरकार जांच के लिये तैयार है कि उन्होंने दो साल के अन्दर ही गाड़ियां बेंच दीं और वे गाड़ियां उनके पास नहीं हैं। अगर यह सही है तो क्या सरकार उनके खिलाफ कार्यवाही करेगी?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

अध्यक्ष महोदय, इस तरह से जेनरेलाइज करने से कोई काम नहीं चलेगा। किसी पार्टीकुलर केस का हवाला देंगे तो जांच करा लेंगे।

श्री जगन्नाथ राव (जिला जौनपुर)—

श्रीमन् जिस आधार पर माननीय मुख्य मंत्री देती हैं उसमें इस बात का भी ध्यान रक्खा गया है कि नेता विरोधी दल ने जो एप्लीकेशन्स इस सम्बन्ध में आपको दी थीं पार्टी के संगठन के लिये और उनके दौरों के लिये, तो क्या सरकार उनकी आवश्यकताओं को देखते हुए इस बात पर विचार करेगी कि उनको देना चाहिये या नहीं?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

परमिट देने में पब्लिक हित का ध्यान रखा जाता है।

श्री बैजनाथसिंह वैद्य (जिला सुल्तानपुर)—

क्या माननीय मंत्री जी ने बेंचने का समय २ साल से ५ साल करने तथा खरीदने वालों से कोई ऐसा स्टेटमेंट लेने पर विचार करने की कृपा करेंगे?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

सोचना होगा कि कहां तक फीजिबिल है।

श्री जगदम्बाप्रसाद (जिला फैजाबाद)—

कितने प्रार्थना-पत्र विधायकों के और कितने सरकारी अधिकारियों के आये और इनमें से कितनी-कितनी परमिट दी गई ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

सूचना की आवश्यकता है।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)—

क्या मंत्री जी को मालूम है कि नेता विरोधी दल के लिये मुख्य मंत्री जी ने आज से लगभग १ महीना पूर्व विभाग को आदेश दिया था कि इनको परमिट दे दिया जाय ?

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

उन्होंने लिख दिया है कि नहीं चाहिये।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

जो ३०० आवेदन-पत्र विचाराधीन हैं उनमें से उन विधायकों को प्रायोरिटी देने की कृपा करेंगे जिनके आवेदन-पत्र पहले के हैं ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

यह तो मुख्य मंत्री जी का डिस्क्रीशन है।

श्री रामायणराय—

क्या यह सही है कि परमिट देने में दल का विचार नहीं किया जाता है और विरोध में बैठने वालों को भी अनेकानेक परमिट दिये गये हैं और माननीय नेता विरोधी दल को भी परमिट देने का मुख्य मंत्री जी ने आदेश दिया है ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

इसकी सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री कन्हैयालाल (जिला मथुरा)—

क्या यह सही है कि सरकार के किसी सदस्य ने प्रार्थना-पत्र दिया और उन्हें अभी तक गाड़ी नहीं मिली है ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

सूचना चाहिये।

श्री झारखण्डेराय—

क्या इस पब्लिक ओपीनियन की जानकारी मंत्री जी को है कि परमिट देने में पोलीटिकल विरोध के लोगों को खरीदने की चेष्टा की जा रही है ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

नहीं है।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)—

विरोधी दलों में जो गरीब पार्टियों के नेता हैं, क्या सरकार उन्हें मुफ्त गाड़ी देने की व्यवस्था करने की कृपा करेगी ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री टम्बेश्वरप्रसाद--

क्या मंत्री जी उनके विरुद्ध जांच करावेंगे जिन्होंने परमिट से गाड़ी लेकर वास्तविक मूल्य से अधिक में बेंच दी हैं ?

श्री हरीदत्त कांडपाल--

अगर कोई विशेष नाम बतावें तो जांच हो सकती है।

राज्य विद्युत् परिषद् में हरिजन कर्मचारी

*६--श्री रघुवीरराम (जिला गाजीपुर)--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् ने ऐसा कोई प्रस्ताव पारित कर रखा है जिससे हरिजनों को वहां की सेवाओं में १८ प्रतिशत संरक्षण प्रदान नहीं किया जायेगा ?

*७--क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य विद्युत् परिषद् के आडिट आफिस में अब तक १८ प्रतिशत संरक्षण के हिसाब से आडिटर और एकाउन्टेंट के स्थान पर कितने हरिजन लिये गये ? अगर नहीं, तो क्यों ?

*८--क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य विद्युत् परिषद् में अब तक १८ प्रतिशत संरक्षण के हिसाब से उत्तर प्रदेश में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के स्थान पर कितने हरिजन लिये गये हैं ? अगर नहीं, तो क्यों ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--

सूचना एकत्रित की जा रही है।

श्री रघुवीरराम--

विद्युत् परिषद् का कार्यालय लखनऊ में ही है, क्या मंत्री जल्दी से सूचना मंगा कर सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

सवाल विस्तृत होने से देर हो गई। हम स्वयं कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी जवाब आ जाय।

देहरादून में श्रीमती राजेश्वरीदेवी को बस परमिट

*९--श्री ब्रह्मदत्त मायर--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बस नं० यू० एस० बी० २६८२, जिसका परमिट नं० पी० एस० ई० पी० २ जो बुलन्दशहर-मेरठ रूट पर चल रही है और बस नं० यू० एस० बी० २२३४, जिसका परमिट नं० पी० एस० टी० पी० ९६९-१९२ (देहरादून) जो सहारनपुर-शाकुन्तलादेवी रूट पर चल रही है, किसके नाम से है ?

श्री हरीदत्त कांडपाल--

दोनों परमिट श्रीमती राजेश्वरी देवी, बेवा श्री परशुराम, ६ रेस्ट कैम्प, त्यागी रोड, देहरादून के नाम हैं।

*१०--श्री ब्रह्मदत्त मायर--

क्या सरकार को जानकारी है कि ऊपर कहे बसों के दोनों परमिटों को अदलाबदली में दूसरे परमिट जारी किये गये हैं जिनमें एक का न० ५४५, बस नं० यू० पी० एस० ८७६५ है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस सारे मामले की जांच करायेगी कि किस प्रकार परमिट झगड़े में होते हुए भी बदले गये ?

श्री हरीदत्त कांडपाल--

परमिट के अदलाबदली या परमिट जारी करने का कार्य रीजिनल ट्रांस्पोर्ट अथारिटी द्वारा होता है जो एक अर्ध न्यायिक निकाय है। इसके कार्य में सरकार द्वारा कोई हस्तक्षेप सम्भव नहीं है। रीजिनल ट्रांसपोर्ट अथारिटी के फैसले के सम्बन्ध में कानूनी चाराजोई रीजिनल ट्रांसपोर्ट अथारिटी व स्टेट ट्रांसपोर्ट अथारिटी में हो सकती है।

श्री ब्रह्मदत्त मायर--

क्या माननीय मंत्री जी को यह ज्ञात है कि ओरीजनल परिमट पंडित परशुराम के नाम थे जो उनकी लड़की ने सिविल सूट में अदालत में दाखिल कर दिये थे। लेकिन ट्रान्सपोर्ट आथोरिटी जिसको आप आटोनामस बाडी कहते हैं, उसने हेरफेर करके उसी नाम से परमिट जारी कर दिये। फिर सरकार उनके खिलाफ कार्यवाही करने में क्यों हिचकिचा रही है?

श्री हरीदत्त कांडपाल--

श्री परशुराम की जायज पत्नी ने वह परमिट अपने नाम करवाने के लिये रीजनल ट्रान्सपोर्ट आथोरिटी को एप्लाई किया। रीजनल ट्रान्सपोर्ट आथोरिटी ने आब्जेक्शन इनवाइट किये। उसका एक पीरियड होता है, उसमें कोई आब्जेक्शन नहीं आया, इसलिये उसने ईश्यू कर दिये। लड़की की तरफ से आपत्ति बाद में आयी। एक तो वह समय से बाहर थी। दूसरे परशुराम की पत्नी राजेश्वरी देवी ने कहा कि सिविल कोर्ट में कोई मामला नहीं है। लिहाजा ट्रान्सपोर्ट आथारिटी ने परमिट जारी कर दिया।

श्री ब्रह्मदत्त मायर--

मैं यह निश्चित तौर पर कहता हूं कि सिविल सूट अदालत में दायर है और उन्होंने स्टे आर्डर निकाला हुआ है। लेकिन उसके बाद भी परमिट जारी कर दिया गया जो बाद को बेंच लिया गया और बुलन्दशहर रूट पर अब भी गाड़ियां चल रही हैं। इसके बाद श्रीमती राजेश्वरी देवी ने नयी एप्लीकेशन दी और नये परमिट उनके नाम जारी कर दिये गये तो क्या सरकार इस सम्बन्ध में जांच करायेगी कि ६-६ परमिट जारी कर दिये गये हैं?

परिवहन मंत्री (श्री मुजफ्फरहसन)--

अगर कोई जाली काम हुआ है तो रीजनल ट्रान्सपोर्ट आथोरिटी के सामने बाजाप्ता जाने पर उसका फैसला हो सकता है। हमारे इल्म में तो, जो माननीय सदस्य कह रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। साफ-सा रूल यह है कि जिसके कब्जे में गाड़ी हो उसी को परिमिट दिया जायगा।

सिराथू तहसील से रामगंगा नहर सम्बन्धी शिकायत

*११--श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)--

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रयाग जिले की तहसील सिराथू तथा मंझनपुर के किसानों की कोई शिकायत रामगंगा नहर से सम्बन्धित श्री नाथूराम शिक्षक, सदस्य विधान सभा द्वारा प्रेषित दिसम्बर, १९६५ में उन्हें प्राप्त हुई है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

जी हां। इस प्रार्थना-पत्र का उत्तर सदस्य महोदय को अधिशासी अभियन्ता, फतेहपुर डिवीजन, लोवर गंगा केनाल, फतेहपुर द्वारा दे दिया गया है।

श्री नाथूराम शिक्षक--

मैं जानना चाहता हूं कि जिलाधीश श्री दुबे ने वहां के एक्जीक्यूटिव इजीनियर (नहर विभाग) को कोई पत्र लिखा था? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

इसकी कोई सूचना नहीं है । लेकिन जब एक बार मुकदमा दायर कर दिया गया है तो फिर बीच में किस प्रकार से वापस लिया जा सकता है ?

श्री नाथूराम शिक्षक—

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जिन लोगों ने यह बयान दिया कि हमने नहर नहीं काटी, उनके खिलाफ कार्यवाही क्यों की जा रही है, जब कि उनका उससे कोई सम्बन्ध नहीं था ?

श्री अध्यक्ष—

वह तो कह रहे हैं कि मुकदमा अदालत में पहुंच चुका है ।

श्री सत्यनारायण पांडेय (जिला इलाहाबाद)—

माननीय अध्यक्ष जी, इस वर्ष नहर में पानी नहीं आया और केवल एक बार ही पानी दिया गया था और पानी की बड़ी परेशानी थी और वर्षा इस वर्ष इलाहाबाद में हुई नहीं और सम्भवतः किसानों ने पानी के लालच में नहर काटी हो तो क्या मंत्री जी उस साल की विशेष परिस्थिति को देखते हुये और किसानों की अन्न अधिक उगाने की पवित्र भावना को देखते हुये यह आदेश देने की कृपा करेंगे कि इस वर्ष के नहर काटने के मुकदमें वहां के किसानों के खिलाफ वापस ले लिये जांयं ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

यह सम्भव नहीं है क्योंकि जब पानी बन्द होता है तो लोग नहर काट लेते हैं और इसलिये यह और भी जरूरी है कि लोग नहर न काटें और अगर हम इस तरह से इस चीज को प्रोत्साहन देंगे तो जिसका नम्बर होगा उस को कभी भी नहीं मिलेगा और लोग बीच में ही काट लिया करेंगे । इसलिये इन नहर काटने वालों को रोकना तो और भी जरूरी है ।

श्री नाथूराम शिक्षक—

मैं इस पर आधा घंटे का विवाद मांगने का नोटिस देता हूं।

आगरा तथा कानपुर क्षेत्र में बुकिंग क्लर्कों एवं बस कण्डक्टरों के खिलाफ कार्यवाही

*१२—श्री सूबेदारसिंह (जिला मैनपुरी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनवरी, १९६४ से ३१ दिसम्बर, १९६५ तक कानपुर तथा आगरा रीजन की कितनी बसों पर किन-किन अधिकारियों ने किन-किन कंडक्टरों को बिला टिकट सवारियां ले जाते हुये पकड़ा तथा पृथक्-पृथक प्रत्येक केस में क्या कार्यवाही हुई ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

आगरा रीजन में २८३ तथा कानपुर रीजन में ३२४ कन्डक्टर पकड़े गये । इनके विरुद्ध की गई कार्यवाही का ब्यौरा सदस्य महोदय कृपया मेरे कक्ष में देखने का कष्ट करें ।

*१३—श्री सूबेदारसिंह—

उपरोक्त कंडक्टरों में से कितने कडक्टरों की सेवायें समाप्त कर दी गई थीं ? उनमें से कितनों की किन-किन अधिकारियों द्वारा किन आधारों पर बहाल कर दिया गया है ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

आगरा रीजन में ४१ व कानपुर रीजन में ४९ कन्डक्टरों की सेवायें समाप्त की गईं जिनमें से क्रमशः ८ व १७ कन्डक्टरों को जनरल मैनेजर अथवा उन परिवहन आयुक्त द्वारा पुनः नियुक्त अथवा बहाल किया गया । पूर्ण विवरण सदस्य महोदय कृपया मेरे कक्ष में देखने का कष्ट करें ।

*१४—श्री सूबेदारसिंह—

कानपुर तथा आगरा रीजन में वर्ष १९६४ से ३१ दिसम्बर, १९६५ तक कितने और किन-किन बुकिंग क्लर्कों के विरुद्ध भ्रष्टाचार तथा गबन के केस चलाये गये और उनमें क्या क्या कार्यवाही हुई ? ऐसे कितने बुकिंग क्लर्क हैं जिनकी सेवायें समाप्त कर दी गई थीं किन्तु उन्हें पुनः बहाल कर दिया गया ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

कानपुर में ३ और आगरा में ७ बुकिंग क्लर्कों के खिलाफ कार्यवाही की गई। पूर्ण विवरण सदस्य महोदय मेरे कक्ष में देखने का कष्ट करें।

श्री सूबेदारसिंह—

सरकार द्वारा जो उत्तर दिया गया है उसमें कहा गया है कि वह ब्यौरा माननीय सदस्य कृपया मेरे कक्ष में देखने का कष्ट करें। लेकिन जब मैं वह ब्यौरा देखने के लिये माननीय मंत्री जी के पी० ए० के पास गया तो उन्होंने कहा कि जब सदन में यह प्रश्न समाप्त हो जाय तभी हम यह सूचना दे सकते हैं। मैं चाहता हूं कि कक्ष में देखने के लिये निमंत्रित करने के बाद ऐसा कहां तक उचित है ?

श्री सोहनलाल धुसिया (जिला बस्ती)—

यह क्वेश्चन तो सदन की प्रापर्टी हो जाते हैं, हमारे साथ भी ऐसा ही हो चुका है ....

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

अध्यक्ष महोदय, आप अपनी व्यवस्था देने के पूर्व यह विचार कर लें कि वास्तविक प्रश्नोत्तर तो यह तभी माने जायंगे जब यह सदन के सामने आ जायं।

श्री अध्यक्ष—

जब आप यह उत्तर देते हैं कि ३२४ कन्डक्टर पकड़े गये और उनके विरुद्ध कार्यवाही की गई जिसका ब्यौरा आप कहते हैं कि मेरे कक्ष में देखने का कष्ट करें तो अगर सदन में उत्तर होने के बाद वह जाकर देखें गे तो उसका परिणाम यह होगा कि वह अनुपूरक प्रश्न से वंचित रह जायंगे अगर उनको इस संबंध में किसी अनियमितता की तरफ संकेत करना है या सुझाव देना है तो फिर वह ऐसा नहीं कर सकेंगे। इस का कारण मैं यह समझता हूं कि जहां आप यह कहें कि मेरे कक्ष में आकर देख लें वहां अगर माननीय सदस्य प्रश्नों से पहले कक्ष पहुंच जायं तो यह उचित ही होगा वह सूचना उनको दे दी जाय वर्ना वह अनुपूरक प्रश्न कैसे कर सकते हैं, जो उनका अधिकार है। यह आपत्ति उनकी ठीक है।

श्री गंगाप्रसाद वर्मा (जिला एटा)—

यह कक्ष में ऐसे ही करते हैं, उत्तर नहीं मिलते।

श्री सोहनलाल धुसिया—

श्रीमन्, आप यह रूलिंग दे दें कि ऐसे उत्तर न दिये जायं कि जिससे माननीय सदस्यों को मंत्रियों के कक्ष में जाना पड़े, बहुत से सदस्य किसी के कक्ष में जाना पसन्द नहीं करते। ऐसी हालत में उनको उत्तर ही नहीं मिलेंगे।

श्री अध्यक्ष—

यह परम्परा दीर्घ काल से चली आई है, लेकिन यदि उसमें कोई परिवर्तन करना हो तो सब चीजों पर विचार करके, उसकी कठिनाइयों और सुविधा को समझकर निर्णय लिया जा सकता है, यकायक उस पर निर्णय यहां इसी वक्त नहीं लिया जा सकता।

अब यह प्रश्न स्थगित हुए।

[१५ मार्च, १९६६ के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न

हाहा नाला बांध को घाघरा नदी के कटाव से बचाने की योजना

*१—श्री रामसुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हाहा नाला बांध, जिला आजमगढ़ के समीप घाघरा नदी का कटान ग्राम गजियापुर, मिश्रौली, बरोहा और चौहानपुर में बांध से कितने-कितने गज या फिट की दूरी पर रह गया है ? और कटान को रोकने के लिये सरकार की ओर से कितना रुपया व्यय किया जा चुका है और भविष्य में किन-किन योजनाओं को लागू करने का विचार है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

हाहा नाला बांध के समीप घाघरा नदी का तट ग्राम गजियापुर के सामने ८१४ फीट ग्राम मिसरौली, (मिश्रौली नहीं) के सामने १,५२५ फीट और ग्राम चौहानपुर के सामने १,७०५ फीट की दूरी पर है ग्राम बरोहा इस समय बिलकुल नदी के तट पर स्थित है ।

कटान को रोकने के लिये सरकार की ओर से अब तक ७,५३,५१५ रुपये व्यय किये जा चुके हैं । भविष्य में इस क्षेत्र के लिये निम्नलिखित योजनायें विचाराधीन हैं—

१—पक्की ठोकरों का निर्माण ।

२—बांध को रिटार्ड करना ।

*२—श्री रामसुन्दर पाण्डेय—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हाहा नाला बांध, जिला आजमगढ़ को बचाने के लिये जो योजना सिंचाई विभाग के मुख्य अभियन्ता की ओर से दी गई है उसे मार्च सन्, १९६६ के पहिले कार्यान्वित करने की क्या दिक्कत है ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—

इस योजना की अनुमानित लागत १६७.५६ लाख रुपये है । राज्य बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की स्वीकृति प्राप्त होने पर इसे केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग को भेजा जायगा । यदि उक्त आयोग द्वारा यह योजना पास हो गई तो धन उपलब्ध होने पर इसे कार्यान्वित किया जायगा ऐसी दशा में मार्च, १९६६ में इस योजना पर कार्य आरम्भ करना भी सम्भव नहीं है ।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रिटार्ड बांध बन से उस क्षेत्र के किसानों की कितनी भूमि बाढ़ से बचाई जा सकेगी ? यदि कोई तालिका उनके पास हो तो बताने का कष्ट करें ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

श्रीमन, रिटार्ड बांध से एक ही काम हुआ करता है कि अगर मेन बांध टूट जाय तो उससे पानी रुक जाया करता है ।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—

क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि उनके विभाग के इंजीनियर इन-चीफ, श्री मित्रा साहब सम्भवतः उस क्षेत्र में २८ फरवरी को गये और उन्होंने कोई रिपोर्ट दी है कि रिटार्ड बांध के बजाय पक्की ठोकरों का निर्माण किया जाय क्योंकि रिटार्ड बांध से हजारों गांवों की लाखों एकड़ जमीन खराब हो जाती है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

पक्की ठोकरों के बनवाने में बड़ा रुपया खर्च होता है । जो लेटेस्ट रिपोर्ट आयी है उसमें १ करोड़ ६७ रुपये की स्कीम है । यह रुपया आने वाले वर्षों में भी नहीं मिल सकेगा ।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—

क्या सिंचाई मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि रुड़की अनुसन्धान वालों की जो रिपोर्ट है उसमें ८० लाख रुपया व्यय होने का अनुमान है और उसे ३ वर्षों में पूरा करने का विचार है, उस पर अब माननीय मंत्री जी इसके लिये १ करोड़ ६७ लाख रुपये व्यय करने की बात कर रहे हैं। तो मैं जानना चाहता हूं कि इस अधिक अनुमानित व्यय का क्या कारण है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

रुड़की रिसर्च ने ही दोबारा यह तय किया है।

श्री रामअधार कनौजिया (जिला बहराइच)—

श्रीमन्, १८ वर्ष के बाद भी यह देखा गया कि अन्न संकट का मूल कारण इस प्रदेश में बाढ़ और कटाव है तो मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने कोई प्रदेशीय आधार पर कोई ऐसी योजना अब तक तैयार की है जिससे कि यह सोचा जा सके कि हमारी सरकार का विचार अन्न संकट से बचने का और उसके लिये व्यवस्था करने का है ? यदि हां, तो कौन सा है और उसको अब तक कार्यान्वित क्यों नहीं किया गया ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

स्टेट में फ्लड कंट्रोल बोर्ड है और वह प्रयास करता रहता है। जितना रुपया मिलता है उसके अनुसार प्रायरिटी देकर स्कीम्स को मंजूर करता है।

श्री अध्यक्ष—

आप का मतलब यह है कि फ्लड कंट्रोल बोर्ड उसे देखता है।

श्री मैनेजरसिंह—

मंत्री जी ने कहा कि धनाभाव के कारण पक्की ठोकरों का निर्माण संभव नहीं है। तो मैं मंत्री जी से नम्रता के साथ पूछना चाहता हूं कि क्या आप विचार करेंगे कि इस प्रदेश के वे अभागे जिले जो गंगा, घाघरा और टोंस से प्रति वर्ष पीड़ित होते हैं कटान और बाढ़ से और जिन क्षेत्रों के लिये आप की स्कीम में कोई योजना नहीं है क्या ऐसे अभागे जिले के लोगों को उनके घर और झोपड़े मौजूद रहने देने के लिये क्या आप कोई कटान रोकने की व्यवस्था पर जोर देंगे ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

अब तो फ्लड पश्चिम में भी आते हैं। तो तमाम प्रदेश भर में जहां फ्लड को रोकने का इन्तजाम करना है उसी के लिये फ्लड कंट्रोल बोर्ड बनाया है।

आजमगढ़ जिले में गांव ऊंचे करना

*३—श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)—

क्या सिंचाई मंत्री कृपा कर के यह बतायेंगे कि सन् १९६३, १९६४ तथा १९६५ में आजमगढ़ जिले के किन-किन ग्रामों की सतह बाढ़ से बचाने के लिये ऊंची की गई है ?

*४—क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिन ग्रामों को ऊंचा किया गया है उनमें कुओं की जगतें ईंटें और सीमेन्ट से ऊंची की गई या और किसी तरह ?

सिंचाई मंत्री (श्री गिरधारीलाल)—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

जालौन जिले में लहरउआ नहर में पानी की कमी

*५—श्री विजयसिंह—

क्या सरकार को ज्ञात है कि दिसम्बर, १९६५ के प्रथम सप्ताह में लहरउआ माइनर जिला जालौन (झांसी रीजन) को बहुत कम चलाया गया जिससे कुलाबों तक पानी ही नहीं पहुंचा

जिससे क्या लहरऊआ आदि ग्रामों में किसान परेशान रहे ? यदि हां तो इस सिंचाई को पूरा करने की क्या व्यवस्था सरकार ने की ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--

माह दिसम्बर के प्रथम सप्ताह में लहरऊआ माइनर सिकरी रजबहे जिससे यह माइनर निकली है रोस्टर के मुताबिक कम पंसाल से चलने के कारण कम पंसाल से चली थी जिससे ग्राम सभा व लहरऊआ के किसानों को कुछ परेशानी भी हुई। बाद में १३ दिसम्बर से माइनर पूरी पंसाल से चलाकर सिंचाई की पूर्ण व्यवस्था कर दी गई।

श्री विजयसिंह--

जब सीकरी रजबहे से माइनर निकली है और पनसाल से कम चली तो पनसाले के ऊपर जो कुलाबे लगे रहते हैं उनसे पानी नहीं दिया गया, तो क्या सरकार बतायेगी कि कितना उससे पानी बेकार चला गया और १ हफ्ते तक बराबर पानी बहता रहा ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--

बात यह है कि जो मेन नहरें चलती हैं तो उसमें पानी का रेस्टोरिंग होता है। यह बात सही थी कि पहले पानी शुरू में कम था, लेकिन बाद में इस बात की व्यवस्था कर दी गई है कि पानी ज्यादा चलाया जाय ताकि पानी मिल जाय और मुझे यह भी सूचना है कि अब अगर आप जायेंगे तो वहां के काश्तकारों को इसकी शिकायत नहीं रहेगी।

श्री विजयसिंह--

१३ दिसम्बर के बाद से पनसाले पर पानी पूरा चला और मंत्री जी ने यह भी कहा कि व्यवस्था अब तक कर दी गई, तो मंत्री जी बतायेंगे कि १३ दिसम्बर के बाद कितने एकड़ जमीन के अतिरिक्त और सिंचाई हुई ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--

मेरे पास आंकड़े हैं, पहले से ज्यादा ही हुई है।

उरई बस स्टैन्ड

*६--श्री विजयसिंह--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला जालौन में राजकीय रोडवेज बस स्टैन्ड बनाने की व्यवस्था १९६६ में सरकार उरई शहर में कहां कर रही है और कब तक ?

श्री हरीदत्त कांडपाल--

भूमि की तलाश हो रही। इसके उपलब्ध होने पर स्टेशन बन सकेगा।

*७--श्री विजयसिंह--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उरई, जिला जालौन से भिन्ड (मध्य प्रदेश) तक मध्य प्रदेश सरकार की बसें चलने लगी हैं ? यदि हां, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐसे यातायात करने की स्वीकृति मध्य प्रदेश सरकार को कब दी ? या समझौता कब और किस आधार पर किया ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल--

मध्य प्रदेश सरकार की नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश व मध्यप्रदेश की प्राइवेट गाड़ियां दोनों सरकारों के बीच १९६३ के समझौते के अनुसार चल रही हैं।

श्री विजयसिंह—

मंत्री जी ने अपने जबाब में यह बताया है कि भूमि तलाश की जा रही है, यह कोशिश बराबर चल रही है और १ वर्ष से अधिक हो गया, तो मैं जानना चाहता हूं कि जमीन की तलाश कब से प्रारम्भ की और अब तक जमीन नहीं मिल सकी इसका क्या कारण है ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

भूमि मिलना आसान तो होता नहीं। एक दफा तलाश की गई तो जिनकी जमीन थी जब तक उसके संबंध में कार्यवाही हो, तब तक उस पर मालिक ने कुछ बनाकर के उस जमीन को इस तरह का कर दिया कि फिर उसका विचार छोड़ना पड़ा। लिहाजा दूसरी जमीन की तलाश हो रही है।

श्री विजयसिंह—

क्या वहां के अधिकारियों ने नगरपालिका से कुछ बातचीत की है ताकि वह जमीन प्राप्त हो सके ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

नगरपालिका के पास कोई जमीन है, इसकी सूचना नहीं है। मैं माननीय सदस्य का आभारी हूं कि जमीन की प्राप्ति में मदद करा सकें।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

उरई बस स्टेशन बनाने के लिये कितना धन विभाग ने स्वीकार किया है ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

जमीन का जब तय नहीं हुआ है तो मकान बनाने का सवाल क्या पैदा होता है।

श्री विजयसिंह—

मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सरकारों में कोई समझौता हुआ है ? यदि हां, तो दोनों प्रदेश की पृथक पृथक कितनी गाड़ियां चलेंगी ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

इस समय स्थिति ऐसी है कि उरई से भिन्ड तक अन्तर राजकीय मार्ग है जिसकी लम्बाई ६१ मील है। उसमें से २७ मील० यू० पी० में पड़ती है और ३४ मील मध्य प्रदेश में पड़ती है। इसलिये दोनों सरकारों के बीच में राजीनामे की बात आई। पहला राजीनामा ५७ में हुआ जिसके अनुसार निर्णय हुआ कि दोनों की बसें रेसीप्रोकल टर्म पर चलें। दूसरी बार समझौता ६० में हुआ जिसमें यह प्रोपोर्शन रखा गया कि मध्य प्रदेश की संख्या २ कर दी गयी जब कि पहले वह १ थी। ६३ में फिर समझौता हुआ ट्रिप के हिसाब से कि उत्तर प्रदेश की ४ ट्रिप्स और मध्य प्रदेश की ६ ट्रिप्स लगेंगी।

श्री विजयसिंह—

बीच में पहुंड़ नदी पड़ती है तो क्या समझौता में यह तय हुआ था कि नदी पर पुल बन जायगा तभी गाड़ियां आयेंगी उससे पहले नहीं ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

ऐसी सूचना मेरे पास नहीं है।

*८—श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण हटा दिया गया।]

बहोटा नाले पर पुल की आवश्यकता

*९—श्री राजेन्द्रसिंह (जिला एटा)—

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि ग्राम रहटा यूसुफनगर, विकास खन्ड पटियाली, जिला एटा की आबादी के बीच में से होकर विभाग का बहोटा नाला गुजरता है जिस पर पुल न होने के कारण ग्रामीणों को बहुत तकलीफ होती है तथा प्रति वर्ष २–४ बच्चे डूब कर मर जाते हैं? यदि हां, तो क्या अविलम्ब उस पर पुल बनवाने की व्यवस्था करेंगे?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

श्री राजेन्द्रसिंह—

क्या सिंचाई मंत्री जी बतलायेंगे कि मैंने खुद विभागीय अधिकारियों से बातचीत की है और उन्होंने कहा कि दो महीने सूचना भेजे हुए हो गये तो फिर यह उत्तर देने का क्या कारण है कि सूचना एकत्रित की जा रही है?

श्री अध्यक्ष—

जो भी कारण हो लेकिन यह उत्तर देना कि अभी तक सूचनायें एकत्रित की जा रही हैं जरा अच्छा नहीं मालूम होता। हम चाहेंगे कि इस पर ध्यान दिया जाय।

श्री राजेन्द्रसिंह—

क्या माननीय मंत्री सूचना एकत्रित करके बरसात के पहले इस नाले को बनवा देंगे?

श्री अध्यक्ष—

अगले सप्ताह यह सवाल आयेगा। तब पूछ लीजियेगा।

लखनऊ डिवीजन की हैदरगढ़ नहर शाखा पर पुल की आवश्यकता

*१०—श्रीराम किशोर त्रिपाठी—

क्या यह बात सही है कि लखनऊ डिवीजन की हैदरगढ़ शाखा के १८ मील ५ फर्लांग पर नहर को इस पार आने-जाने के संबंध में एक पत्र विभाग को मई से नवम्बर, १९६५ के बीच मिला है कि इस स्थान पर एक पुल नहर पार कराने हेतु बनाया जाय? यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है? क्या पत्र की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखेंगे?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

जी हां। प्रार्थना पत्र पर विचार करने के बाद उसे खारिज कर दिया गया क्योंकि प्रश्न में उल्लिखित स्थान पर पुल बनाने की आवश्यकता नहीं समझी गयी। प्रार्थना-पत्र की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखी है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ६९० पर)

श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

जैसा कि आवेदन पत्र में उल्लेख किया गया है वहां पर एक वेटिरिनरी अस्पताल है और प्रत्येक मंगलवार को वहां मेला लगता है। वहां एक हायर सेकेन्डरी स्कूल भी है जिसमें छोटे-छोटे बच्चे भी पढ़ने जाते हैं। ऊपर की तरफ और नीचे का तरफ पुल बना हुआ है और घूम कर जाने से दो, तीन मील का चक्कर पड़ता है। जिस जगह १८ मील ५ फर्लांग पर पुल बनाने की मांग की गयी है वहां से यह स्थान तीन फर्लांग पड़ता है। क्या माननीय मंत्री जी इस बात पर पुनर्विचार करेंगे कि इस जगह पर कोई ऐसा छोटा पुल बनाने की व्यवस्था करेंगे जिससे लोगों को सुविधा हो जाय?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

१८ मील ६ फर्लांग पर ऊपर और १९ मील १ फर्लांग पर नीचे पुल बने हुए हैं। तो ऊपर भी है और नीचे भी है। अब नहर विभाग का यह काम नहीं है। पुल बनवाना है तो उसका रुपया दे दिया जाय हम पुल बनवा देंगे।

श्री झारखण्डेराय—

माननीय अध्यक्ष महोदय, सवाल के जवाब से एक बुनियादी सवाल यह पैदा होता है जिस पर मैं सवाल करना चाहता हूं। हमारे प्रदेश में नहरें अंग्रेजों के राज्य में आमतौर पर पश्चिम में खुली थीं। वहां गांव एक दूसरे से बहुत दूर-दूर बसे हुये हैं। उसी हिसाब से पुलियां, नालियां वगैरह दूर-दूर बनी हुई हैं। अब कांग्रेस राज्य के जमाने में नहरें मध्य में और खास तौर पर पूर्व में बनी हैं। मध्य में ज्यादा और पूर्व में तो और ज्यादा करीब गांव बसे हुये हैं। नतीजा यह है कि खेत इस पार हैं और गांव नहर के उस पार। बीच में कोई साधन नहीं है। तो क्या सरकार इस बात पर विचार करेगी कि जहां गांव करीब-करीब बसे हुये हैं वहां पुलों की संख्या बढ़ायेगी ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

पुल नहरों पर इस बात को देख कर बनाये गये हैं कि कितनी आमदरफ्त है। लेकिन यह बात भी देखी जाती है कि ऐसा न हो कि बहुत ज्यादा खर्चा हो और पुल ही पुल बन जायं और नहरें न बन सकें। जैसा मैंने बताया, वहां ३ फर्लांग पर पुल है और ४ फर्लांग पर फिर पुल है।

श्री अध्यक्ष—

उनका मतलब सिर्फ यह है कि कहीं-कहीं ऐसा है कि गांव तो एक तरफ है और गांव की भूमि नहर के दूसरी तरफ है। तो ऐसी जगह पुल बनवाने पर विचार करेंगे ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

जहां सम्भव था वहां पुल बना दिये गये। नये पुलों के लिये तो हर चीज अलग-अलग देखी जाती है।

लखनऊ डिवीजन की पुरियार ड्रेन

*११—श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या सरकार के सिंचाई विभाग को लखनऊ डिवीजन के पुरियार झील बेलवा बारीखेरा के पानी के निकास के लिये गोमती नदी तक पहले से बनी ड्रेन का विस्तार करने के सम्बन्ध में कोई सुझाव मिला है ? यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

जी हां, सर्वेक्षण हो जाने के बाद ही यह निश्चय किया जा सकेगा कि इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जाय।

*१२—श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या सरकार के समक्ष उक्त पुरियार ड्रेन के सीठूमऊ-रानीपुर के पास पुल बनाने का भी सुझाव विचाराधीन है ? यदि हां, तो यह पुल कब तक बन जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

प्रथम भाग—जी नहीं।

दूसरा भाग— प्रश्न नहीं उठता।

तीसरा भाग—जहां पर पुल बनाने का सुझाव है वहां पर विभाग द्वारा निर्मित ड्रेन नहीं है।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

इस बात को देखते हुये कि जो ड्रेन को आगे विस्तार करने की बात है उसमें बरसात में नहर और झील का भी पानी जाता है। तो क्या माननीय मंत्री जी इस बात पर विचार करेंगे कि उस ड्रेन को नदी तक बढ़ा दिया जाय ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

यही तो आपकी मांग है कि उसको बढ़ाया जाय। उसी का सर्वेक्षण करा रहे हैं।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

यह सर्वेक्षण कब तक समाप्त हो जायगा और कब तक कार्य प्रारम्भ कर दिया जायगा ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

सर्वेक्षण तो सर्वेक्षण है। जल्दी कराने की कोशिश की जा रही है।

*१३—श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

[५वें बुधवार के लिये प्रश्न संख्या ७७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

सिढ़पुरा–एटा सड़क पर पुल टूट जाना

*१४—श्री राजेन्द्रसिंह—

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि सिढ़पुरा से एटा जाने वाली सड़क पर बना हुआ नाले का पुल टूट गया है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

जी हां।

*१५—श्री जेन्द्रसिंह—

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया यह बतायेंगे कि सिढ़पुरा-एटा सड़क पर अत्यधिक यातायात रहता है और प्रश्न १ में उल्लिखित पुल के टूट जाने से बहुत परेशानी हो गई है ? तो क्या सरकार इस टूटे हुये पुल का अविलम्ब निर्माण कराने के कार्य को पूर्ण करा देगी ;

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

प्रथम भाग—जी हां।

द्वितीय भाग—प्रश्न १ में उल्लिखित पुल के टूट जाने से बहुत परेशानी नहीं है क्योंकि क्षतिग्रस्त पुल के समीप ही नीचे की ओर एक डायबरसन बना दिया गया है जिससे यातायात हो रहा है।

तृतीय भाग—विस्तृत सर्वेक्षण के पश्चात यह ज्ञात हुआ कि क्षतिग्रस्त पुल के निर्माण के साथ साथ ३ झील बनाने आवश्यक है अन्यथा पुल के पुनः क्षतिग्रस्त हो जाने का भय है झाल के प्रस्ताव बनाये जा रहे हैं जिसमें पुल के पुनर्निर्माण का प्रस्ताव भी शामिल है। आवश्यक धनराशि उपलब्ध होने पर पुल का पुनर्निर्माण झालों के बन जाने के पश्चात किया जा सकेगा।

श्री राजेन्द्रसिंह—

क्या मंत्री जी इसको देखते हुये कि जो डाइवर्जन काम कर रहा है वह बरसात में काम नहीं कर पायेगा तो वे ढालों का और पुलों का निर्माण वर्षा से पूर्व करायेंगे ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

श्रीमन, यह तो संभव नहीं है। मैंने कहा कि दिक्कत यह है कि पहले ढाल बनाने पड़ेंगे उसके लिये सर्वेक्षण हो रहा है वर्ना पुल टूट जाते हैं। इसलिये ढाल के बाद ही पक्का पुल बनायेंगे।

नोट—तारांकित प्रश्न १५ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

बिजली दरों का एकीकरण तथा पूर्वी जिलों में बिजली की अव्यवस्था

*१६—श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर) तथा श्री मैनेजरसिंह—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में बिजली के रेट का एकीकरण करने का विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? और नहीं तो क्यों ?

श्री गिरधारीलाल—

इस समय उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों के समस्त क्षेत्रों में जहां पर राज्य विद्युत परिषद् द्वारा बिजली दी जाती है बिजली के रेट का एकीकरण करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि जैसे ही समस्त क्षेत्रों के ग्रिड एक दूसरे से मिला दिये जायेंगे तो बिजली की दरों का एकीकरण करने की संभावना पर विचार किया जायेगा।

*१७—श्री कमलासिंह यादव तथा श्री मैनेजरसिंह—

क्या सरकार इस बात को देखते हुये पूर्वी जिलों में बिजली दिन-रात में कई बार फेल की जा रही है जिससे वल्व वगैरह व ट्यूबवेल्स की मशीनें खराब होती जा रही हैं ? इस नुकसान से बचने के लिये क्या स्टेप लिया जा रहा है ?

श्री गिरधारीलाल—

उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों को बिजली के अवरोधों को निम्नतम करने के लिये तथा साथ ही वोल्टेज में सुधार करने के लिये रिहन्द (Rihand) सिस्टम से उच्च वोल्टेज (extra high voltage) की लाइनें बना कर मिलाया जा रहा है।

*१८—श्री कमलासिंह यादव तथा श्री मैनेजरसिंह—

पूर्वी जिलों में ट्यूबवेल्स का कनेक्शन देने में बराबर विलम्ब हो रहा है और जनता हतोत्साहित हो रही है ? इस दिक्कत को दूर करने के लिये क्या किया जा रहा है ?

श्री गिरधारीलाल—

पूर्वी जिलों में जिन क्षेत्रों में बिजली की कमी थी अथवा ट्रांसमिशन लाइनों की क्षमता कम थी वहां पर बिजली देने में बिलम्ब है। क्षमता बढाये जाने का कार्य चल रहा है। कृषकों से प्रार्थना की जा रही है कि वे ट्यूबवेल्स रात्रि में चलाने का कनेक्शन ले लें।

फांसी की सजा

*१९—आचार्य मोहनलाल (जिला पीलीभीत) तथा श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या सरकार राज्य में कानून में शीघ्र संशोधन करके ग्रेट ब्रिटेन की तरह सजाए मौत को समाप्त करने पर ध्यान दे रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)—

शासन ने इस विषय पर कई बार विचार करके निश्चय किया है कि राज्य की अपराध की स्थिति तथा अपराधियों की मनोवृत्तियों को ध्यान में रखते हुये फांसी की सजा का समाप्त करना उचित न होगा।

स्याना क्षेत्र में गंगा नहर के रजबहे पर पुल की आवश्यकता

*२०—आचार्य मोहनलाल तथा श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विधान सभा क्षेत्र, स्याना, जिला बुलन्दशहर के ग्राम बुढ्ढा-बाजीदपुर के दुखित कृषकों ने, जो वेरा माइनर (गंगा नहर मेरठ डिवीजन) पर एक

पुल के निर्माण के सम्बन्ध में जिसके द्वारा केवल चकरोड पार की जा सकती है, जो प्रार्थना-पत्र मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग को नवम्बर या दिसम्बर, १९६५ में दिया उस पर मुख्य अभियन्ता ने उसकी अत्यन्त कठिनाई को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की ?

श्री गिरधारीलाल—

बढ्ढा बाजीदपुर के किसानों ने एक प्रार्थना-पत्र दिया है जिससे उन्होंने एक पुल बैरा रजवाहे पर अपने ग्राम के सामने करीब मील ३–१–३०० पर बनवाने की प्रार्थना की है। जांच करने के पश्चात् यह मालूम हुआ कि इस स्थान पर पुल की कोई आवश्यकता नहीं है।

बांदा जजी को स्थायी करने की मांग

*२१—श्री रघुवीरसहाय कैथवार (जिला फतेपुर)—

क्या न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या जिला जजी बांदा की उपयोगिता को देखते हुये उसे स्थायी करने के लिये हाई कोर्ट ने कई बार सरकार को लिखा है और स्वयं सरकार ने गत सितम्बर या नवम्बर, १९६५ में सम्पूर्ण विवरण इकट्ठा करने का प्रयास किया है ? यदि हां, तो उसे अब तक स्थायी न करने का क्या कारण है ?

श्री सैयद अली जहीर—

(क) जी हां।

(ख) हाई कोर्ट की सिफारिश देर से प्राप्त हुई।

*२२—श्री रघुवीरसहाय कैथवार—

क्या यह सही है कि जिला जजी, बांदा की मुस्तकिलों के समस्त प्रस्ताव व सिफारिशें सरकार के समक्ष हैं और उसे मुस्तकिल करने में सरकार को किसी प्रकार का आर्थिक भार वहन नहीं करना पड़ेगा ? यदि हां, तो क्या उसको अब अप्रैल, १९६६ से स्थायी किया जायगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सैयदअली जहीर—

जी हां। प्रस्ताव व सिफारिशें सरकार के सामने हैं, लेकिन देर से आने की वजह से इन प्रस्तावों व सिफारिशों पर इस वित्तीय-वर्ष में कोई काम नहीं किया जा रहा है इसलिये इस जजी को १ अप्रैल, १९६६ से स्थायी करना संभव न होगा। यह प्रश्न जांच करने का भी अवसर नहीं आया कि यह जजी स्थायी करने में कोई आर्थिक भार उठाना पड़ेगा या नहीं।

*२३—श्री ब्रज बिहारी मिश्र—

[मा० सदस्य की प्रार्थना पर स्थगित किया गया।]

बड़ा गांव ब्लाक में नलकूप लगाने की प्रार्थना

*२४—श्री ऊदल—

क्या सिंचाई मंत्री गांव सरोवां, ब्लाक बड़ागांव, तहसील व जिला वाराणसी में एक नलकूप लगाने पर विचार करने की कृपा करेंगे ?

श्री गिरधारीलाल—

जी हां, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना काल में विचार किया जायेगा।

*२५—श्री ऊदल—

क्या सिंचाई मंत्री गांव चक खरावन (नटवां, खरगपुर) ब्लाक बड़ा गांव, तहसील व जिला वाराणसी तथा गांव गांग कलां, गगवां, बगियां तथा पचरासी, रतनपुर, कुसहीं ब्लाक, बड़ागांव, तहसील व जिला वाराणसी में सिंचाई की व्यवस्था हेतु ट्यूबवेल तीनों स्थान में लगाने पर विचार करेंगे ?

श्री गिरधारी लाल—

ग्राम चक खरावन (नटवां खरगपुर) का क्षेत्र वर्तमान नलकूप खरावन के कमांड में है। ग्राम गांग कलां के २८५ एकड़ कृषि योग्य क्षेत्र में से ६५ एकड़ क्षेत्र वर्तमान नलकूप देवचन्दपुर व पचरासी के २२४ एकड़ कृषि योग्य क्षेत्र में से३२ एकड़ क्षेत्र वर्तमान मदनपुर नलकूप के कमांड में है। उक्त दोनों ग्रामों के शेष भाग व प्रश्नगत अन्य ग्रामों की सिंचाई व्यवस्था के लिये चतुर्थ पंचवर्षीय योजना काल में विचार किया जायेगा।

हायडिल डिवीजन, बलरामपुर तोड़ने का विचार

*२६—श्री सुखदेवप्रसाद (जिला गोंडा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बलरामपुर जिला गोंडा से हायडिल डिवीजन तोड़ कर बस्ती में नया बनाने की योजना है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री गिरधारीलाल—

जी हां। प्रशासन, कार्य क्षमता तथा उपभोक्ताओं की सुविधा की दृष्टि से उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् ने बस्ती में नया डिवीजन बनाने की योजना रखी है।

कानपुर क्षेत्र में ड्राइवर्स को नो ऐक्सीडेंट बोनस न दिया जाना

*२७—श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जी० ओ० ५४६९-टी/तीस-३४-१-डेटेड १६ अप्रैल, १९५८ के अनुसार १९५८-६० को जो नो-एक्सीडेन्ट एलाउन्स कानपुर रीजन के ड्राइवर्स को क्यों नहीं दिया गया ? जब कि उक्त एलाउन्स लखनऊ रीजन के नवम्बर, १९६५ में दिया जा चुका है वह सम्बन्धित ड्राइवर्स को कब तक दिया जा सकेगा ?

श्री मुजफ्फर हसन—

कानपुर रीजन के स्टेटमेंट प्राप्त न होने के कारण अभी तक १९५८-६० का ड्राइवर्स को नो-एक्सीडेंट बोनस न दिया जा सका। परन्तु अब यह बोनस बहुत शीघ्र ही ड्राइवर्स को दिया जायेगा।

खेती के लिए बिजली की दर

*२८—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार को केन्द्रीय सरकार से कोई ऐसा निर्देशन प्राप्त हुआ है कि खेती के कार्यों में जो बिजली दी जाय उसका रेट ९२ पै० प्रति यूनिट से अधिक न हो और यदि अधिक हो तो बाकी दाम को प्रान्तीय सरकार स्वयं वहन करें ?

श्री गिरधारीलाल—

जी हां। जहां तक अधिक व्यय वहन करने का सम्बन्ध है भारत सरकार ने निर्देश दिया है कि अधिक व्यय प्रान्तीय तथा भारत सरकार आधा-आधा वहन करें।

सीतापुर ग्रुप के नलकूपों से सिंचाई

*२९—श्री विपिनबिहारी तिवारी (जिला सीतापुर)—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला सीतापुर के अन्तर्गत नलकूप ५ (सीतापुर ग्रुप) के लिए सिंचाई हेतु भूमि का कितना क्षेत्रफल निर्धारित है तथा वर्ष १९६४-६५ में कितने क्षेत्रफल की सिंचाई हुई ?

*३०—क्या यह सही है कि इस नलकूप से उत्तर की ओर निकली हुई पक्की गूल पर जितना भी क्षेत्रफल सिंचाई के लिए निर्धारित है उसमें से आज तक एक एकड़ भूमि की भी सिंचाई न हो सकी ? यदि हां, तो इसका कारण क्या है ?

*३१—क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि दिसम्बर, १९६५ के अन्तिम सप्ताह में इसके एकाएक टूट जाने की सूचना मन्त्री जी को प्रश्नकर्ता ने तार द्वारा दी तथा संकेत किया कि उपरोक्त गूल से सम्बन्धित ३०० एकड़ भूमि की फसल सूख रही है तो उक्त भूमि की सिंचाई हेतु क्या व्यवस्था की गई ?

श्री गिरधारीलाल—

सूचना एकत्र की जा रही है।

कानपुर क्षेत्र में ए० टी० आई० के पदों पर हरिजनों का चुनाव

*३२—श्री रघुबीर सहाय कैथवार—

१० अगस्त, १९६५ के तारांकित प्रश्न २८ के उत्तर के क्रम में क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ए० टी० आई० के ६ पदों के लिए चुने गए १६ उम्मीदवारों में किन व्यक्तियों को कहां-कहां नियुक्त किया गया है ?

श्री मुजफ्फर हसन—

६ पदों में से नियुक्ति १ से ५ तथा १४ क्रम में की गई। उनके तत्कालीन नियुक्ति स्थान निम्नलिखित हैं:

(१)	श्री सगीर अहमद खां ..	.. महेविया घाट
(२)	श्री अखतरजांह अब्बासी	.. सिटी बस सर्विस, कानपुर।
(३)	श्री हीरालाल उपाध्याय	.. डेरापुर
(४)	श्री इकबाल अहमद	.. रसूलाबाद
(५)	श्री के० एन० आनन्द	.. इटावा
(१४)	श्री माता प्रसाद ..	.. .. हरपालपुर।

देवरिया जिले में नलकूपों से सिंचाई

*३३—श्री चन्द्रबली सिंह—

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जिला में १ नवम्बर, १९६५ को कितने सरकारी ट्यूबवेल ऐसे थे जो बिजली न मिलने से सिंचाई नहीं कर रहे थे ? वे ट्यूबवेल किन-किन ब्लाकों में हैं ?

श्री गिरधारीलाल—

देवरिया जनपद में १ नवम्बर, १९६५ को ७ नलकूप बन्द थे। जिनमें से एक कप्तानगंज ब्लाक में दो मोतीचक ब्लाक में एक भलुअनी ब्लाक में एक सलेमपुर ब्लाक में तथा दो बेतालपुर ब्लाक में पड़ता है।

मथुरा जिले में विद्युतीकरण

*३४—श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा जिले में छाता व शेरगढ़, नन्द गांव व बरसाना तक बिजली के लट्ठा कितने महीनों से गड़े हैं और इनमें कितने दिन में तार खिंच कर बिजली लग जावेगी ?

श्री गिरधारीलाल—

मथुरा जिले के छाता, शेरगढ़, नन्दगांव और बरसाना ग्रामों के समीप जो खम्भे गड़े हैं वे गांवों के विद्युतीकरण के लिए नहीं हैं बल्कि ३७.५ के० वी० लाइन खींचने के लिए हैं जो कि वृन्दावन से कोसी कलां तक बनाई जाएंगी। इस लाइन पर लट्ठे गाड़ने का कार्य अगस्त, १९६५ में पूर्ण हो चुका है तथा इन लट्ठों पर तार खींचने का कार्य १९६६–६७ तक पूर्ण होने की सम्भावना है।

प्रश्न में उल्लिखित ग्रामों के विद्युतीकरण के लिए अगले वर्ष विचार किया जायगा।

*३५—श्री लखीसिंह—

क्या सिंचाई मन्त्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि कोसी, जिला मथुरा में बिजली का सब-स्टेशन बनेगा ? यदि हां, तो कब तक ? और इसमें कितना धन व्यय होने का अनुमान है ? तथा इस स्टेशन से कितने गांव को सन् १९६६ में बिजली मिल जाएगी ?

श्री गिरधारीलाल—

जी हां, यह कार्य सितम्बर, १९६६ तक पूर्ण होने की सम्भावना है और इस पर ५.५६७ लाख रुपया खर्च होने का अनुमान है जिसमें ३७.५ के० वी० लाइन बनाने का व्यय भी शामिल है।

उन सभी ग्रामों का विद्युतीकरण किया जायगा जिनका विद्युतीकरण आर्थिक तथा प्राविधिक दृष्टि से सम्भव होगा तथा धन की उपलब्धता पर भी निर्भर होगा।

*३६—श्री लखीसिंह—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि रजबहा शेरगढ़, रजबहा सहार व रजबहा कोसी व रजबहा नन्दगांव व रजबहा बुखारी पर कितनी ऐसी गूलें हैं जो चकबन्दी में न छोड़ने के कारण नहर विभाग तथा जिलाधीश द्वारा नहीं बनवाई गई और इन नालियों के न बनने के कारण किसानों की सिंचाई नहीं हुई, इन गूलों पर कितनी फसल बिला सिंचाई के पड़ी है ?

श्री गिरधारीलाल—

सिर्फ ३ मील ३ फर्लांग गूलें खुदने को शेष हैं जिससे केवल २६९ एकड़ भूमि प्रभावित होती है।

*३७—श्री सुखदेव प्रसाद—

[पुनरावृत्ति होने के कारण हटा दिया गया।]

*३८–३९—श्री नाथूराम शिक्षक—

[७वें मंगलवार के लिए स्थगित किये गये।]

*४०–४२—श्री शारदानन्द (जिला सीतापुर) तथा श्री बिपिनबिहारी तिवारी—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण हटा दिये गये।]

सुकरौली ब्लाक में नलकूप

*४३—श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)—

क्या सिंचाई मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले के सुकरौली ब्लाक में अब तक कितने ट्यूबवेल लग चुके हैं और उपरोक्त ट्यूबवेलों से कितने एकड़ जमीन की सिंचाई हो रही है ?

श्री गिरधारीलाल—

देवरिया जिला के सुकरौली ब्लाक में अब तक कुल ८ नलकूप लगे हैं। जिनसे १९६२–६३, १९६३–६४, १९६४–६५ में क्रमशः ३,२२१, २,८९१, ३,६८२ एकड़ जमीन की सिंचाई हुई है। चालू वित्तीय वर्ष में २,९३६ एकड़ जमीन की सिंचाई दिनांक १५–२–६६ तक हो चुकी है।

*४४—श्री बांकेलाल—

क्या सरकार यह भी बतलाने की कृपा करेगी कि देवरिया जिला के सुकरौली ब्लाक के अन्तर्गत ग्राम पिड़रा खोट्ठा, मुड़ेरा, बाबू नवापार, लेहनी, खरौली में ट्यूबवेल लगवाने के लिए हो चुका है ? ट्यूबवेल लगवाने की व्यवस्था अब तक न होने का क्या कारण है ?

श्री गिरधारीलाल—

सुकरौली ब्लाक के अन्तर्गत ग्राम पिड़रा खोट्ठा, मुड़ेरा, बाबू नावापार, लेहनी, खरौली में ट्यूबवेल लगवाने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि उक्त क्षेत्र गन्डक नहर के प्रस्तावित क्षेत्र में पड़ता है।

फतेहपुर जिले में विद्युतीकरण

*४५—श्री रामकिशोर वर्मा (जिला फतेहपुर)—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि फतेहपुर जिले में, विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, टम्पाजार के किन-किन ग्रामों का अब तक विद्युतीकरण हो चुका है ? तथा इस योजना के अन्त तक किन-किन का विद्युतीकरण हो जाने की सम्भावना है ?

श्री गिरधारीलाल—

ग्रामों के विद्युतीकरण की सूची विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अनुसार नहीं रक्खी जाती है। जिला फतेहपुर में जिन ग्रामों का विद्युतीकरण तृतीय पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत अब तक हो चुका है उनके नाम संलग्न सूची में दिए हुए हैं ?

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ६९१ पर)

*४६—श्री रामकिशोर वर्मा—

क्या सिंचाई मन्त्री इस बात की जांच कराकर बताने की कृपा करेंगे कि उक्त विधान सभा निर्वाचित क्षेत्र के सिजौली, मंडराव, लालपूर, जाफरगंज, गढ़ीबारा, आलमगंज अमोली, गीहिरारी . बुढ़बा

बस्ती-मेंहदावल बस सर्विस की मांग

*४७—श्री जगदीशप्रसाद पांडेय (जिला बस्ती—)—

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले में बस्ती से मेंहदावल सड़क पर सरकारी बस चलाने की योजना है? अभी तक इस सड़क पर सरकारी बस न चलने का क्या कारण है?

श्री मुजफ्फर हसन—

जी हां। बसें योजना की स्वीकृति क बाद ही चलाई जा सकेंगी। अस्थायी रूप से रोडवेज से चलाने के हेतु रीजनल ट्रांसपोर्ट अथारिटी, गोरखपुर से दो परमिट देने की प्रार्थना की गयी थी जो अस्वीकार हो गई।

*४८—श्री जगदीशप्रसाद पांडेय—

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त सड़क पर चलाने के लिए किन-किन को कब तक के लिए बसों की परमिटें हैं?

श्री मुजफ्फर हसन—

वांछित सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(देखिए नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ६९२ पर)

जैतीपुर ब्लांक में बिजली लगाने पर विचार

*४९—श्री सुरेन्द्रविक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

क्या सरकार को पता है कि जिला शाहजहांपुर के ब्लाक जैतीपुर में सिंचाई के साधनों का अभाव है और अब काश्तकारों ने निजी ट्यूबवेल बना लिए हैं और वह आयल इंजन से ठीक प्रकार नहीं चल रहे हैं, ऐसी दशा में शासन उपरोक्त ब्लाक में बिजली देने की सोच रही है? यदि हां, तो कब तक?

श्री गिरधारीलाल—

जैतीपुर ब्लाक में बिजली लगाने का प्रश्न विचाराधीन है।

दहगवां ग्राम को बिजली देने की प्रार्थना

*५०—श्री उल्फतसिंह यादव (जिला बदायूं)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बदायूं जिले के विकास खण्ड, दहगवां के ग्राम दहगवां तक बिजली की लाइन पहुंच चुकने के बाद भी उस ग्राम में अब तक बिजली न पहुंचने का क्या कारण है जबकि इसके अभाव में कृषि-कार्यों को क्षति पहुंच रही है?

श्री गिरधारीलाल—

ग्राम दहगवां तक कोई बिजली की लाइन नहीं पहुंचाई गई है, इस ग्राम के समीप गुन्नौर उप विद्युतगृह से ११ के० वी० लाइनों का निर्माण किया जा रहा है और एक ११ के० वी० लाइन ग्राम दहगवां के समीप से हो कर जा रही है।

ग्राम दहगवां के विद्युतीकरण के लिए जांच पड़ताल की जा रही है, उपयुक्त पाए जाने पर इसका विद्युतीकरण शीघ्र किया जायगा।

उक्त ११ के० वी० लाइन जो दहगवां के समीप से जा रही है उससे उपभोक्ताओं को कृषि तथा सिंचाई के लिए बिजली दी जा सकती है।

लखनऊ–न्योतनी बस सर्विस

*५१—श्री गयाप्रसाद (जिला वाराणसी)—

क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ-न्योतनी-जिला उन्नाव मार्ग पर जो प्राइवेट बसें चलती थीं उनका चलना १ जनवरी, १९६६ से बन्द हो गया है? क्या सरकार उक्त मार्ग पर सरकारी बसें चलाने जा रही है? यदि हां, तो कब से?

श्री मुजफ्फर हसन—

जी हां। परन्तु १०–२–६६ से ८–६–६६ तक के लिए इस मार्ग पर स्थायी परमिट पुनः जारी किए जा चुके हैं। इस मार्ग पर सरकारी रोडवेज की बसें चलाने की कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

*५२—आचार्य मोहनलाल तथा श्री मुमताज मुहम्मद खां—

[७वें गरुवार के लिए प्रश्न सं० २५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

स्याना क्षेत्र में नहरों की मरम्मत

*५३—श्री मैनेजरसिंह, आचार्य मोहनलाल तथा श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वर्तमान विधान सभा क्षेत्र स्याना, जिला बुलन्दशहर में नहरों की मरम्मत तथा सफाई में क्या व्यय हुआ था? सन् १९६४ व १९६५ में क्या व्यय और सन् १९५७–५८ में क्या व्यय हुआ था?

श्री गिरधारीलाल—

सन् १९५७–५८ में ३५,८०४ रु० व सन् १९६४–६५ में ३३,३९३ रु० व्यय हुआ था।

*५४—श्री मैनेजरसिंह, आचार्य मोहनलाल तथा श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सन १९५७–५८ में उक्त क्षेत्र के मजदूरों को सिंचाई विभाग से क्या मजदूरी मिलती थी? और सन् १९६४–६५ में क्या मिली?

श्री गिरधारीलाल—

सन् १९५७–५८ तथा १९६४–६५ में दरों की स्वीकृत विभागीय सूची के अनुसार श्रमिकों की मजदूरी १ रु० २५ पैसे से १ रु० ७५ पैसे तक प्रति दिन दी जाती थी। सन् १९५७–५८ में मजदूर १ रु० २५ पैसे की दर पर मिल जाते थे परन्तु सन् १९६४–६५ में मजदूर १ रु० ७५ पैसे की दर पर भी बहुत कठिनाई से मिले।

स्याना क्षेत्र में नलकूप

*५५—चौधरी अब्दुल हसीब खां, श्री मुमताज मुहम्मद खां तथा आचार्य मोहनलाल (जिला बहराइच)—

क्या सरकार १ फरवरी, १९६६ के प्रश्न २८ व २९ के उत्तर के सम्बन्ध में बताने की कृपा करेगी कि ग्राम सोजना झांया व ग्राम इमलिया में कितने बड़े-बड़े नाले हैं?

*५६—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त ग्राम सोजना और उसके निकट स्याना बुलन्दशहर यह जांच कराने के लिए कि वहां एक राजकीय नलकूप का निर्माण किया जाना उचित है या नहीं, मौके का निरीक्षण करने के लिए नलकूप विभाग का कौन-सा अधिकारी कब पहुंचा और क्या उसने यातायात भत्ता सरकार से प्राप्त किया?

श्री गिरधारीलाल—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

महोलिया नहर से पानी न मिलने की शिकायत

*५७—श्री अनीसुर्रहमान, आचार्य मोहनलाल तथा श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि महोलिया माइनर रुहेलखण्ड नहर (डिवीजन) अगस्त, सन् १९६५ से जनवरी, १९६६ तक हर मास कितने-कितने सप्ताह चली? यदि महीनों नहीं चली, तो क्यों नहीं चली?

श्री गिरधारीलाल—

महोलिया माइनर अगस्त व दिसम्बर, में पूरे मास बन्द रही तथा सितम्बर में ७ दिन, अक्तूबर में ३ दिन, नवम्बर में ६ दिन, और जनवरी में ८ दिन चली। इसके कम चलने का कारण यह था कि बैगुल नदी में जिससे इस नहर के लिए (अपर बैगुल नहर द्वारा) पानी प्राप्त होता है, सन १९६५ में घोर सूखे के कारण पानी की बहुत कमी हो गई थी। इस क्षेत्र में सन् ६५ में केवल २५.५ इंच वर्षा हुई जबकि यहां वर्षा का सालाना औसत ६४ इंच है।

फांसी

*५८—श्री मुमताज मुहम्मद खां तथा श्री कमलासिंह यादव—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि (सजायेमौत) मृत्यु दण्ड के सम्बन्ध में जो भद्दा तरीका शरीर के लटकाने का है उसके सम्बन्ध में बिजली तथा गैस का प्रयोग कर मृत्यु दण्ड देने पर विचार करेगी?

श्री सैयद अली जहीर—

जी नहीं। गले से लटका कर फांसी देने के तरीके में भी फांसी पाने वाले को बहुत कम तकलीफ, होतीहै। इसलिये उसमें रद्दोबदल करने के सवाल पर विचार करने की जरूरत नहीं मालूम होती।

जिला जजी देवरिया का मुहाफिजखाना

*५९—श्री चन्द्रबलीसिंह—

क्या सरकार को ज्ञात है कि देवरिया और बस्ती दोनों जिलों में दीवानी कचहरी के मुहाफिज खाने बन कर तैयार हो गये हैं? दोनों जिलों के दीवानी की मिसिलें गोरखपुर से इस मुहाफिज खानों में कब तक आ जावेंगी?

श्री सैयद अलीजहीर—

जिला जजी देवरिया में मुहाफिज खाना बन चुका है तथा गोरखपुर से मिसलें आदि देवरिया के मुहाफिज खाने में लाने के लिये जिला जज गोरखपुर से पत्र-व्यवहार चल रहा है। निकट भविष्य में मिसलों आदि के देवरिया आ जाने की आशा है।

जिला जजी बस्ती के बारे में सूचना अभी जिला जज से प्राप्त नहीं हो सकी है।

रोडवेज डिपो, गोंडा की गाड़ियां

*६०—श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जनपद गोंडा में रोडवेज गोंडा डिपो में गत ६ माह से कितनी गाड़ियां चालू हालत में हैं? और कितनी बस गाड़ियां खराब हालत में हैं? उनके खराब पड़े रहने का क्या कारण है?

श्री मुजफ्फर हसन—

अगस्त, १९६५ से जनवरी, १९६६ तक की अवधि के सम्बन्ध में सूचना सदन की मेज पर रख दी गई।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ६९३ पर)

*६१—श्री गंगाप्रसाद—

क्या यह सत्य है कि कुछ बस गाड़ियां उक्त अवधि में ऐसी हैं जिनकी बेटरी बिल्कुल नहीं है और जिनसे बस गाड़ियां आये दिन मार्ग पर खड़ी हो जाती हैं? यदि हां, तो पूरा विवरण-पत्र सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे?

श्री मुजफ्फर हसन—

जी नहीं। शेष प्रश्न नहीं उठता।

*६२—श्री गंगाप्रसाद—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त अवधि में गोंडा डिपो के सम्बन्धित अधिकारियों ने बार बार लिखने तथा टेलीफोन एवं स्वयं विभागीय अधिकारियों से मिलने पर इस पर कोई ध्यान नहीं दिया? यदि हां, तो क्यों?

श्री मुजफ्फर हसन—

जी नहीं। शेष प्रश्न नहीं उठता।

*६३–६४—श्री रघुनाथसिंह—

[७वें मंगलवार के लिये स्थगित किये गये।]

*६५–६६—श्री रामकिंकर (जिला प्रतापगढ़)—

[७वें मंगलवार के लिये स्थगित किये गये।]

अतारांकित प्रश्न

मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट के अन्तर्गत क्लेम ट्रिब्यूनल

१—श्री नाथूराम शिक्षक—

क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट की धारा ११० के अनुसार क्लेम ट्रिब्यूनल प्रदेश में अभी तक स्थापित नहीं किया गया? यदि हां, तो क्यों?

श्री मुजफ्फर हसन—

जी हां। ट्रिब्यूनल की स्थापना को कार्यान्वित करने के सम्बन्ध में विचार चल रहा है।

सोजना झांया ग्राम में नलकूप

२—श्री सुरेन्द्रविक्रम तथा श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विधान सभा क्षेत्र स्यानो, जिला बुलन्दशहर के ग्राम सोजना झांया में क्या राजकीय नलकूप के निर्माण पर साधारण लागत से कुछ अधिक लागत व्यय होगी? यदि हां, तो कितनी अधिक?

श्री गिरधारीलाल—

जी हां। लागत का सही अन्दाजा विस्तृत सर्वेक्षण के बाद ही लग सकता है।

सैनिकों को कानूनी सहायता

३—श्री मुमताज मुहम्मद खां तथा आचार्य मोहनलाल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या सरकार राज्य के भारतीय सैनिकों को राज्य की ओर से उनके मुकद्दमें में मुफ्त कानूनी मदद देने पर ध्यान देगी? यदि हां, तो कब तक आदेश जारी कर देगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सैयद अली जहीर—

आर्थिक कठिनाइयों के कारण इस प्रकार की कोई भी योजना चलाने में सरकार इस समय असमर्थ है।

नलकूप क्षेत्र, बुलन्दशहर में असिस्टेंट इंजीनियर

४—श्री मुमताज मुहम्मद खां तथा आचार्य मोहनलाल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि टयूबवेल डिवीजन, बुलन्दशहर में कितने असिस्टटेंट इंजीनियर्स ऐसे हैं जो कि उक्त डिवीजन में तीन वर्ष से अधिक से सेवा कर रहे हैं और उनका किस प्रशासनिक आवश्यकता के अनुसार वहां से स्थानान्तरण नहीं किया गया?

श्री गिरधारीलाल—

केवल एक असिस्टेंटट इंजीनियर ऐसे हैं। उनका स्थानान्तरण जून १९६५ में किया गया था किन्तु उस समय उनकी कुछ व्यक्तिगत कठिनाइयों को देखते हुए स्थानान्तरण रोक दिया गया था।

कालागढ़, जिला बिजनौर के श्रमिकों पर गोली चलाये जाने के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव एवं नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

कालागढ़ के सम्बन्ध में पहले भी एक सूचना आई थी जिसके ऊपर कल माननीय श्रम मंत्री जी वक्तव्य देंगे। इसी सिलसिले में मालूम होता है कि वहां की परिस्थिति गम्भीर हो चुकी है। आज भी नियम ५२ के अन्तर्गत इसी विषय पर कई सूचनायें आई हैं और काम रोको प्रस्ताव भी माननीय उग्रसेन, राधेश्याम शर्मा और काशीनाथ जी का आया है और जहां अन्य सूचनाओं का प्रश्न है वह माननीय यादवेन्द्रदत्त, काशीनाथ मिश्र जी, हरिनाथ तिवारी एडवोकेट, चन्द्रजीत यादव जी, नेकराम शर्मा जी, रघुवीर राम जी, ऊदल जी तथा शराफत हुसैन जी का है। कल माननीय मंत्री जी का वक्तव्य सुन लीजिये।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने काम रोको प्रस्ताव इसलिये दिया है कि सदन का काम स्थगित किया जाय। वहां गोली चली है और पी० ए० सी० लगी हुई है। फैक्ट्री की तालाबन्दी तो सुनी है लेकिन यह चीफ इंजीनियर रामगंगा की तालाबन्दी हो रही है।

श्री अध्यक्ष—

कल देख लीजिये।

श्री झारखण्डे राय (जिला आजमगढ़)--

श्रीमन्, हमारा आग्रह यह है कि जब काम रोको प्रस्ताव आये हैं तो उनको काम रोको प्रस्ताव के रूप में ही स्वीकार करें, क्योंकि वहां तीन आदमी गोली से मरे हैं और प्रश्न काफी गम्भीर है। जैसी घटनायें बंगाल और पंजाब में हुई हैं कहीं उनकी लपट यू० पी० में न आ जाये। इसलिये जरूरत है कि आप इनको काम रोको प्रस्ताव के रूप में ही स्वीकार करें।

श्री अध्यक्ष--

मेरा निवेदन यह है कि कल माननीय मंत्री जी का वक्तव्य सुन लीजिये। फिर निश्चय कर लेंगे।

श्री उग्रसेन--

देखिये कितने तार आये हैं। फिर तो काम रोको प्रस्ताव का महत्त्व ही चला जायेगा।

श्री अध्यक्ष--

कल उनका बयान सुन लीजिये। फिर हम देख लेंगे।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)--

श्रीमन्, आप इसको कल के लिये स्थगित कर दें क्योंकि नियम ५२ में लेने से कोई लाभ नहीं होगा। पार्लियामेंट में बंगाल और केरल के ऊपर काम रोको प्रस्ताव स्वीकार किया गया और उस पर वहां बहस हुई। आप इस नियम ५२ में न लें और इस पर बात करने के बाद निर्णय लीजिये।

श्री अध्यक्ष--

जहां तक मैंने लोक सभा के नियमों को देखा है, वहां पर स्पष्ट रूप से यह उपबन्धित है कि बजट तथा राष्ट्रपति के भाषण के ऊपर बहस के समय भी काम रोको प्रस्ताव तथा विशेष विधेयक विचारार्थ लिये जा सकते हैं। वहां पर तो ऐसा साफ उपबन्ध है, लेकिन हमारे यहां नियमतः वह नहीं लिया जा सकता है, तो भी मैं कह रहा हूं कि कल बयान होने के बाद उस पर हम इस सम्बन्ध में निर्णय करेंगे।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--

आप श्रम मंत्री जी से यह भी कह दें कि जब बयान दें तो गोली की भी चर्चा कर दें।

श्री अध्यक्ष--

जो मैंने कहा, तो आज की सभी सूचनाएं मैं उन्हीं के पास भेजे दे रहा हूं।

जिला अलीगढ़ के सिंचाई अधिकारियों के विरुद्ध श्री सुखरामसिंह, पतरौल द्वारा अनशन के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष--

एक सूचना मैंने वक्तव्य के लिये सर्वश्री नेकराम शर्मा, जेड० ए० अहमद, ऊदल, भगवान सहाय, सन्तसिंह यूसुफ, नियजयपाल सिंह और बालोजी अग्रवाल की ली है। उसमें यह है कि जिला अलीगढ़ के सिंचाई के अधिकारियों के जुल्मों के कारण श्री सुखराम सिंह, पतरौल, कोठी नहर सिकन्दर राऊ (अलीगढ़) ९ मार्च, ६६ से भूख हड़ताल कर रक्खी है। अधिकारियों के कारण ५ पतरौल अपनी-अपनी नौकरी से इस्तीफा दे चुके हैं, दो पतरौल मुअत्तल चल रहे हैं।

[श्री अध्यक्ष]

अत्याचारों के कारण और भी पतरौल भूख हड़ताल में शामिल होने वाले हैं। उपरोक्त अधिकारी असिंचित जमीन को सिंचित दिखाने के लिये दबाव डालते हैं और रिकार्ड बीट कराते हैं जिससे किसानों की परेशानी बढ़ती है।" मंत्री जी इस पर कब आप बयान दे दीजियेगा।

विद्युत उपमंत्री (श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा)--

बृहस्पतिवार को दे देंगे।

इलाहाबाद जिले में तथाकथित सूखा पड़ने से सम्बन्धित रिपोर्ट के बारे में जानकारी

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)--

श्रीमन्, गेंदासिंह जी इलाहबाद से वापस लौट आए हैं, जो वहां की स्थिति का अध्ययन करने के लिए सदन के आग्रह पर मुख्य मंत्री जी द्वारा भेजे गये थे। अब इलाहाबाद की स्थिति के बारे में रिपोर्ट सदन में आनी चाहिये। मैं आपके द्वारा मुख्य मंत्री जी से, जो कि इस समय सदन में मौजूद हैं, आग्रह करूंगा कि क्या उन्होंने आपको अपनी रिपोर्ट दे दी है? और उस पर आप क्या कार्यवाही की है। क्योंकि गेंदासिंह जी का बयान अखबारों में आ चुका है और आप ने उस पर क्या बिचार किया है, यह जानकारी सदन में दे दें।

मुख्य मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)--

अगर बाकायदा रिपोर्ट चाहिये तो हम सदन में दे देंगे और यदि एक दो शब्दों में चाहें..

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--

यदि मुख्य मंत्री जी माननीय टम्बेश्वर प्रसाद जी के कहने पर बयान देने लिये खड़ी हो गयी हैं, तो वह विस्तृत बयान ही दें।

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

मुझे याददाश्त जितनी है उतनी कह दूंगी और पूरा बयान तो बाद में दे दूंगी। अच्छा, अब कल ही पूरा बयान मैं दे दूंगी।

श्री उग्रसेन--

उस बयान पर बहस भी होगी, श्रीमन्।

नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ अन्य सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

श्री मतोलासिंह की नियम ५२ की सूचना राजस्वमंत्री के पास कार्यवाही हेतु भेजी गयी। एक सूचना श्री चन्द्रबली सिंह, रामआसरे वर्मा, बांकेलाल और गिरिजा प्रसाद की है, यह भी मंत्री जी के पास कार्यवाही हेतु भेजी जाती है।

इलाहाबाद जिले में तथाकथित सूखा पड़ने से सम्बन्धित रिपोर्ट के बारे में जानकारी

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--

श्रीमन, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न यह है कि आज ही हम लोगों ने गेंदासिंह जी का इलाहाबाद के बारे में बयान पढ़ लिया है अखबारों में। उनकी भावना को हमने पढ़ लिया। तो क्या मुख्य मंत्री जी कोई नई बात कहेंगी।

श्री अध्यक्ष---

आपने उनसे आग्रह किया, बयान देने के लिये और उन्होंने उसे स्वीकार कर लिया है, अब वह क्या कहेंगी, यह बाद में मालूम होगा। कल वह पूरा बयान दे देंगी, तब आप देख लीजियेगा।

श्री काशीनाथ मिश्र, (जिला बलिया) ---

जिस पर मुख्य मंत्री जी का सदन में बयान होने को था, उस पर गेंदासिंह जी ने पहले ही बयान अखबारों में दे दिया है, तो क्या ऐसी हालत में मुख्य मंत्री जी को उनके खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिये।

विद्युत उपमंत्री (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)---

बैठ जाइये, आप किससे पूछकर बोल रहे हैं, आपके खिलाफ भी कार्यवाही होनी चाहिये।

गाजीपुर जिले के सिंचाई विभाग द्वारा रेवतीपुर गांव में एक रिंग बन्धा शुरू करके अधूरा छोड़ने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

*विद्युत उपमंत्री (श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा)---

गाजीपुर जिले की जमनिया तहसील में २ मील १ फर्लांग लम्बे रेवतीपुर रिंग बांध का निर्माण ५८,०६३ रुपये की अनुपातिक लागत से हो रहा है। कुछ स्थानों पर कार्य अपूर्ण है और वहां पर मिट्टी पड़ रही है लेकिन आवागमन में इसके कारण कोई रुकावट नहीं है। उसकी वजह से गांव की आर्थिक जिन्दगी एवं स्वास्थ्य पर भी कोई संकट नहीं है। जहां पर मिट्टी का काम शेष रह गया है उसे पूर्ण करने का प्रयास किया जा रहा है। कोई भी मिट्टी का अव्यवस्थित ढेर जमा नहीं किया गया है।

दर्जनों पुल नहीं बल्कि ३ पुल तथा ३ रेगुलेटर का निर्माण हो चुका है। जिन पर मिट्टी का कार्य चल रहा है जो ३१ मार्च, १९६६ तक पूर्ण हो जायेगा।

उस बांध के निर्माण में संबंधित कृषकगण द्वारा मिट्टी देने में आपत्ति रही जिसमें से श्री इन्द्रदेव राय इत्यादि ने यह कार्य बन्द करने के लिये कोर्ट से आदेश करा दिया था। कोर्ट से अभी तक फिर से कार्य शुरू करने का कोई आदेश नहीं आया है। श्री इन्द्रदेव राय ने कोर्ट से मुकदमा वापस ले लेने के लिये लिखित सूचना इस विभाग को दी है। परन्तु जब तक कोर्ट से आदेश प्राप्त नहीं होता इस पर कार्य करना सम्भव नहीं है।

फरवरी, १९६६ तक ३५,७७१.७३ रु० व्यय हो चुका है। शेष धनराशि मार्च, १९६६ तक शेष कार्यों को पूर्ण करने में व्यय हो सकती है यदि कोर्ट से काम करने का आदेश शीघ्र प्राप्त हो जाय। लाखों रुपये के वापस करने का प्रश्न नहीं उठता, परन्तु यदि कोर्ट से आदेश प्राप्त न हुये तो लगभग २२,००० रुपया वापस होने की सम्भावना हो सकती है।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)---

क्या माननीय मंत्री जी को यह जानकारी है कि रेवतीपुर गांव प्रदेश के इमेंगिने दो चार बड़े गांवों में से एक है और इसकी आबादी १८ हजार है लेकिन गंगा के कछार में होने के कारण पानी वहां चला जाता है और इसी दृष्टि से यह योजना स्वीकार की गयी थी? क्या मंत्री जी बतायेंगे कि बांध निर्माण का कार्य किस तारीख से शुरू हुआ और कब यह योजना बनायी गयी थी?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

यह तो सूचना नहीं है कि किस तारीख से काम शुरू हुआ था लेकिन यह सूचना है कि बड़ा गांव समझ कर ही यह स्कीम बनायी गयी थी कि इसके चारों तरफ रिंग बांध हो। उस पर काम काफी हो गया था। इस बीच में गांव वालों ने मिट्टी नहीं डालना चाहा और उन्होंने कोर्ट में मुकदमा दायर कर दिया। कोर्ट ने आदेश दे दिया है कि मिट्टी नहीं उठाई जा सकती। अब मिट्टी नहीं उठाई जा सकती तो काम कैसे चल सकता है। कोर्ट का आर्डर अभी विभाग के पास नहीं आया है जब वह आयेगा तब इस पर विचार किया जायगा कि क्या हो।

श्री कृष्णानन्द राय--

सन् ६३ में इस बांध को बनाने का कार्य आरम्भ हुआ था और पिछले दो-ढाई सालों तक यह बड़े उपेक्षित ढंग से बांधा जाता रहा है और आज आपको यह सूचना प्राप्त हुई है कि कोई अव्यवस्थित ढेर नहीं जमा है तो क्या सरकार जानकारी करायेगी कि आज १०, १५ या २० दिन पहले वहां ढेर था और उसके फेंके जाने के कारण ११ वर्ष और ५ वर्ष के दो बच्चे, एक सूरज अहीर और एक दूसरे का बच्चा है, दो बच्चे मर गये। अभी परसों उन दोनों बच्चों की लाश प्राप्त हुई है। तो ऐसी स्थिति में क्या मंत्री जी जानकारी करायेंगे कि यह ढेर सिंचाई विभाग का था और इसके कारण मृत्यु हुई तो क्या कम्पेंसेशन मृतक व्यक्तियों के परिवार वालों को दिलायेंगे ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

कम्पेंसेशन देने बात तो नहीं है लेकिन माननीय सदस्य वहीं के रहने वाले हैं और आप कह रहे हैं कि आप जानते हैं तो हम उस बात को सही समझते हैं और इसका हमको बड़ा भारी दुख है। इसके सिवाय और मैं क्या कहूं।

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)--

कितने पुलों का निर्माण किया जा चुका है और कितनी सड़क बनाई जा चुकी है जो उस गांव को घेरने के लिये बनायी गयी थी ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

यह एक छोटा-सा रिंग बान्ध है जिस पर ३ पुल बनाये गये हैं और ५२, ५३ हजार का काम होना है।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)--

क्या माननीय मंत्री जी इस बात को देखते हुये कि सिंचाई विभाग ने जो कार्य ३ साल से शुरू किया वह अब तक नहीं हो पाया है, चारों तरफ मिट्टी पड़नी थी और कोई वहां पर आउट-लेट नहीं था जिस से पानी की निकासी हो सके और जिस से यह बच्चों के मरने की घटना हुई तो विभाग को ऐसा आदेश देंगे। जिस से यह कार्य जल्द से जल्द पूरा हो सके और लेवलिंग हो कर आउट लेट का इन्तजाम हो सके ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

जरूर आदेश देंगे, बल्कि इस बात का प्रयास करेंगे कि यह काम जल्द पूरा हो और इस बात का भी प्रयास करेंगे कि कोर्ट से जो आदेश नहीं मिला है उसमें भी जल्दी हो जाय।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि रिंग बान्ध का कितना काम वर्क आर्डर पर और कितना टेंडर से हुआ है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

यह छोटा सा काम है, केवल ३० हजार का काम है ।

श्री उग्रसेन--

मैं यह जानना चाहता हूं कि मिट्टी डालने का जो काम इस पर किया गया है उसमें कितना काम वर्क आर्डर से हुआ है और कितना काम टेंडर से पूरा किया गया है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

आपने मुझसे वक्तव्य मांगा था उसमें मेरे पास इतनी डिटेल नहीं है ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)--

मैं यह जानना चाहता हूं कि जिस समय वह बच्चे मरे थे उस समय उनके निकालने का प्रयत्न किया गया था ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

बच्चों के बारे में मरने की सूचना अभी मेम्बर साहब दे रहे हैं ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद--

क्या माननीय मंत्री जी इस बात की जांच करेंगे कि उन बच्चों की मृत्यु किस कारण से हुई और उनके घर वालों को सहायता देंगे ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

यह तो हमको अभी सूचना मिली है । आप प्रश्न कर दें तो सूचना सब मिल जायगी ।

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)--

मैं यह जानना चाहता हूं कि जिन बच्चों की मृत्यु हुई है उनके परिवार वालों को आर्थिक सहायता देंगे या नहीं जो कि आपके विभाग के लोगों की लापरवाही के कारण हुई है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

यह जानकर दुख है कि दो बच्चों की इस से मृत्यु हो गई । जहां तक सहायता देने की बात है वह तो नियम के अन्दर यदि वह क्लेम करेंगे तो विचार किया जायगा और जो नियम के अन्दर हो सकता है वह किया जायगा ।

श्री झारखण्डेराय (जिला आजमगढ़)--

मुझे इस बात की जानकारी है कि बहुत से बान्ध बनने से पानी के स्वाभाविक प्रवाह में अवरोध पैदा हो जाता है तो यहां पर रेवतीपुर रिंग बान्ध में जो पानी का ढलान है वहां पर पानी का बहना रुक जायगा तो यहां पर कोई साइफन बनेगा जिससे गांव में पानी न भरे और बांध में न रुके ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

इसमें ३ रेगुलेटर बनाये गये हैं जिस से पानी निकल जाय ।

श्री कृष्णानन्द राय--

क्या माननीय मंत्री जी इस बात को स्पष्ट करेंगे कि ८ हजार की लागत से जो यह बांध बन रहा है उसमें अभी तक ३५ हजार रुपया ही व्यय हो पाया है तो शेष २४,२५ हजार अगले एक मास में कैसे व्यय हो जायगा ? मेरे कहने का मतलब यह है कि ३ वर्ष में तो ५० फीसदी व्यय हो पाया है तो एक मास में २५ हजार रुपया कैसे व्यय हो जायगा ?

श्री शान्तिस्वरूप शर्मा—

मेरा आप से निवेदन है कि उस काम को करने के पूर्व पहले उसका सर्वे हुआ, फिर पुल बनाने पड़े और उसके बाद रेगुलेटर भी बनाने पड़े और इन सब कामों में ज्यादा समय लगता ही है। मिट्टी डालने का काम तो बाद में भी हो सकता है, तो जो काम देरी का था वह पहले हो गया। उन सब चीजों का नक्शा मेरे पास है, अगर आप चाहें तो उसे देख सकते हैं।

कालागढ़, जिला बिजनौर के श्रमिकों पर गोली चलाये जाने के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव एवं नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनाएं (क्रमागत)

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—

श्रीमन्, मेरा आपसे निवेदन है कि नियम ५२ के अन्तर्गत कल आपने कालागढ के सम्बन्ध में जो वक्तव्य के लिये रखा है, मेरा आप से निवेदन है कि विषय की गम्भीरता को देखते हुये आप कम से कम हम लोगों को क्लैरिफिकेशन का मौका दे दिया करें, तो अच्छा हो।

श्री अध्यक्ष—

हां, वह होगा।

स्वतन्त्र पार्टी विधान मण्डलीय दल के नये पदाधिकारियों के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष—

स्वतंत्र पार्टी के चुनाव के सम्बन्ध में यह सूचना आयी है कि दिनांक १३ मार्च, १९६६ को स्वतंत्र पार्टी विधान मंडलीय दल की बैठक में निम्न पदाधिकारियों का सर्वसम्मति से चुनाव हुआ। कृपया सदन में सुनाने हेतु प्रस्तुत।

नेता	..	श्री राम अधार कनौजिया,
उपनेता	..	श्री बलवीर सिंह,
मंत्री	..	श्री चैतन्यराज सिंह,
उपमंत्री		श्री मंगल प्रसाद,
कोषाध्यक्ष	..	श्री प्रेम सिंह,
मुख्य सचेतक	..	श्री चिरंजी लाल।

इसमें केवल ७ सदस्यों के हस्ताक्षर थे, तो मैंने यह सोचा कि इस सम्बन्ध में और अन्वेषण हो जाय। उसके बाद मेरे पास एक पत्र आया जो श्री एम० आर० मसानी, जेनरल सेक्रेटरी, स्वतंत्र पार्टी का है। उन्होंने यह सूचना मेरे पास भेजी है कि जो बैठक हुई और जिसमें विधान मंडलीय नेताओं का चुनाव किया गया, वह अनियमित थी और पार्टी के जो नियम हैं उसके विरुद्ध थी। यह सूचना मुझे प्राप्त हुई। इसके अनन्तर कल मेरे पास स्वतंत्र पार्टी के ११ सदस्यों में से ९ सदस्यों से हस्ताक्षरित एक प्रार्थना-पत्र आया जिस से उस कार्यवाही की जो १३ तारीख को हुई, पुष्टि होती है। जहां तक मुझे मालूम हुआ है दोनों सदनों में स्वतंत्र पार्टी के केवल १४ सदस्य हैं और १४ में से ११ तो एक पक्ष के हैं और अब यह कि यह बैठक अनियमित हुई है या स्वतंत्र पार्टी का जो संविधान है उसके विरुद्ध हुई है तो मैं समझता हूं कि यह पार्टी का आन्तरिक मामला है और उन्हीं को उस सम्बन्ध में अपनी कार्यवाही करनी चाहिये। जहां तक मेरा सवाल है, इसको देखते हुये कि इस समय जो सूचना मुझे पार्टी द्वारा प्राप्त हुई है जिसमें नेता—श्री राम अधार कनौजिया, उपनेता—श्री बलवीर सिंह, मंत्री श्री चैतन्यराज सिंह, उपमंत्री—श्री मंगल प्रसाद, कोषाध्यक्ष—श्री प्रेम सिंह और मुख्य सचेतक श्री चिरंजी लाल चुने गये हैं, इसको स्वीकार कर रहा हूं।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

आपको मसानी साहब के पत्र का यहां जिक्र नहीं करना चाहिये था ।

श्री अध्यक्ष—

क्यों नहीं करना चाहिये था ? जरूर करना चाहिये था ।

१९६६–६७ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान—

अनुदान संख्या ३—राज्य आबकारी

चिकित्सा मंत्री (श्री दाऊदयाल खन्ना)—

अध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३—राज्य आबकारी के अन्तर्गत ४२,११,१०० रुपये की मांग वर्ष १९६६–६७ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३—राज्य आबकारी के अन्तर्गत ४२,११,१०० रुपये की मांग वर्ष १९६६–६७ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और विभाजन की मांग होने पर घंटी बजायी गयी ।)

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

श्रीमन्, इस पर जल्दी से वोट ले लिया जाय वरना दड़ी गड़बड़ हो जायगी । माननीय शर्मा जी जा रहे हैं । क्या यह चौपाल है ?

श्री अध्यक्ष—

इस पर वोटिंग होगी । आप धैर्य रखें ।

श्री उग्रसेन—

माननीय बनारसी दास जैसे मंत्री भी देर से आ रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष—

यह चिकित्सा का विषय है । आपके और हमारे सब के लाभ के लिये है ।

श्री उग्रसेन—

आबकारी तो हमारे आपके लिये हानिकारक ही है ।

(घंटी बन्द होने पर)

श्री उग्रसेन—

देखिये । लोग अभी भी आ रहे हैं । यह ठीक नहीं है ।

श्री अध्यक्ष—

यह लोक सभा और सभी जगह का निर्णय है कि सभा कक्ष जो हैं वे सदन का अंश माने गये हैं ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३—राज्य आबकारी के अन्तर्गत ४२,११,१०० रुपये की मांग वर्ष १९६६–६७ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ--
पक्ष में--९१,
विपक्ष में--६८ ।)

अनुदान संख्या १८--चिकित्सा तथा अनुदान संख्या १९--सार्वजनिक स्वास्थ्य

श्री दाऊदयाल खन्ना--

अध्यक्ष महोदय, श्री राज्यपाल की सिफारिश से और आपकी आज्ञा से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १८--चिकित्सा के अन्तर्गत १०,०८,८८,८०० रुपये की मांग वर्ष १९६६-६७ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १९--सार्वजनिक स्वास्थ्य के अन्तर्गत ९,९३,३९,४०० रुपये की मांग वर्ष १९६६-६७ के लिये स्वीकार की जाय ।

अध्यक्ष महोदय, हमारा प्रदेश जनसंख्या के एतबार से काफी महत्व रखता है और उसके स्वास्थ्य की जिम्मेदारी इस विभाग के ऊपर है । अपने प्रदेश की तरक्की के लिये स्वास्थ्य जरूरी है । स्वस्थ जितना इंसान होगा उतना ही वह हर शोबे में--खेतीबाड़ी में, उद्योग धंधों में--तरक्की कर सकेगा । इसलिये इस सरकार की हमेशा यह कोशिश रही है कि जितने भी उसके पास साधन हैं उनको इस तरह से इस्तेमाल कर सके कि अपने प्रदेश के स्वास्थ्य को अच्छा बना सकें ।

यह तो बजट की मांग मैंने प्रस्तुत की, यह हो सकता था कि कुछ ज्यादा होती, लेकिन अभी पाकिस्तान के सिलसिले में देश में इमरजेन्सी लागू हुई । उसकी वजह से हमारे बहुत से खर्चे कम किये गये और मेडिकल बजट भी उसमें से ऐसा रहा कि बहुत सी योजनायें कटीं । इसलिये हम जितना पैसा चाहते थे उतना नहीं रख पाये ।

मैं शुरू में अर्ज कर दूं कि मैं खुद मानता हूं कि जितनी आबादी हमारे प्रदेश की है उसके लिहाज से जितना पैसा हमें मेडिकल और पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट पर खर्च करना चाहिये उतना नहीं कर रहे हैं । कई प्रदेशों में हम से ज्यादा खर्चा उनके मेडिकल बजट पर होता है । तो हमें सोचना होगा कि क्या इतने कम रुपये से हम अपने प्रदेश की जनता को सहूलियत दे पायेंगे जो हम देना चाहते हैं । यह तो हमारे साधनों की बात है । ज्यों ज्यों साधन ज्यादा उपलब्ध होंगे, हम कोशिश करेंगे कि कि इस सेगे में ज्यादा से ज्यादा खर्च कर सकें । लेकिन पिछले आंकड़ों से आपको जाहिर होगा कि लगातार हमारा इस बात का प्रयास रहा है कि हम ज्यादा से ज्यादा रुपया रख सकें । सन् १९६४-६५ में १६ करोड़ ५९ लाख कुछ हजार रुपया इसके लिये प्रोवाइड किया गया और १९६५-६६ में १९ करोड़ ७५ लाख कुछ हजार रुपये रखे गये । १९६६-६७ के लिये २० करोड़ ६९ लाख कुछ हजार रुपये हमने रखे हैं । इस से यह जाहिर होता है कि यह रकम हम बराबर बढा रहे हैं । यद्यपि जितनी बढ़ानी चाहिये, उतनी नहीं बढ़ा पाये हैं । उसका कारण मैंने जैसा बताया इमरजेन्सी रही ।

अध्यक्ष महोदय, १९५१ में हमारे प्रदेश में एक व्यक्ति पर ५१ पैसा ही इस मद में खर्च होता था, आज २.६७ रुपये खर्च होते हैं । हमारा प्रयास यही रहा है कि जितना ज्यादा से ज्यादा पैसा हम लगा सकें स्वास्थ्य सेवा की ओर उतना प्रदेश के लिये अच्छा है ।

मान्यवर, स्वास्थ्य का जहां तक सम्बन्ध है, स्वास्थ्य हम दो तरीके से ठीक रख सकते हैं । एक तो यह कि जो बीमारी फैलती हो उसकी रोकथाम करके, दूसरे जिसको बीमारी हो जाय

उसे दवा दे कर, उसका इलाज करके। जहां तक इलाज द्वारा सुविधा पहुंचाने का सम्बन्ध है हमारे यहां जो अस्पताल हैं, चाहे वह ऐलोपैथिक के हों, आयुर्वेदिक हों, या होम्योपैथिक हो, उसके द्वारा यह कार्य होता है। जहां तक बीमारी रोकने का सम्बन्ध है यह कार्य अन्य बहुत से तरीकों द्वारा किया जाता है। हम ज्यादातर पैसा इस समय इलाज पर ही खर्च कर रहे हैं। अगर ज्यादा पैसा हम बीमारियों की रोकथाम में खर्च करें तो ज्यादा लाभ हो सकता है। किन्तु अभी हम ज्यादा पैसे का इन्तजाम नहीं कर सके हैं। हमारी यह कोशिश है कि इलाज पर पैसा हम खर्च करके बीमारी की रोकथाम में पैसा ज्यादा खर्च करें। इस वक्त जो हमारे साधन हैं वह सभी हमारी ज्यादा मदद नहीं कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, मलेरिया एक ऐसी बीमारी है हमारे देश और प्रदेश में थी कि जिस से सबसे ज्यादा आदमी हमारे यहां मरते थे। लेकिन इसको रोकने के लिये हमारे यहां जो कार्य हुआ है वह काफी प्रशंसनीय है। अपने प्रान्त में भी हम इसको रोकने में काफी सफल हुये हैं। हमारा प्रदेश चूंकि पिछड़ा हुआ प्रदेश है, इसलिये यहां यह बहुत जरूरी है कि अपने यहां इस प्रकार की बीमारियों को रोका जाय। यही सबसे ज्यादा प्रदेश के हित में है। ग्रामीण जनता के भी हित में यही है कि इस प्रकार की बीमारियों को रोका जाय। इस समय हमारे प्रदेश में ६७ यूनिट हैं जो मलेरिया के रोकथाम के लिये अपना कार्य करती हैं। ३६ तो मेन्टीनेन्स फेज में हैं। यह इस बात को देखती हैं कि जो काम हमने किये हैं वह बरकरार रहें, उसमें कोई खराबी न आने पाये। जहां कहीं इस प्रकार की बीमारी फैलने की शिकायत मिले तुरन्त वहां जाकर उपयोगी कदम उठायें, ३१ ऐसी हैं जो, जिन एरियाज में काम इसका पूरा नहीं हुआ है, अधूरा हुआ है, उसको पूरा करने में लगी हुई है। जब यह सब जगह काम पूरा हो जायेगा, तभी पूरी तरह से हम इस पर काबू पा लेंगे। इस बजट ईयर में १८३ लाख रुपया इस पर खर्च किया जायेगा।

दूसरी मिसाल मैं आपको दूं स्माल पाक्स जिससे काफी प्रदेश की जनता को परेशानी रहती आई है। यह कार्य ६२–६३ में हमारे प्रदेश में शुरू हुआ इसकी रोकथाम का और आज हमारे ५४ जिलों में यह हालत है कि हम लगभग ८० से सौ फी सदी तक इसका टीका लगाने में कामयाब हो गये हैं। टीका लगाने की बात ऐसी है कि यह बच्चों और स्त्री, पुरुष सबको लगाया जाता है और जबरदस्ती टीका लगाया नहीं जा सकता। परन्तु हमारा यह कार्य अच्छे तरीके से और व्यवस्था से हुआ। इस रोग के जो विशेषज्ञ हैं उनका कहना है कि हर छठे साल यह बीमारी जोर पकड़ा करती है। इस पर रिसर्च हो रही है और जब यह चीज सामने आयेगी तो उसका इलाज होगा। यह जो हमारा कार्य हुआ चेचक के सिलसिले में ८० से १०० फी सदी तक हम टीका लगा सके उसकी एक खास वजह यह रही कि वह जो साइकिल ६४–६५ में आने वाली थी वह नहीं आ पाई और उतनी तेजी से बीमारी जैसा कि हर छठे और सातवें साल फैलती थी, वह नहीं फैल पायी। हमारा यह काम जारी रहेगा। जिन लोगों को हम टीका लगा चुके हैं उनको हर तीसरे वर्ष टीका लगाना चाहिये। जो नये बच्चे पैदा हों उनको तो टीका लगेगा ही। इस कार्य के लिये हमारे प्रदेश में जो हेल्थ विभाग के कार्यकर्त्ता काम करते हैं उसका बराबर खर्चा रहेगा और उसका इन्तजाम इस बजट के द्वारा होता रहेगा। ६६–६७ के बजट ईयर के लिये इस कार्य के निमित्त ३५ लाख रुपया रक्खा गया है।

दूसरी बीमारी हमारे प्रदेश में टी० बी० की है। यह रोग ऐसा है कि अगर इस से बचने का उपाय हो जाय तो आगे के लिये उसकी रोकथाम आसानी से हो सकती है। इसका इलाज मुश्किल है लेकिन आज जो दवायें ईजाद हो चुकी हैं उसकी वजह से यह मुमकिन हो गया है कि अगर रोग कोई खास सीमा को पार न कर चुका हो तो रोगी अच्छा हो सकता है। जब ये दवायें ईजाद नहीं हो पायी थीं तो यह जरूरी समझा जाता था कि दूध खिलाइये, मक्खन खिलाइये, वगैरह, वगैरह। पर आमतौर पर यह समझा जाता था कि यह रोगी जाने वाला है। पर आज जो दवायें ईजाद हुई हैं, आदमी जो भी खाता हो, अपने घर में रोजाना एक खूराक खाये साथ-साथ जो डाक्टर दवा दे उसको रेगुलरिली कम से कम साल भर तक

[श्री बाऊदयाल खन्ना]

खानी चाहिये। अगर वह इस तरह से दवा का सेवन करे तो आराम हो सकता है और घर बैठे बैठे आराम हो जायेगा। इसलिये आज जोर इस बात पर दिया जाता है कि चूंकि हम सब मरीजों को अस्पताल में नहीं भेज सकते हम इतनी बेड्स नहीं कायम कर सकते कि सबको भरती कर दें। इसलिये हम उनको यह समझाते हैं कि आज भरती होने की जरूरत नहीं है। तुम लगातार दवाई खाते रहो। ईश्वर करेगा तुम ठीक हो जाओगे। बहुतों की समझ में आ जाता है और बहुतों की समझ में नहीं आता लेकिन जब समझाया जाता है तो समझ में आ जाता है। इसके लिये सरकार गवर्नमेंट आफ इंडिया स्कीम के मातहत इस वक्त अपने प्रदेश में ५९ टी० बी० क्लिनिक खोल चुकी है जो काम कर रही हैं। ये क्लिनिक मरीजों की देखभाल करेंगी और मशविरा देंगी। इसके अलावा १० जिले हम ऐसे चुन रहे हैं जहां हम पूरी साज-सज्जा के साथ ट्रेन्ड लोगों को रखेंगे जो अपने यहां के डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल्स और टी० बी० क्लिनिक की देखभाल करेंगे और बी० सी० जी० के टीकों की टीम्स भी इनके अन्डर में रहेंगी। आगे जब ज्यादा पैसे का इन्तजाम हो जायगा तो आगे इस स्कीम को और जिलों में बढ़ायेंगे जिस से इस बीमारी पर भी काबू पाया जा सके। टी० बी० के सम्बन्ध में दवाई आदि खरीदने और इन्तजाम करने के लिये पौने दो लाख रुपया रखा गया है।

कोढ़ भी एक भयानक रोग है। यह हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे प्रदेश में इस रोग का प्रकोप कम है। फिर भी हम इसके बारे में भी प्रबन्ध कर रहे हैं। कहा जाता है कि जब मर्ज शुरू की हालत में होता है तब ही इसको रोका जा सकता है। उस वक्त इसकी वैसी शक्ल नहीं होती जैसी कि बाद में हो जाती है। यानी शुरू में हाथ पैर में जख्म नहीं होते। सिर्फ चेहरा सुर्ख हो जाता है, खाल सख्त हो जाती है, कहीं कहीं सुन्न होने लगता है। उसी समय वह रोगी अपने रोग को दूसरे में फैलाता भी है और जिस वक्त जख्म हो जाते हैं उस वक्त रोग फैलने की इतनी पासीबिलिटी नहीं होती। इस सम्बन्ध में जो गैर सरकारी संस्थायें काम कर रही हैं, उनको हम माली इमदाद देते हैं। इसके लिये हमने ९ कंट्रोल यूनिट्स कायम कर रखी हैं। ५ कंट्रोल यूनिट्स ६५–६६ में सैंक्शन की गयी और इस बजट में हम कम से कम एक ऐसी यूनिट कायम करने जा रहे हैं जो ३ लाख की आबादी को कवर करेगी। बाराबंकी जिले में उसका प्रयास करने हम जा रहे हैं।

इसके अलावा जापान की एक संस्था जालिमा है। वह एक लेप्रोसियम आगरा में बनाने जा रहे हैं। जापान के विशेषज्ञ वहां मौजूद हैं और उनका काम आगरा में बड़ी तेजी के साथ जारी है। वहां के यह विशेषज्ञ पहले तीन चार वर्ष तक वहां पर यहां के डाक्टरों को ट्रेन करेंगे, वह उपचार करेंगे और बाद में उनके जाने के बाद उस लेप्रोसियम को चलाने की जिम्मेदारी हमारे ही इन ट्रेन्ड डाक्टरों की होगी। जब यह संस्था पूरे तौर पर काम करने लगेगी तो मैं कहता हूं कि आगरे में आज जिस तरह से लोग जाते हैं तो पहले ताज देखते हैं और कोई किला और दूसरी चीजों को देखता है इसी तरह से यह भी एक ऐसी शानदार चीज बन जायगी कि उसको हर माननीय सदस्य और हर व्यक्ति जो आगरे जायेगा वह उस चिकित्सा मन्दिर को जाकर देखेगा जो दुखियों की सेवा के लिये शानदार तौर पर बनाया गया है। वहां रिसर्च का काम हो रहा है और यह कोशिश की जा रही है कि कैसे इस घातक रोग को रोकने के तरीके निकाले जायं। इसी तरह से जो और यूनिट्स हैं उनके द्वारा हम काम कर सकेंगे। इसके अलावा इस से ज्यादा इस वर्ष हम और प्राविजन नहीं कर सके हैं।

हमारे सूबे में ऐलोपैथिक का सिस्टम ही ज्यादा चला हुआ है यह आप सब जानते हैं लेकिन अब हमारे प्रदेश की पालिसी यह है कि हम अपने यहां आयुर्वेदिक सिस्टम का भी इजाफा करें और उसमें भी हम एक नई जिन्दगी डालें। इसके लिये हमारा तरीका यह है कि हम स्टेट आयुर्वेदिक कालेज और ४–५ अन्य गैर सरकारी संस्थाओं को काफी मात्रा में सहायता देते हैं। एक इन्टेग्रेटड कोर्स की शिक्षा आयुर्वेदिक सिस्टम की प्रधानता के साथ माडर्न मेडिसिन की भी

जाती है इसके अलावा शुद्ध आयुर्वेदिक शिक्षा का भी प्रबन्ध बनारस संस्कृत विश्वविद्यालय में किया गया है और वहां इसके लिये अलग से एक फैकल्टी बना दी गयी है। उसके लिये ५ लाख ५६ हजार रुपया ६४–६५ में रखा था, ६९ हजार सन् ६५–६६ में दिया गया और अब ३ लाख २५ हजार रुपया का प्रबन्ध किया गया है वहां के कालेज की इमारत के लिये तथा अन्य इन्तजाम के लिये। यह स्टेट कालेज के द्वारा जो इन्टीग्रेटेड कोर्स चलाया जा रहा है उसमें जो लड़के विद्या पाते हैं वह वहां से आयुर्वेदाचार्य हो कर निकलते हैं और हमारी सरकार की यह पालिसी है कि हमारा जो स्टेट आयुर्वेदिक कालेज है उससे हमारे जितने भी विद्यार्थी निकलें पास हो कर उन सबको हम सरकारी नौकरियों में लगायेंगे। ऐसा हमारा मुकम्मिल इरादा है। हमारे यहां वैसे ही डाक्टरों की कमी है, हमने अभी तक ऐसे ११५ डाक्टरों को अपनी डिस्पेन्सरी में लगाया भी है और आगे भी इरादा है कि स्टेट आयुर्वेदिक कालेज के सब छात्रों को हम पास होने के बाद उनमें लगायें। हमारे यहां आज आयुर्वेदिक डिस्पेन्सरीज की तादाद ६८३ है और उनमें यही इन्टीग्रेटेड कोर्स वाले डाक्टर ही काम करते हैं। दवाओं की कमी को पूरा करने के लिये हम १ हजार रुपया की दवा का प्रबन्ध हर डिस्पेन्सरी के लिये कर रहे हैं। धीरे धीरे इन दवाखानों की संख्या बढ़ायी जायगी और बजट वर्ष में भी हम ५ बढ़ा रहे हैं। यह इन्टीग्रेटेड कोर्स के डाक्टरों वाली डिस्पेंसरीज काम कर रही हैं, कमी तो हमारे यहां एलोपैथिक डाक्टर्स की है।

अब मैं अर्ज करूं कि हमारे स्टेट आयुर्वेदिक कालेज में जो आजकल हड़ताल चल रही है उस के बारे में। यह जो स्ट्राइक चल रही है, इसकी वजह से हमको कालिज बन्द करना पड़ा है और जब तक वह समाप्त नहीं होती, तब तक इसमें कुछ नहीं किया जा सकता है। आप जरा गौर फरमायें कि लड़कों की मांगें क्या हैं। उनकी एक मांग यह है कि इंडियन मेडिकल एसोसियेशन में एक प्रस्ताव पेश किया जाय कि सभी प्रदेशों में जो इन्टीग्रेटेड कोर्स के आयुर्वेदाचार्य हैं, उनको एक कन्डेन्स्ड कोर्स दो और लाइसेंशियेट का डिप्लोमा मिले और उनके लिये २२५–४२५ रु० का ग्रेड कर दिया जाय। हमारे यहां पर चूंकि इन्टीग्रेटेड कोर्स है, हम उसको खत्म नहीं करने जा रहे हैं, इसलिये आयुर्वेदिक कालेजों और दूसरे इन्स्टीट्यूशन में हम कन्डेन्सड कोर्स नहीं दे सकेंगे। उनकी शर्त केवल यह है कि जहां पर इन्टीग्रेटेड कोर्स समाप्त हो जाय तो वहां पर कन्डेन्स्ड कोर्स कर दिया जाय। इसलिये चूंकि हमारी पालिसी इन्टीग्रेटेड कोर्स की है इसलिये वह तो लागू नहीं हो सकती है। वे चाहते हैं कि हमारे लिये कन्डेन्स्ड कोर्स कर दिया जाय और स्केल २२५–४२५ कर दिया जाय। लेकिन मैं अपने माननीय सदस्यों को बता दूं कि हमारी प्रदेशीय सरकार ने बिना ही कन्डेन्स्ड कोर्स किये अपने आयुर्वेदाचार्यों के लिये, जिनको सरकारी नौकरी में लिया जायगा, २२०–५०० रुपये कर दिया है। उस ग्रेड की सिफारिश से ज्यादा कर दिया गया है लिहाजा फिर भी इस प्रकार की मांग पेश करना कहां तक मुनासिब है?

उनकी दूसरी मांग यह है कि हमें हाउसमैनशिप के लिये बलरामपुर हास्पिटल में भेजे जाने का प्रबन्ध किया जाय। असल में यह बात कि हम हाउसमैनशिप कहां करेंगे, यह तो उन्हें शासन पर छोड़ना होगा। यह नहीं होता है कि हम फलां इन्स्टीट्यूशन में पढ़ेंगे और फलां इन्स्टीट्यूशन में खेलेंगे। इस वर्ष हमने १५ हाउसमैनशिप की जगह का और प्रबन्ध किया है और अब कुल ३३ विद्यार्थी, जो हमारे स्टेट आयुर्वेदिक कालेज से निकलेंगे, उनको हाउसमैनशिप दिला सकेंगे। बलरामपुर अस्पताल में दूसरे एम० बी० बी० एस० पास लोग आते हैं तो अगर उनकी मांग बलरामपुर के बारे में स्वीकार कर भी ली जाय तो आपस में तसादुम हो जाने का डर है। इसलिये उनकी यह मांग भी कोई मुनासिब मांग नहीं है। मैं तो यह ही कहूंगा कि लड़कों को स्ट्राइक बन्द करना चाहिये।

श्री उग्रसेन—

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि एक हाई पावर कमेटी बनी थी। उसने फैसला किया था तो उनकी मांगों के बारे में जवाब दें कि उसमें क्या हुआ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

उनकी मांगों का जवाब देने की बात नहीं है । उनके दो मसले थे । एक तो मेडिकल कौंसिल की दुहाई कि उनका २२५–४२५ कर दिया जाय । यह हमने जैसा कि पहले ही कहा २२०–५०० कर दिया है । तो यहां कहां की अक्लमंदी होगी कि ८–१० महीने का कडेन्स्ड कोर्स करें और तनख्वाह कम लें ।

बहरहाल मैं आपके द्वारा, सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि इस तरह के सवाल उठाकर उन्हें लड़कों को इन्करेज नहीं करना चाहिये । उन्हें स्ट्राइक बन्द करने के लिये समझाना चाहिये क्योंकि प्रोफेशनल इन्स्टीट्यूशन्स में लड़के स्ट्राइक करने की नहीं सोचा करते हैं ।

श्री उग्रसेन—

जब आप भी पढ़ते थे तो क्या आप अपनी मांगों के लिये हड़ताल नहीं करते रहे होंगे ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

मैंने यह अर्ज किया था कि प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन्स के लड़के हड़ताल नहीं करते हैं । लखनऊ यूनिवर्सिटी में स्ट्राइक होती है लेकिन कभी मेडिकल कालेज के लड़के स्ट्राइक नहीं करते हैं ।

श्री उग्रसेन—

गेंडर के मरने पर हुई थी । यह सरकार जिस पर जुल्म करेगी वही हड़ताल करेगा ।

श्री अध्यक्ष—

अब यह तो इतिहास की बात है कि मेडिकल कालेज में कभी हड़ताल हुई या नहीं ।

श्री दाऊदाल खन्ना—

मैं आपके द्वारा अर्ज करना चाहता हूं कि जो लड़का आर्ट में पढ़ रहा हो वह बी० ए० एक साल के बजाय दो साल में पास कर ले तो उसका कोई हर्ज नहीं होगा । लेकिन जो लड़के इस तरह की तालीम पा रहे हैं उनका तो कैरियर खराब हो जायगा ।

स्टेट आयुर्वेदिक कालेज से जितने लड़के पास हो कर निकलेंगे उन सबको हम स्टेट सर्विस में लेंगे । तो यह सब होते हुए स्ट्राइक की शकल मौजूद रहे, उचित नहीं है । मैं चाहता हूं कि स्ट्राइक खत्म हो और कालेज खुले तथा आगे की पढ़ाई जारी रहे ।

श्री राम सुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

क्या मंत्री जी ने विद्यार्थियों को बुला कर कभी बात की है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

माननीय सदस्य का जिस बात की तरफ इशारा है मैं बताना चाहता हूं कि एक बार नहीं, मेरी बात ३, ४ बार हुई । मेरे पास जो लड़के आते हैं कभी नहीं कह कर गये कि हम स्ट्राइक करेंगे । उन्होंने यही कहा कि हम लड़कों को जा कर कहेंगे कि स्ट्राइक न करें । हमने कहा कि कुछ लीडरशिप करते हो तो लड़कों को समझाओ । बहरहाल, हम तो यही कर सकते हैं और अगर लड़के चाहते हैं कि साल उनका बरबाद हो तो इसका कोई इलाज नहीं है ।

(इस समय १ बजकर ४ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री रामायण राय पीठासीन हुए ।)

फेमिली प्लानिंग का काम प्रदेश में काफी जोरों से करने का इरादा है और हो भी रहा है । इस के बारे में बहुत सी गलत धारणायें लोगों के दिमाग में हैं । प्रेक्टिकल तरीका यह है कि ऐसे तरीके अपनाये जायं कि जो नौजवान शादी करें उन की फैमिली इस तरह से न बढ़ जाय जिस तरह की गलती हम लोगों ने की । अक्सर १, २ मानीय सदस्यों ने कहा कि उन के यहां जबरदस्ती हो रही है । यह बात नहीं है । कहीं भी अगर कोई माननीय सदस्य मुझे बतायें कि जबरदस्ती

के साथ आपरेशन हो रहे हैं तो हम जरूर उस को रोकेंगे। यह तो वालेन्टरी चीज है। अगर हम अपनी फैमिली को प्लान करना चाहते हैं तो सरकार ने उस के लिये साधन मुहैया कर रखे हैं और यह इसलिये कि फैमिली जब छोटी होगी तो पढ़ाई, लिखाई और स्वास्थ्य का अच्छा इंतजाम कर सकेंगे। इस सिलसिले में सरकार की पूरी कोशिश होगी कि प्रदेश के अन्दर फैमिली प्लानिंग के काम को और तेज करें। इस से जनता को फायदा होगा। आज बहुत से क्रिटिक इस बात को न समझें लेकिन आगे चल कर वे खुद महसूस करेंगे कि यह चीज ठीक थी। ज्यादा जरूरत इस बात की उन लोगों में है जो गरीब मजदूर तबके हैं, जो हमारे भाई देहात में रहते हैं, उनको इस स्कीम के बारे में ठीक तरह से समझायें। जो, हम विधायक, सरकारी अफसर, बड़ी बड़ी जगह पर काम करने वाले बिजनेसमैन समझ लेते हैं कि उनको फैमिली प्लानिंग करनी है, लेकिन जो आदमी कम ज्ञान रखता है, माली हालत खराब है, रहने सहने का ठिकाना भी नहीं है फैमिली प्लानिंग की जरूरत ज्यादा से ज्यादा उन्हीं को समझाना है क्योंकि बच्चे पैदा होने के बाद देखभाल तो क्या, जरूरियाते जिन्दगी भी वे पूरी नहीं कर सकते।

हमारे प्रदेश के अन्दर सरकारी अस्पताल कार्य करते हैं और प्रदेश की वे सेवा करते हैं। इस के अलावा इस सरकार का यह प्रयास रहता है कि हम अपने प्रदेश में जो सोसाइटीज अथवा इंडिविजुअल्स डिस्पेंसरीज चलाते हैं उन्हें हम ज्यादा से ज्यादा अनुदान दें और हमेशा से मदद दी जाती रही है। कोई भी अस्पताल ऐसा नहीं होगा जिसे सरकारी मदद न देते हों। जो गैर सरकारी अस्पताल हैं उनकी भी सरकार मदद करती है। उनके लिये इमारत, सज्जा और अन्य जरूरियात हम देते हैं जो नियमों के अनुसार हम दे सकते हैं। ६५-६६ में ५४ लाख ८५ हजार का प्राविजन था और इस बजट साल में उसे ७१ लाख ११ हजार कर दिया है ताकि डिजर्विंग अस्पतालों को हम ज्यादा मदद दे सकें। खास तौर से लखनऊ में जो अस्पताल बन रहा है स्वामी विवेकानन्द के नाम से जिसके सम्बन्ध में भूतपूर्व मुख्य मंत्री गुप्ता जी ने स्कीम बना कर सैंक्शन की थी, वह भी बड़ी अच्छी चीज होगी और जब लखनऊ के अन्दर वह बन जायगा तो लखनऊ के अन्दर नहीं प्रदेश की काफी सेवा कर सकेगा। (व्यवधान) रामकिशन मिशन ने बनवाया है और वे लोग अच्छा काम कर रहे हैं। सरकार ने उसे ३१ लाख की मदद दी है अब तक और इस साल के बजट में ६ लाख की मदद देने का विचार है। यह मदद कम है लेकिन क्या किया जाय? एमर्जेन्सी की वजह से काफी मेडिकल बजट कट हुआ लेकिन बाद को फिर देखेंगे कि सेविंग हो तो कहीं से निकालें।

स्टेट में एक स्टेट हेल्थ बोर्ड बना हुआ है। उसका काम यह है कि लोकल बाडीज हैं, पिलग्रिम के स्थान है उसमें सैनिटेशन का इन्तजाम हो। उसके लिये हम थोड़ी सहायता देते हैं। जो रिकगनाइज्ड एजूकेशनल इंस्टीट्यूशन्स है वहां पर बच्चों के लिये प्ले सेंटर्स कायम करने के लिये कुछ अनुदान हम देते हैं। यह बोर्ड काफी अच्छा कार्य कर रहा है। ६ लाख ३५ हजार रुपये का प्राविजन इस साल के बजट में किया गया है।

जहां तक वाटर सप्लाई और ड्रेनेज स्कीम का सवाल है उसमें अच्छी प्रगति हो रही है और काफी अच्छा काम हो रहा है। काम इतना लम्बा है कि काफी वक्त उसमें लगेगा लेकिन उसमें साधनों के मुताबिक प्रगति अच्छी है। १ करोड़ २९ लाख रुपये का उसके लिये इन्तजाम किया गया है। ४१ वाटर स्कीम्स है। २७ सीवेज स्कीम्स हैं। उनका काम पूरा नहीं हुआ है उनके लिये यह रुपया रखा गया है ताकि उनकी प्रगति को कायम रखा जाय और ठीक किया जाय। अब डाक्टरों की कमी है, माननीय सदस्य जानते हैं। आये दिन सवाल हुआ करते हैं। मजबूरी यह हो जाती है कि किया क्या जाय। एक बात यह है कि देहली में जो सेन्ट्रल हेल्थ सर्विसेज काम करती हैं, उन्होंने काफी ऊंची तनख्वाहें कर रखी हैं। तो जो लड़के हमारे यहां से पास करते हैं वे वहां चले जाते हैं। एक तो देहली की जिन्दगी उन्हें मिलती है। मेडिकल कालेज से निकले तो देहली ज्यादा अच्छा उन्हें लगता है। यहां सोचते हैं कि पता नहीं देहात में ही पड़े रहें या पहाड़ों में पड़े रहे। लेकिन एक खास अट्रेक्शन तनख्वाह का होता है। इत्तफाक से उनके पे स्केल्स काफी ऊंचे हैं। लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते। हमारे पास जो

[श्री दाऊदयाल खन्ना]

साधन हैं उन्हीं के हिसाब से काम करना पड़ता है । यह बात नहीं है कि डाक्टरों की तरफ हमारा ध्यान नहीं है, ध्यान हमेशा है । पिछले बजट से कुछ पहले ही आपने देखा कि पी० एम० एस० १ और २ को हमने एक किया, उनकी तनख्वाहें भी बढ़ाई । लेकिन हम खुद समझते हैं कि वह नाकाफी है । मगर हम कुछ कर नहीं सकते । फिर भी मैं यही अर्ज कर सकता हूं कि सरकार के विचाराधीन इस समय भी है कि हम किस तरह से उनकी सर्विस कंडीशन्स को बेहतर बना सकते हैं और अगर हम कहीं से पैसा निकाल सकें तो कुछ हद तक उनकी तनख्वाहें बढ़ा सकें। इस वक्त कुछ कहना मुश्किल है कि हम कुछ कर सकेंगे या नहीं, लेकिन यह हमारी कोशिश है और आज भी है हम उस पर विचार कर रहे हैं कि किस हद तक हम कुछ कर सकते हैं ।

मेडिकल कालेज के द्वारा ही डाक्टर बनेंगे । तो यह माननीय सदस्यों को मालूम ही है कि मेरठ में मेडिकल कालेज के काम में काफी प्रगति हुई है और हमारी कोशिश यह है कि अगस्त, १९६६ से जो सेशन शुरू हो उसमें हम ५० लड़के वहां दाखिल कर सकें । इसी के साथ साथ झांसी और गोरखपुर में दो नये मेडिकल कालेज खोलने की बात सरकार तय कर चुकी है और पिछले वर्ष हमने इसका एलान भी कर दिया था । इसी सलसिले में जमीन वगैरह का इन्तजाम झांसी में तो हो गया है, गोरखपुर में भी जमीन के सिलसिले में चीज हमारे सामने है और हम समझते हैं कि इस वर्ष बजट में हम उस जमीन को हासिल कर लेंगे और उसके लिये जो जरूरी काम करने होंगे, वह करेंगे । अगर हमारे पास रिसोर्सेज हो तो कहीं और सोचेंगे । वैसे हमारी सरकार की पालिसी तो यह है कि हर डिवीजन में एक मेडिकल कालेज होना चाहिये । जो डिवीजन बिना मेडिकल कालेज के हैं उनकी मांग तो बिलकुल सही है लेकिन अगर हमारे पास साधन जुट सके तो हम इस बात पर विचार करेंगे कि जो डिवीजन रह जाते हैं उनमें भी मेडिकल कालेज हो जायं। इसके अलावा इस बजट वर्ष में यह खयाल है कि इलाहाबाद मेडिकल कालेज में १०० लड़के दाखिल कर सकें, इस वक्त ६० होते ह ।

कुछ डाक्टर्स की टेम्पोरेरी पोस्ट्स थीं । ऐसी ५०९ पोस्ट्स हैं जिनको हम परमानेन्ट करने जा रहे हैं । इससे भी सर्विसेज के अन्दर एक कान्फीडेन्स क्रियेट होता है । कानपुर और आगरा में जो नयी चीजें हैं इस बजट वर्ष में उस सम्बन्ध में एक आदेश इससे पहले भी हो चुके हैं कि बच्चों के इलाज के बारे में वहां इन्तजाम करने जा रहे हैं । मेडिको लीगल ट्रेनिंग के लिये एक विभाग खोला जा रहा है । डेंटल कालेज में पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग का इंतजाम किया गया है और इसके लिये भी एक सेक्शन खोला गया है । इसी तरह से आंखों के सिलसिले में डी० ओ० एम० एस० की डिग्री आई हास्पिटल, सीतापुर में दी जायेगी । इसके लिये इंतजाम हो रहा है । जो हमारे मेडिकल कालेज हैं उनमें एम्बूलेंस की बहुत कमी है । उसके लिये जहां जरूरी समझ रहे हैं, इंतजाम कर रहे हैं । कैजुयेल्टी सेक्शन भी खोल रहे हैं । इसके अलावा कानपुर में चार आपरेशन थियेटर्स बनाने का इरादा है । दो पर काम शुरू करा रहे ह जिससे काम में सुविधा हो । पैरामेडिकल, मिडवाइफ नर्सेज की ट्रेनिंग के लिये भी काफी कोशिश कर रहे हैं । जनरल नर्सेज ट्रेनिंग सेंटर में अब १०४० सीट्स करने जा रहे हैं और आक्जीलरी नर्सेज की ट्रेनिंग के लिये अब हमने ५१० सीट्स कर दी हैं । लेबोरेटरी टेक्नीशियन्स की ट्रेनिंग के लिये १२० का इंतजाम किया जा रहा है । ऐक्सरे टैक्नीशियन्स की ट्रेनिंग के लिये ४२ की जगह ८० का इंतजाम करने जा रहे हैं । मैंने संक्षेप में यह चीज सदन के सामने रखी हैं ।

हमारे डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल्स में कुछ बातों की बहुत जरूरत है और वहां थोड़ी प्रोग्रेस हो सकती है । तो वह की जाय तो अच्छा है क्योंकि उनकी जिम्मेदारी भी बढ़ती चली जा रही है । यह इरादा किया गया है कि प्रदेश के जो बड़े बड़े शहर हैं जैसे कवाल टाउन्स में तथा मेरठ, बरेली, आदि शहरों में १०/१० इमर्जेन्सी बेड्स का इंतजाम किया जाय । अभी हम शुरू में प्रदेश में ४ जगह करने जा रहे हैं । प्रदेश के चुने हुये स्थानों पर पांच ब्लड बैंक कायम करना चाहते हैं क्योंकि मार्टेलिटी हो जाती हैं । इसलिये इसके ५ केन्द्र बनाने जा रहे हैं जिससे मौका पड़ने पर सेवा की जा सके ।

एक यह भी इरादा है कि अपने यहां एक मोबाइल फ्लाइंग स्क्वाड बनायें जहां से जरूरी मांग आये और मरीज न आ सकता हो तो फौरन ही जच्चा बच्चा की सेवा के लिये वह वहां पहुंच सके। इस तरह का स्क्वायड लखनऊ में आक्जलरी नर्सेज ट्रेनिंग सेन्टर में खोलना चाहते हैं। इस बस में सब जरूरी चीजें होंगी और यह इमर्जेन्सी केसेज में सेवा करेगा। तीसरे प्लान में हमने ४५०० बेड्स बढ़ायें। इसके बाद अपने प्रदेश में ३०,००० बेड्स हो जायेंगे जिनमें से १९,६८८ गवर्नमेन्ट अस्पतालों में हैं और बाकी प्राइवेट अस्पतालों में हैं।

श्री उग्रसेन—

अधिष्ठाता महोदय, यह तो बहुत ही कम हैं। २० करोड़ रुपया पुलिस मंत्री ले गये। आपने क्यों नहीं लिया? यह बेड्स की तादाद बहुत ही कम हैं।

श्री दाऊदयाल खन्ना—

मैं स्वयं मान रहा हूं कि बहुत कम हैं। यदि माननीय सदस्यों का सहयोग रहेगा तो जरूर बढ़ जायेगा इसमें कोई शक नहीं है। दवाओं के लिये भी हम कोशिश कर रहे हैं। १९६४–६५ में एक करोड़ रुपया दवाओं पर खर्च हुआ जो १९६६–६७ में एक करोड़ ५५ लाख खर्च करने की सोच रहे हैं। इसमें टी० बी० की दवाइयां शामिल नहीं हैं।

एक बात मैं आपकी आज्ञा से माननीय सदस्यों की सेवा में निवेदन कर दूं। सरकार ने पैसा लिया कि जो मरीज अस्पताल में पहुंचे, पहली दफा, तो वह १० नया पैसा दे नुस्खे के रजिस्ट्रेशन फीस के तौर पर। मैं इस संबंध में पहली चीज यह अर्ज करूंगा कि जो पैसा न दे सकते हों उनके लिये डाक्टर को अधिकार है कि वह उन्हें इस १० पैसे की फीस से एक्जेम्प्ट कर दे। इसके लिये उसको किसी प्रकार की यहां से आज्ञा लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आमतौर से जो दे सकते हैं वह १० पैसे देते हैं। पहली बार ही आने पर उनको १० पैसा देना पड़ता है और उसके बाद जितने दिन भी एक मरीज का अस्पताल में इलाज चलता रहे, कुछ नहीं देना पड़ता है।

श्री उग्रसेन—

डाक्टर इस १० पैसे का एकाउन्ट वहां से रखेगा? इसमें गड़बड़ी की गुंजायश है।

श्री दाऊदयाल खन्ना—

उसमें कहीं दिक्कत नहीं होगी, वह हो जायगा। जब एक बार मरीज वहां से अच्छा हो जाय और दुबारा जाय तो उसे फिर १० पैसा देना पड़ेगा। इसकी मंशा यह थी कि इस बहाने से कुछ पैसा हमको मिल सके, जो कि अस्पतालों की तरक्की के लिये इस्तेमाल किया जा सके। इस तरह से पैसा लेने की कोई हमारी यह मंशा नहीं है कि यह पैसा आकर गवर्नमन्ट के रेवन्यू में कोई वृद्धि करे। तो इस सिलसिले में बजट में प्राविजन है यू० पी० हास्पिटल फन्ड के नाम से जिसके अन्तर्गत २० लाख रुपये का प्राविजन है। यह पैसा चाहे कुछ भी आ जाए, यह २० लाख रुपया इस मद में ट्रांसफर कर दिया गया है जिसका इस्तेमाल अस्पताल की दवा को बढ़ाने के लिये, अस्पताल में कुछ बनाने के लिये किया जायगा। इसका अस्पताल के फायदे के लिये ही इस्तेमाल किया जायगा। इसके लिये यू० पी० अस्पताल फन्ड स्थापित कर दिया गया है। तो इस दृष्टि से देखने से इसमें कोई बुराई की बात नहीं है।

श्री उग्रसेन—

यह १० पैसा सब से नहीं लेना चाहिये। अगर लाला रामरतन बीमार हों तो उनसे १००–१०० रुपया लिया जाना चाहिये। जो दे नहीं सकते हैं, गरीब हैं उनसे क्यों लिया जाता है?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

मैं किसी का नाम तो नहीं लेता हूं लेकिन कहना चाहता हूं कि इन लोगों से १०० रुपया ही क्यों यह तो बहुत कुछ देते हैं, वार्ड बनवाने के लिये देते हैं। यह तो १० पैसा उन्हीं से लिया जाता है, जो हमारे अस्पताल में आते हैं वह तो कहीं प्राइवेट जगह जाएंगे।

आंखों के इलाज के संबंध में सीतापुर, अलीगढ़ और कानपुर इन तीन जगहों पर हमारे जो अस्पताल हैं वह बड़ी अच्छी तरह से सफलतापूर्वक अपना काम कर रहे हैं और सरकार का हमेशा यह प्रयास रहा है कि जो कुछ भी हम ज्यादा से ज्यादा इन संस्थाओं को दे सकें, देते रहें, जिससे कि उनमें अच्छा से अच्छा काम हो। ट्रकोमा (रोहे) यों तो आंख की एक मामूली बीमारी है, लेकिन यह एक ऐसी बीमारी है कि यदि यह किसी को हो जाए, तो उसे फौज में नहीं लिया जाता है। तो इस बीमारी का हमारे पहाड़ी और पश्चिमी जिलों में बड़ा प्रकोप है। मेरठ, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर में इस बीमारी के निवारण के लिये मारा जोरदार प्रोग्राम चल रहा है और हमारा यह ध्येय है कि वर्ष ६६–६७ में हम ३२ फील्ड यूनिट और वर्ष ६७–६८ के अन्दर ५० फील्ड यूनिट और बनावें तथा समस्त पहाड़ी जिलों को कवर कर लें जिससे यह बीमारी उन लोगों में न रह जाय और वह फौज के लिये फिट हो सकें।

हमारे प्रदेश में लेबर पापुलेशन २ लाख ५५ हजार ४०० है। उसमें ई० एस० आई० के जरिये से इन लेबर पापुलेशन की सेवा की जाती है। इनके लिये १४ डिस्पेन्सरी का हमारा प्रस्ताव था, लेकिन हमने १५ की की है। पान्डुनगर, कानपुर में २०० चारपाइयों के अस्पताल की इनके हेतु व्यवस्था की गयी है जिससे कि उनकी उचित सेवा हो सके। इसमें १४४ बेड्स का मैटरिनिटी केसेज के लिये एक अस्पताल कानपुर में कायम किया जायगा।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

ये सब एक ही शहर में बनाये चले जा रहे हैं।

श्री दाऊदयाल खन्ना—

एक ही शहर की बात नहीं है, वह हमारे प्रदेश का सब से बड़ा शहर है और दूसरे यह सारी योजना लेबर के लिये है और वहां ही लेबर सब से अधिक है इसलिये वहां हो रहा है। एक सौ बेड्स का अस्पताल मेरठ जिले के मोदीनगर में होगा क्योंकि वह दूसरे नम्बर की लेबर कालोनी है। १८० बेड्स का एक चेस्ट अस्पताल २० लाख रुपये की लागत से कानपुर में तैयार हो रहा है और वह भी जल्दी ही इस्तेमाल में आ जायगा। ६ नयी डिस्पेंसरीज भी हम खोलने जा रहे हैं और वह भी लेबर कालोनीज के लिये ही हैं।

अब मैं दो शब्द अपने उन अधिकारियों के बारे में कहना चाहूंगा जिन्होंने कुम्भ मेल में बड़ा प्रशंसनीय कार्य किया है। जिस तरह से हर छठे वर्ष चेचक की साइकिल आती है इसी तरह से कालरा की भी साइकिल आती है। यह कैसे होता है मैं नहीं जानता लेकिन गवर्नमेन्ट आफ इंडिया की तरफ से भी हमारे पास चेतावनी मौजूद है कि होशियार रहियेगा यह जो वर्ष शुरू हो गया है इसमें कालरा किसी वक्त भी भयंकर रुप से फैल सकता है। उसके लिये रिसर्च हो रही है, क्या बात है क्यों होता है लेकिन हम को तो बड़ी चिन्ता थी कि कुम्भ मेले में कहीं इसकी शुरुआत न हो जाय तो क्या होगा? जहां ७०, ८० लाख लोग थे अगर वहां फैल जाता तो क्या होता? मुझे बहुत खुशी है कि रात-दिन विभाग के अधिकारियों ने इतना काम किया है कि वह बात नहीं हो पायी और उसके लिये जितनी भी प्रशंसा की जाय उतना ही कम है। हमारे देश में दूसरे राज्य सरकारों के मिनिस्टर्स और दूसरे लोग भी सिर्फ यह देखने आये कि इतने बड़े-बड़े मेलों के अन्दर इनका काम कैसे होता है। उन्होंने भी इनके कार्य को एप्रीशियेट किया है। विभागीय हैसियत से मैं यहां से उन सबको दुबारा मुबारकबाद देता हूं। सरकारी मेम्बर की हैसियत से जिन्होंने इस कदर काम किया है उनको बाद देना हमारा कर्त्तव्य है। पुलिस

पर यहां कितनी बौछारें हुआ करती है लेकिन जो माननीय सदस्य वहां गये होंगे कुम्भ मेले में उन्होंने देखा होगा कि पुलिस ने कितना शानदार काम वहां किया है। अगर माननीय उग्रसेन जी ने वहां पुलिस अधिकारियों से बात की होगी तो उन्होंने उनको बड़े ही नम्रतापूर्वक उत्तर दिया होगा। इसी तरह से पुलिस और दूसरे विभागों के लोगों ने काम किया और बड़ा शानदार काम किया।

श्री विजयसिंह (जिला जालौन)––

उनको इनाम दिया जाना चाहिये।

श्री दाऊदयाल खन्ना––

डिमोक्रेसी में सब से बड़ा इनाम यही है कि उनकी सेवाओं का एप्रीसियेशन हो।

श्री उग्रसेन––

माननीय मंत्री जी, सब से अच्छी बात यही हुई थी कि कोई गवर्नर वहां अपनी फौज लेकर नहीं गया था, नहीं तो घटना जरूर हो जाती और इसके लिये मैंने ही मांग की थी।

श्री दाऊ दयाल खन्ना––

आखिर में मैं सब माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि वे अपने सुझाव देने की कृपा करें और जहां कहीं खामियां है उन्हें हमें बतायें, उनको ठीक कराने का हमारा विभाग प्रयास करेगा और हम उस पर काम करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं अनुदान को सदन की स्वीकृति के लिये प्रस्तुत करता हूं।

श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)––

अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि संपूर्ण अनुदान संख्या १८ तथा १९ के अधीन मांग की धनराशि घटाकर एक एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना एवं सुझाव देना। यह कोई एकदम से घटाने की बात नहीं होती है बल्कि उसका मकसद आलोचना करना ही होता है और सुझाव देना ही मकसद होता है, घबराने की जरूरत नहीं।

श्री बैजनाथसिंह वैद्य (जिला सुल्तानपुर)––

जो वह कटौती का प्रस्ताव रख रहे हैं उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि इसको रखें या नहीं।

श्री अधिष्ठाता––

वह आपकी भावना का समर्थन कर रहे हैं।

श्री चन्द्रबलीसिंह––

यह जो स्वास्थ्य और चिकित्सा का विभाग है जिसके सिलसिले में यहां पर मांग रखी गई है यह मनुष्य के उस काल के लिये है जब वह असमर्थ हो जाता है। स्वयं कुछ कर नहीं पाता है उस समय के लिये है। उस विभाग के लिये पैसा खर्च करने में मंत्री जी कहते हैं कि हमारे पास नहीं है जब कि इतने आवश्यक काम के लिये इस सारे बजट से जरूरत भर को पैसा खर्च करने में हम असमर्थ हैं, उसके लिये खर्च करने में कोताही करते हैं या कोताही बरती जाय तो लगता है कि हम जानबूझकर जनता के स्वास्थ्य और चिकित्सा के प्रति उपेक्षा बरतते हैं। मैं मिसाल के लिये आपको बतलाऊं कि ब्रिटेन में तो स्वास्थ्य और चिकित्सा के लिये बहुत कुछ किया जाता है और वह देश सब से आगे है। वह देश तो अपने यहां दांत और चश्मा भी देता है जिसका दाम नहीं लिया जाता है। चश्मा इसलिये कि जब आदमी को दिखाई नहीं पड़ता है तो वह कुछ काम नहीं कर पाता है। दांत इसलिये कि अगर खराब दांत से चबाया खाना

[श्री चन्द्रबलीसिंह]

अन्दर जायगा तो स्वास्थ्य खराब होगा। स्वास्थ्य के लिये चश्मा या दांत देना उसको असमर्थता में सहायता कर सकता है। लेकिन न सरकार रोग दूर करने न इन रोगों को जड़ से ही रोकने के लिये कदम उठाया है। यदि मंत्री जी जनता की सेवा करना चाहते हैं तो उनको जड़ से ही रोगों को मिटाने के लिये कदम उठाना पड़ेगा ताकि जड़ से ही रोग पैदा न हों। ऐसा कदम उठाने के लिये मंत्री जी ने कोई योजना नहीं रखी है और न आइन्दा के लिये कोई इशारा है।

मंत्री जी ने बहुत लम्बी चौड़ी बातें कहीं। मैं अपने प्रदेश का नहीं बल्कि और प्रदेशों के भी आंकड़ा को आपके सामने रखना चाहता हूं कि वह अपने यहां स्वास्थ्य और चिकित्सा पर क्या खर्च करते हैं और हम अपने यहां क्या खर्च करते हैं और कितना बजट है। १९६५-६६ का आन्ध्र का कुल बजट १५,४५२.६५ लाख है जिसमें से चिकित्सा पर (आय व्ययक अनुमान) खर्चा ८५७.६५ लाख, सार्वजनिक स्वास्थ पर ४०८.१७ लाख, आसाम में राज्य की कुल आय-व्ययक अनुमान ७०७८.२८ लाख है जिसम से चिकित्सा पर खर्चा २९६.४८ लाख और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर २१२.५१ लाख है। बिहार राज्य की कुल आय-व्ययक अनुमान १,१९,३३.९८ लाख है जिसमें से किकित्सा पर खर्चा ६२०.२१ लाख और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर ३७६.६६ लाख है। गुजरात का कुल आय-व्ययक अनुमान १,०६,६२.६८ लाख है जिसमें से चिकित्सा पर खर्चा ४०१.०५ लाख और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर ४१९.९८ लाख है। मध्य प्रदेश का कुल बजट १,२०,४५.६० लाख है जिसमें से चिकित्सा पर खर्चा ५३०.२३ लाख और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर ३९३.५१ लाख है। मद्रास का कुल आय-व्ययक अनुमान १,६३,६३.०८ लाख है जिसमें से चिकित्सा पर खर्चा ९२६.१९ लाख और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर ३९४.७३ लाख है। महाराष्ट्र का कुल आय व्ययक अनुमान २,१५,४७.०४ लाख है जिसमें से चिकित्सा पर खर्चा १,११३.४७ लाख और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर ५३८.०२ लाख है। इसी तरह से मैसूर और पंजाब के भी आंकड़े हैं। ये सब आंकड़े सन् १९६५-६६ के हैं। इन सब को देखते हुए उत्तर प्रदेश का कुल आय-व्ययक अनुमान २,४७,७३.५४ लाख रहा जिसमें से चिकित्सा पर खर्चा ९२६.७७ लाख और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर ८८४.८३ लाख रहा। इस तरह से अगर आंध्र के साथ उत्तर प्रदेश का मुकाबला किया जाय तो आप देखेंगे कि यहां के मुकाबले आंध्र में चिकित्सा के ऊपर अधिक खर्च किया गया है। उस हिसाब से हमारे यहां जहां २४ करोड़ खर्च होना चाहिये वहां १८ करोड़ ही खर्च कर रहे हैं।

स्वास्थ्य और चिकित्सा के ऊपर सरकार को ज्यादा पैसा खर्च करना चाहिये। होना यह चाहिये कि पूरे बजट को चार हिस्सों में बांट दिया जाय। एक हिस्सा तो आप अपने प्रशासन पर खर्च करें, चौथाई हिस्सा जनता के कल्याण के लिये हो जिसमें शिक्षा भी शरीक हो और स्वास्थ्य और चिकित्सा को मिला दिया जाय तो ज्यादा से ज्यादा भला इस सूबे का किया जा सकता है। हमारे यहां का कुल बजट करीब ३०० करोड़ का है, १० करोड़ ही कम है। उसमें से २० करोड़ रुपया आप चिकित्सा पर खर्च कर रहे हैं और ४६ करोड़ रुपया शिक्षा के ऊपर खर्च कर रहे हैं और जन कल्याण पर ५१ लाख और इस तरह से ७५ करोड़ रुपया इस विभाग को, शिक्षा तथा जन कल्याण के लिये सरकार से मिलना चाहिये था किन्तु दिया ६६५१ लाख रुपये, तब भला जनता का हित कैसे होगा? यह सरकार जनता की है, सरकार की जनता नहीं है। लेकिन जब जनता मजबूरी की हालत में हो, उसका स्वास्थ्य खराब हो, वह बीमार पड़ गयी हो या उस पर रोगों का हमला होता हो, ऐसे समय में जब पैसे देने में कोताही बरती जाय संकट के नाम पर, तो वह उचित नहीं है। आखिर वह संकट आता है किस पर, और वह संकट है क्या? उत्तर प्रदेश का जो बाधनुमा नक्शा बना हुआ है वह सूबा नहीं है, सूबा जनता है, उस सूबे की जनता पर जब संकट आया हुआ हो, और जनता पर असली संकट तो तब आता है जब कि वह बीमार पड़ी हो या उस पर रोगों का हमला होता हो उस समय स्वास्थय रक्षा एवं चिकित्सा हेतु पैसों का जोगाड़ रखना ही देश द्रोह है। स्वास्थ्य और चिकित्सा दोनों बातों

के लिये बजट में कोताही बरती जाय और कहा जाय कि पैसा नहीं है और हर साल आप कुछ न कुछ जो बढ़ाते हैं वह गुस्से से बचाव के लिए एक मात्र कदम है। आपने बताया कि ५१ पैसे से बढ़ाकर आपने खर्च २.६७ रुपये कर दिया। लेकिन आज आप समझ लीजिये कि पैसे की कीमत भी क्या है। आप की स्ट्रेप्टोमाइसिन २ आने में बनती है आपके सरकारी कारखाने में, जिसकी मैनेजर आज आपकी इन्दिरा गांधी जी हैं, लेकिन उस दवा का सरकारी रेट बिकने का १४ आना है और डाक्टर लेता है उसके ढाई रुपये। आप बताइये कि क्या उससे किसी गरीब की तबीयत जायगी? यह बात आपकी समझ में नहीं आयेगी। प्रति व्यक्ति २.६७ रुपये खर्च करने से क्या होगा आप ही सोचिये। आपने अपनी दवाइयों के कारखाने बना कर दामों की लूट कर रखी है और इस तरह से दवाओं के दाम में पैसा नोचा जा रहा है, जो भी पैसा खर्च करने जा रहे हैं उससे लोगों की चिकित्सा और स्वास्थ्य पर अच्छा असर पड़ने वाला नहीं है क्योंकि वह शहरों तक ही रह जा रहा है।

आपने गांवों के लिये क्या किया? आप रोज आश्वासन देते हैं कि हम डाक्टर तैयार कर रहे हैं, मेरठ, झांसी और कानपुर में या गोरखपुर में मेडिकल कालेज खोलने जा रहे हैं, लेकिन साथ में आपको शंका यह है कि वे डाक्टर पढ़ कर क्या देहात में रहेंगे भी? अगर आप डाक्टरों को बनाइये और वे देहात में न जायं तो उनसे फायदा क्या? आप उसके लिये कहते हैं कि हम आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति भी चलाना चाहते हैं। आखिर उसे मारा ही क्यों? केवल विदेशी पद्धति की नकल के नाम पर आपने आयुर्वेद और तिब्बी को मार क्यों डाला? जैसे गेंदा सिंह जी को जब पानी की जरूरत पड़ी तो कहते हैं कि तालाब खोदो। पहले उन्होंने ही तालाब पटवा दिये, अब खोदने की बात करते हैं। नयी चिकित्सा पद्धति जो बाहर की है, उसके लिये आपने डाक्टर तैयार किये, उन पर रुपया खर्च किया और जब वे पढ़ कर तैयार होते हैं तो पैसा कमाने के लिये शहर में जम जाते हैं, देहात में जाना नहीं चाहते। जब सुझाव दिया जाता है कि साधारण परिवार के लोगों को, जिनकी हैसियत अच्छी न हो, लेकिन इस दिशा में जिनकी रुचि हो उन लोगों को आप भरती करें तो वे पढ़ लिखकर भागेंगे नहीं और वे देहात में जाकर सेवा करेंगे तो आपकी समझ में नहीं आता। मिसाल के तौर पर मैं बतलाऊं कि देवरिया में विमला देवी की क्या हालत है। वह एक महिला डाक्टर हैं और देवरिया के सरकारी अस्पताल में डाक्टर थीं। क्या तनख्वाह उनको मिलती थी, मैं बतला नहीं सकता, लेकिन अब वह देवरिया में अपना अस्पताल खोल कर मरीजों की सेवा कर रही हैं और उसका नतीजा यह है कि सरकारी अस्पताल में औरतें जाती नहीं इसलिये कि जो वहां जाता है मर जाता है। सरकारी अस्पताल में जाने पर बता दिया जाता है कि फलां-फलां दवाई की जरूरत है और यह बाजार से ले आओ, यहां दवा नहीं है। हम अपंग हैं, कुछ कर नहीं सकते और बाजार से दवा लाते-लाते मरीज मर जाता है। देहात में आप दवा भी देने के लिये तैयार नहीं हैं। शहरों में सारा रुपया शैय्याओं और बिस्तरों पर खर्च हो जाता है। क्या यह है? इलाहाबाद में एक परिवार के दादा, परदादा, सब के नाम पर अस्पताल खुल गया है। इलाहाबाद में अस्पताल खुलेगा तो झांसी के लोग क्या इलाहाबाद आकर दवा करावेंगे? यानी सारे अस्पताल किसी एक परिवार के नाम से एक ही शहर में खोलते जाइये तो अन्य जिलों के लोगों की दवा कैसे होगी?

मंत्री जी ने कहा कि नर्सों को बड़ी शिक्षा दी जा रही है, बहुत जरूरी है उत्तर प्रदेश में। लेकिन दुर्भाग्य है कि उत्तर प्रदेश की नर्सें ट्रेनिंग नहीं पा रही हैं। उसका कारण है कि जो उनसे काम लिया जाता है उसका कोई ठिकाना नहीं है। मजदूरों को तो ८ घंटे काम होगा, लेकिन उनका १२-१६ घंटे चल रहा है। जो रात की डयूटी करने वाली नर्स छूट जाती है तो दिन में उसकी डयूटी आकर पड़ जाती है—इस तरह से रात-दिन उसकी २४ घंटे डयूटी भी हो जाती है। तो डयूटी का हिसाब ठीक से रखकर लगानी चाहिए। दूसरे, इज्जत का सवाल भी है। मैं बताऊं कि एक बार हड़ताल हुई थी। हवाई जहाज पर सेवा सुश्रूषा करने के लिये कुछ लड़कियां रखी जाती हैं जिनको परिचारिका कहते हैं। लोग तो यह समझे कि जो लोग सफर करेंगे उनसे मीठी बातें हो जायंगी, रास्ते में और कुछ मतलब नहीं निकलेगा। लेकिन यह

[श्री चन्द्रबलीसिंह]

खयाल नहीं किया गया कि हवाई जहाज में चालक और अन्य अफसर भी रहते हैं। उनसे भी जब मुहब्बत की बातें हुई और मुहब्बत तो दोनों तरफ का लेनदेन है, अगर एकतरफा हो तो झगड़े का कारण बन जाता है। तो अफसरों ने उनको तंग कर दिया तो बुरा नतीजा निकला, हड़ताल हुई। वही हालत आज अस्पतालों में नर्सों के साथ हो गयी है। इज्जत का बहुत बड़ा सवाल है। मिनिस्टर, अफसर, डाक्टर सब की निगाह वहां पहुंच जाती है। नतीजा है कि....

एक सदस्य---

आपको भी अनुभव हुआ होगा ?

श्री चन्द्रबलीसिंह---

हमें भी अनुभव हुआ है क्योंकि आपने जिनको हमें दिया है उन्हें हम चाहते थे कि नर्स बनवा दूं, लेकिन उनके साथ छेड़ा-छाड़ी हुई इसलिये हमने छोड़वा दिया।

डाक्टरों की हालत अजीब है। इस तरह से मनमानी कर रहे हैं, कि वह इस विषय में चतुर हैं। नतीजा क्या हुआ, ३२३ तो हो जायगा ३२५ और कत्ल हो जायगी आत्महत्या। इस तरह से साधारण केस को असाधारण बनाना और असाधारण को साधारण बनाना डाक्टरों के दायें बायें हाथ का खेल हो गया है। एक गोंडे का किस्सा है इसी १२ दिसम्बर का। नबाबगंज के एक सेठ साहब थे। उनका मुनीम तो जीप चलाने का लाइसेन्स लिये हुए था लेकिन सेठ साहब शौक करके स्वयं चला रहे थे शहर गोन्डा में। नतीजा यह हुआ कि दो आदमियों को उन्होंने चांप दिया, वह मर गये। लेकिन मुनीम ने कहा कि हम ही चला रहे थे, हम से मर गये और डाक्टर ने लिख दिया कि इसको दिल की बीमारी है, इसको जेलखाने में नहीं डाला जा सकता। जब सभी पार्टियों के लोगों ने आन्दोलन किया तो झक मार करके उनको जेल-खाने में डाला गया और वह डेढ महीने उसमें रहे, लेकिन मरे नहीं, दिल नहीं बैठा। सचमुच उनको दिल की बीमारी नहीं थी। इसी तरह से सिविल सर्जन एक शुक्ला साहब हैं और एक उनके नीचे के अफसर हैं, उन दोनों की साजिश से इस किस्म की गोंडे में हरकत हुई। मैं आपके जरिये से सरकार को बताना चाहता हूं कि सिर्फ गोंडे में हरकत नहीं, बल्कि समूचे उत्तर प्रदेश में इस तरह की हरकत अधिकारी लोग कर रहे हैं।

जहां तक परिवार नियोजन का सम्बन्ध है, यह काम तो अच्छा है, क्योंकि मुंह बढ़ते जा रहे हैं और अन्न खाने को है नहीं। अपने कारनामों को छिपाने के लिये सरकार ने यह काम अच्छा किया है। जब आसमान जवाब दे गया, अमेरिका भी आना कानी कर रहा है, तो इसके पास और कोई चारा रहा ही नहीं। मगर मैं पूछता हूं कि आज तक कितने मिनिस्टरों ने नसबन्दी करायी। श्रीमन, परिवार नियोजन स्वेच्छा से नहीं चल रहा है, पैसे के लालच से चल रहा है। जो नसबन्दी आपरेशन कराता है उसको १० रुपये मिलते हैं, जो उसको फांस कर ले जाता है उसको २ रुपये, जो डाक्टर शहर में आपरेशन करता है उसको ४ रुपये, जो देहात में जाता है उसको ६ रुपये मिलते हैं। इस पैसे के लालच से यह परिवार नियोजन चल रहा है। जो ३-३ बच्चे पैदा करने वाले हैं उनकी तो नसबन्दी नहीं हो रही है, जिनके बच्चे पैदा ही नहीं हो रहे हैं उनकी नसबन्दी हो रही है, इस पैसे के लालच से ५०-५० साल के लोगों की नसबन्दी हो रही है। जिनकी होना चाहिये वह नहीं करा रहे हैं। लूप वाला तरीका जो निकाला है वह कुछ आसान है, मगर उस पर सरकार अधिक पैसा खर्च नहीं कर रही है। यह जो आंकड़े नसबन्दी के हैं यह भी सही नहीं है। परदे के पीछे ले जाते हैं, कागजों में खाना पूरी हो जाती है, आपरेशन वगैरह कुछ नहीं होता, इस तरह से नसबन्दी हो रही है।

श्रीमन्, दवा देने के लिये तथा और सुविधाओं के नाम पर सरकार १० पैसा ले रही है। हर मरीज से अब १० पैसा लिया जाता है। जो गरीब खेतिहर मजदूर हैं वह कहां से १० पैसे दें? जो रिक्शा चालक है, भीख मांगने वाला है वह कहां से वह पैसे दे। हम आपको टैक्स देते हैं,

टैक्स आप हमसे लेते हैं, मगर मुफ्त आप दवा भी नहीं दे सकते। अगर ३२३ का केस हो जाये तो उस गरीब को मुकदमा खुद चलाना पड़े, पुलिस नहीं चलाती। कोई उत्पात हो जाय, सरकार एक पैसा नहीं देती। गरीबों के बीमार होने पर मुफ्त दवा भी न दें, किन्तु टैक्स का पूरा पैसा आप उससे लेंगे ही, यह कहां का न्याय है। ७-८ लाख रुपये और यदि आप खर्च करें तो दवा मुफ्त मिल सकती है। आप होम्योपैथिक दवाओं का प्रबन्ध देहातों में कर दीजिये। इसके लिये मामूली सी शिक्षा देनी होती है। चीड़-फाड़ का काम आप शर्मा जी के सपुर्द कर दीजिये, श्री डी० एन० शर्मा जो चापलूसी करके इस विभाग के बड़े हाकिम हो गये, को यह काम दीजिये। इनसे काफी सीमियर सिविल सर्जन अभी पड़े हैं, मगर यह हाकिम बन गये इस विभाग के....

श्री बसन्तलाल शर्मा (जिला बहराइच)---

श्रीमन्, अध्यक्ष महोदय की रूलिंग हो चुकी है कि जो व्यक्ति गैलरी में बैठा हो, या सदन में अपनी बात न कह सके, उसके बारे में यहां नहीं कहना चाहिये। शर्मा जी,यहां गैलरी में बैठे हैं। यह उनके ऊपर आक्षेप है, माननीय सदस्य को ऐसे शब्द नहीं कहने चाहिये।

श्री अधिष्ठाता---

मैं समझता हूं कि जो सदन में आकर अपनी बात न कह सके, उसके बारे में ऐसे शब्द नहीं कहने चाहिये, उनका नाम न लिया जाय तो अच्छा है।

श्री चन्द्रबलीसिंह---

इसीलिये, मैंने पहले श्री शर्मा ही कहा था, अब मुझे क्या मालूम कि वे गैलरी में बैठे हुये हैं। जहां तक सवाल है कि आज भ्रष्टाचार का, तो उसकी चर्चा करनी ही पड़ेगी जो गैलेरी में बैठे हों या बाहर। गैलेरी के बाहर एक दयाराम शर्मा हैं वे दफ्तर के बड़े बाबू हैं। उनका हाल यह है कि रोज उनके बंगले बन रहे हैं कर्जे के नाम पर बंगला बन रहा है और घूस के कारण सारे अधिकारी परेशान हैं उनसे। एक मिसाल मैं बताऊं आपको। गोरखपुर में एक मलेरिया विभाग के ड्राइवर थे। छः वर्ष से मुअत्तल हैं और आज तक उनका फैसला नहीं हुआ और उनको मुअत्तिली में आधी तनख्वाह मिल रही है और यह जवाब नहीं मिल रहा है कि नौकरी से कब वे बरख्वास्त होंगे। शर्मा जी के पास और मिनिस्टर के पास साठ-सत्तर रजिस्टर्ड उनकी दरख्वास्तें आईं, पर नतीजा कोई नहीं निकल रहा है। तो आखिर इस किस्म की अव्यवस्था फैलाने वाले के खिलाफ आप व्यवस्था नहीं कर सकते हैं। उनका मुंह बन्द करके मंत्री जी जवाब दें। अगर उनका नाम काट सकेंगे तो कटेगा। जब इस सूबे में पचास साठ सिसिवल सर्जन हैं। सिविल सर्जनों से भी नीचे उनका नाम पच्चासवें नम्बर तक नीचे जाता है पर डायरेक्टर उनको बना दिया गया है। तो क्या यह चापलूसी के बिना सम्भव है ? अगर इस तरह से डाइरेक्टर बना दिये जायेंगे तो वे समूचे विभाग को ही तंग करेंगे आज स्वास्थ्य विभाग जितना भ्रष्ट हुआ है उसकी कोई हद नहीं है। इसलिये साधारण से साधारण केस असाधारण बनाया जा रहा है और असाधारण साधारण बनाया जा रहा है।

अधिष्ठाता महोदय, एक सवाल मिलावट का भी आ गया है और उसका भी असर पड़ता है। लेकिन मिलावट के लिये हो क्या रहा है ? मिलावट के लिये चालान हो रहे हैं और चालान क्या हैं ? जैसे कि पुलिस ११० और १०९ के कुछ मुकदमें अदालत में देती है और वह उसकी कारगुजारी मानी जाती है। लगता है ठीक उसी तरह से यदि स्वास्थ्य विभाग के इन्सपेक्टर और अधिकारी साल में दो तीन केस इस मिलावट के अदालत में दे दें और उनकी कारगुजारी हो जाय। बाकी वे सारी मिलावट पर परदा डाल रहे हैं और इससे ज्यादा अधिकारियों के लेन देन में फर्क नहीं पड़ा। इस विभाग का जनता के स्वास्थ्य से कोई मतलब नहीं। जनता का स्वास्थ्य चूल्हे में जाय। आज स्वास्थ्य विभाग नेकोई कानून इस तरह का नहीं बनाया कि मिलावट वालों को संगीन अपराध के रूप में लिया जाय। होता यह है कि कुछ जुर्माना हो जायेगा। लेकिन, अधिष्ठाता महोदय, उस मिलावट से मौतें हो रही हैं। बनारस में तो

[श्री चन्द्रबलीसिंह]

कई बार इस किस्म की मौतें हुई। रोज रेलवे विभाग इस किस्म के नोटिस बांटता फिरता है कि किसी का दिया हुआ मत खाओ। हल्दी वगैरह में इतनी मिलावट हो गई है कि इससे बहुत ज्यादा मौतें हो रही हैं। इसकी रोकथाम की ओर सरकार का ध्यान नहीं गया है। इसी तरह से एक केसारी दाल का भी सवाल है। केसारी पैदा करके बड़े काश्तकार खेत मजदूरों को मजदूरी में देते हैं और जहां पर केसारी होती है वहां पर मजदूर केसारी को खाकर लुंज-पुंज हो रहा है, लकवा हो रहा है या दूसरी बीमारियां हो रही हैं। इसको रोकने के लिये अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है।

मलेरिया और चेचक उन्मूलन की बात बहुत की गई। अमेरिका ने पैसा दिया और हमने कुछ काम कर दिया। अपने आदमियों की नौकरी लगा दी कुछ काम तो हुआ। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आखिर शहरों और ग्रामों की गन्दगी को दूर करने के लिये आपने कौन से कदम उठाये? क्यों नहीं गेंदासिंह जी से मिल जाते हैं? खाद विभाग और आप दोनों मिल जाते तो गन्दगी दूर हो जाती और स्वास्थ्य का मसला हल हो जाता। इलाहाबाद की मक्खी मार लिये और तीसमार खां हो गये। लेकिन मच्छर तो लोगों की रात भर नींद हराम किये हुए हैं। अगर आप सबको मसहरी नहीं दे सकते तो मच्छर मारिये। दूसरे मुल्कों ने तो बहुत मारे हैं आपने क्या किया है? प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों की दवा का सवाल है। उत्तर प्रदेश की सरकार का कर्मचारी और केन्द्रीय सरकार का कर्मचारी अगर किसी डाक्टर के पास या बलरामपुर अस्पताल में जाते हैं तो केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी को पहले दवा मिल जाती है और अच्छी दवाइयां डाक्टर लोग उसके लिये लिख देते हैं जिसका पैसा उसे सरकार से मिल जाता है। उसका कारण यह है कि जितनी बार केन्द्रीय सरकार का कर्मचारी डाक्टर के पास जावेगा उसे उतनी बार की फीस मिलेगी। उत्तर प्रदेश के कर्मचारी से डाक्टर को कुछ पैसा नहीं मिलता है, जिससे उसकी देखरेख ठीक से नहीं होती है। इससे उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारी के मन काम करने के प्रति उपेक्षा की भावना पैदा होती है। आप केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के डाक्टर अलग कर दें तो प्रदेशीय सरकार के कर्मचारी को अपमानित नहीं होना पड़ेगा या दोनों के लिये समान व्यवहार कर दीजिये। सरकारी अफसर और एम० एल० ए० जो अच्छी तनख्वाह पाते हैं, अपने पास से इलाज करा सकते हैं, उनसे यह सुविधा लेकर खेत मजदूर, खोमचे वाले और रिक्शा चलाने वालों को दीजिये। लेकिन यहां तो उलटी गंगा बह रही है। चिटठी लिख दी तो पचासों दवाइयां मिल जाती हैं। शर्मा जी की हिम्मत नहीं है कि वह काट दें क्योंकि उनको तो डर है कि कोई एम० एल० ए० नाखुश न हो जाय। हर पार्टी के एम० एल० ए० को कुछ न कुछ सुविधा दे ही देते हैं जिसका नतीजा यह है कि आप गलत ढंग से तरक्की पाये और ऊंची कुर्सी पर विद्यमान हैं।

आयुर्वेदिक छात्रों की हड़ताल के बारे में हमारे मिनिस्टर साहब का कहना है कि वह बन्द हो तो कुछ सोचा जाय। अगर आप आयुर्वेद पद्धति को जिलाना चाहते हैं और प्रदेश की जनता को दवा देना चाहते हैं तो कृपा करके आप उनकी वाजिब मांगों को तो तुरन्त मान ही लें आप उन्हें बी० एम० बी० एस० पाठ्यक्रम की तो शिक्षा देते हैं और डिग्री देते हैं आयुर्वेदाचार्य की, हालांकि हमको तो यही अच्छा लगता है। लेकिन जब इस देश में एक पागलपन सवार है कि बाहरी डिग्री को पसन्द करते हैं तो दे दीजिये। इसी प्रकार से और भी मांगें हैं जिन्हें आप पूरा करने की कृपा करें, नहीं उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य की बरबादी के लिये आप जिम्मेदार ठहराये जावेंगे। या तो आप डाक्टरी का राष्ट्रीयकरण कर दीजिये कि कोई डाक्टर दूकान नहीं खोल पावेगा, सब सरकारी काम करेंगे वरना आयुर्वेद पद्धति का गला दबाकर उसे मारिये मत।

एक बात गांवों की औरतों के बारे में कहना चाहता हूं। उनको वोट का मौका तो दे दिया गया है लेकिन फिर भी न प्रधान बन पा रही हैं और न पंच। साथ ही यदि उजाला होने के पहले वे खेत में पाखाना हो आईं तो ठीक है वरना सारे दिन, अंधियारा होने तक उन्हें पाखाना अपने पेट में सड़ाना पड़ता है। इसकी रोकथाम के लिये गांवों में बड़े पैमाने पर पाखाने बनवाने की जरूरत है।

श्री अधिष्ठाता--

आपका समय समाप्त ।

श्री केशवसिंह (जिला शाहजहांपुर)--

अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं ।

पिछले समय से सरकार ने करीब ५ गुना रुपया अधिक इस विभाग पर खर्च करना शुरू कर दिया है, जितना ५१ में खर्च था उसका ५ गुना खर्चा अब किया जा रहा है। यह बहुत ही अच्छा लक्षण है जो हमें सरकार का कृतज्ञ होने और उन्हें धन्यवाद देने के लिये बाध्य करता है। मैं आपका ध्यान आयुर्वेद के खर्चे की ओर खींचना चाहता हूं । जो एलोपैथी के मुकाबले में बहुत ही कम है । आप यह जानकारी हासिल करें कि आयुर्वेद की शिक्षा देने में और एलोपैथी का डाक्टर बनने में कितना खर्च होता है । एलोपैथी के लोग देहात में नहीं जाते और हमें चिकित्सा से वंचित रहना पड़ता है । हम इससे राजी हो जावेंगे कि आप हमारे यहां आयुर्वेद के ही डाक्टर भेज दें । अच्छा होता अगर एलोपैथी के डाक्टरों की संख्या बढ़ जाती और हम उनकी पद्धति से लाभ उठा पाते। पिछड़ी योजना में आपने ४० एलोपैथी के अस्पताल खोलने की बात रखी थी जिसमें से २६ खोल पाये । आयुर्वेदिक और यूनानी के ४२ खोलने की बात थी जिसमें से ३९ खोले हैं । जितना एक एलोपैथी का शिक्षालय खोलने में खर्च होता है उतने में शायद ४० आयुर्वेद के शिक्षालय खोले जा सकते हैं । अगर आप इसको जरा ध्यान से देखें और इसको १० गुना कर दें तो ४९० आयु और यूनानी के दवाखाने देहात में खुल जायेंगे वेद जिससे देहात के लोगों को हजारों गुना फायदा अधिक होगा । देहात के लोगों को इससे अधिक सुविधा और कोई नहीं हो सकती ।

मेडिकल कालेज खोले जा रहे हैं, अच्छी बात है । अधिक से अधिक मेडीकल कालेज खोले जाने की आवश्यकता है । इससे न केवल हमारी चिकित्सा को लाभ पहुंचेगा वरन् युद्धकाल में भी हमको अच्छे से अच्छे डाक्टर मिल सकेंगे । पिछले दिनों इसकी बहुत कमी हमें फील हुई थी । मैं मंत्री जी का आभारी हूं कि वे मेरठ, झांसी और गोरखपुर में मेडिकल कालेज खोलने जा रहे हैं । मैं मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वे रुहेलखण्ड में, शाहजहांपुर में भी एक मेडिकल कालेज खोलने की व्यवस्था करें ।

इसके अलावा युद्ध काल में नर्सों की बहुत आवश्यकता होती है । मंत्री जी को चाहिये कि वे शान्ति के समय इस पर गम्भीरता से विचार करें और अधिक से अधिक लड़कियों को नर्सों की ट्रेनिंग के लिये प्रोत्साहित करें ।

श्रीमन्, सबसे अधिक सफलता हमें संक्रामक रोगों की रोकथाम में हुई है । सारकार इस के लिये धन्यवाद की पात्र है । मलेरिया के कारण सन् ४७ में ६ हजार के ऊपर ६५-६६ मृत्यु संख्या थी जब कि ६४-६५ में वह ६ हजार पर एक ही रह गयी है । चेचक का भी प्रकोप नहीं हुआ है । यह सरकार की दूरदर्शिता और परिश्रम का सबूत है । टी० बी० के रोग के निवारण के लिये भी क्लीनिक खोले गये हैं । शाहजहांपुर में भी एक सा क्लीनिक खोल गया है जिससे हजारों लाखों आदमी फायदा उठाते हैं । मेरी प्रार्थना है कि सरकार अधिक बीमार आदमियों के लिये उनमें शैय्याओं का भी प्रबन्ध करे, २५-३० शैय्याओं का प्रबन्ध हो जाय तो बहुत अच्छा है ।

आयुर्वेदिक कालेजों की सहायता के लिये जो अनुदान दिया जा रहा है वह अच्छा ही है क्योंकि गवर्नमेंट उनको अपनी ओर से नहीं खोलना चाहती । लेकिन इस चिकित्सा का विकास इसलिये नहीं हो रहा है कि इसमें स्नातकोत्तर पढ़ाई की व्यवस्था वाराणसी विश्वविद्यालय के अतिरिक्त और कहीं नहीं है । इसलिये वहां के स्नातकों को जो वेतन मिलता है वह और स्थानों के स्नातकों को नहीं मिलता है । मैं चाहता हूं कि गुरुकुल कांगड़ी में सरकार ऐसी व्यवस्था करे ।

श्री भगवानदास यादवेन्दु (जिला आगरा)---

क्या कोई माननीय सदस्य लिखा हुआ भाषण पढ़ सकता है ?

श्री अधिष्ठाता---

वह पढ़ नहीं रहे हैं । अपने नोटों से सहायता ले रहे हैं।

श्री केशवसिंह---

मैं यह चाहता हूं कि गुरुकुल कांगड़ी में, जहां कि गवर्नमेंट आफ इंडिया अपनी रिसर्च स्कीम चला रही है, स्नातकोत्तर पढ़ाई सरकार चालू कराये । इसमें कोई कठिनाई भी न होगी। इसके लिये सरकार को गुरुकुल को सहायता देनी चाहिये । इन शब्दों के साथ मैं अपने भाषण को समाप्त करता हूं।

(श्री बसन्तसिंह का नाम पुकारे जाने पर)

श्री मुकुटबिहारीलाल---

सदन में श्रीमन्, कोरम नहीं है।

(घंटी बजाई गई और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री बसन्तसिंह (जिला बिजनौर)---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा कि उनकी नीति एलोपैथी पर आधारित है लेकिन साथ ही वह आयुर्वेद को जिन्दा करना भी चाहते हैं। मैं उनसे बताना चाहता हूं कि आयुर्वेद मरा नहीं है । उसकी जड़ें समाज में बहुत गहरी हैं, हमारे यहां ८५ प्रतिशत जनता आयुर्वेद से ही लाभान्वित होती है । वास्तव में उनकी नीतियों के कारण ही आयुर्वेद मर रहा है और वह उसे और मार डालना चाहते हैं। मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय इस बात का उत्तर दें और पुष्टि करें कि वह किस तरह से आयुर्वेद को जिन्दा रखना चाहते हैं और वह कैसे मर गया है। उनके विभाग की नीति आयुर्वेद को खत्म करने की है, कुछ विद्यालय वह स्थापित कर दें इससे आयुर्वेद जिन्दा नहीं रह सकता। मैं तो यह नहीं मानता कि वह मरा है लेकिन वह तभी जिन्दा रह सकता है जब वह उसको एलोपैथी के समान ही नहीं बल्कि उससे ऊंचा स्तर हर क्षेत्र में दिलायें। वास्तव में सरकार के जैसे काम चल रहे हैं और अंग्रेजों के वातावरण में पले हुये जो उनके सरकारी अधिकारी हैं उन्हीं से प्रभावित होकर आज इस सरकार का दिल व दिमाग चलता है और इसी तरह से इस विभाग का भी काम चल रहा है। जैसा अधिकारी पढ़ा देते हैं उसी प्रकार से विभाग का काम चलने लगता है। मौलिकता और चिन्तन का सर्वथा अभाव पाया जाता है।

आयुर्वेदिक कालेज लखनऊ की हड़ताल के बारे में जो नीति अपनाई गई है उसी से मालूम हो जाता है कि कितना अत्याचार इस प्रणाली के साथ हो रहा है। मंत्री जी का कहना है कि विद्यार्थी गलत रास्ते पर हैं लेकिन मैं कहूंगा कि विद्यार्थी ठीक रास्ते पर हैं और उनके साथ यह विद्यालय की राजनैतिक खिलवाड़ हो रही है और उनकी समस्या को समझा नहीं जा रहा है और उनकी समस्याओं का कोई हल या समाधान नहीं निकाला जा रहा है। आज सरकार के दिमाग में एक ऐसा वातावरण सा बन गया है कि विद्यार्थी जो कुछ सही भी कहते हैं तो वह उनकी उद्दंडता कही जाती है और कोई बात उनकी ठीक नहीं समझी जाती है। यह समझने की बात है कि कोई नौजवान अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। क्या सरकार कभी ठंडे दिल से उन गलत नीतियों की ओर और विद्यार्थियों की कठिनाइयों की ओर ध्यान देती है जिनके कारण यहां या अन्य संस्थाओं में रोज हड़तालें होती हैं। कारण यह है कि विद्यार्थियों के लिये जिस उपयुक्त वातावरण का निर्माण होना चाहिये उसका निर्माण नहीं किया जाता। उसके लिये जो चिन्तन होना चाहिये वह नहीं होता। कहा गया है कि जो प्रस्ताव है कौंसिल का उसमें कन्डेन्सड कोर्स की व्यवस्था की गई है और इस कोर्स को पास करने वाले छात्रों का ग्रेड

२२०-४५० कर दिया है। मेरी जहां तक जानकारी है कन्डेन्स्ड कोर्स की व्यवस्था इस आधार पर की गयी है कि मिश्रित प्रणाली के अन्तर्गत जो २० प्रतिशत एलोपैथी का कोर्स, एम०बी०, बी०, एस० के मुकाबले में उन्हें कम पढ़ाया जाता है, उसको पढ़ा दिया जाय और एम० बी० बी० एस० के समकक्ष डिग्री दे दी जाय जिससे उन्हें एम० बी० बी० एस, के समान सुविधाएं और वेतनक्रम प्राप्त हो जाय। क्या यह व्यवस्था दूसरे प्रान्तों में नहीं हुई है? आयुर्वेद कालेज में कभी मिश्रित प्रणाली की जाती है कभी शुद्ध आयुर्वेदिक प्रणाली की जाती है। कभी उसके लिए बी० एम० बी० एस० की डिग्री प्रदान की जाती है जिसे एम० बी० बी० एस० के समान सुविधाएं दी गईं। मंत्री जी ने कहा कि राज्य की नीति मिश्रित प्रणाली को स्थिर रखने की है। इसलिए कन्डेन्स्ड कोर्स की व्यवस्था नहीं की जा सकती। वास्तव में बात दूसरी है। उनकी नीतियों ने आयुर्वेद के प्रति जो उपेक्षा बरती है, उसमें जो अनास्था उत्पन्न कर दी है, उसके आधार पर जो वातावरण का निर्माण हुआ है, उसे वह जानते हैं और समझते हैं कि यदि शुद्ध आयुर्वेद पढ़ाया गया तो कोई भी छात्र पढ़ने नहीं आयेगा। इसलिए वे मिश्रित प्रणाली रखना चाहते हैं। यदि आयुर्वेद के स्नातक को एलोपैथी के स्नातक के बराबर स्तर दे दिया जाय तो समस्या का समाधान हो जायेगा।

उपाधि यदि आयुर्वेदाचार्य रखें तो कोई एतराज नहीं है लेकिन उन्हें एम० बी० बी० एस० के समान सुविधायें दें। वास्तव में हमें सोचना चाहिये कि इसके पीछे क्या भावना है। जहां तक बी० एम० बी० एस० का सम्बन्ध है उन लोगों को केवल एम० एस० और एम० डी० पास करने की सुविधा नहीं है बाकी सब सुविधायें उनको हैं। तो इसलिये अगर वे चाहते हैं कि बलरामपुर अस्पताल में उन्हें हाउस सर्जन के लिए रखा जाय तो बिल्कुल उचित ही है। उनको वहां पर न रखने का अभिप्राय ही यह है कि अधिकारी चाहते हैं कि इनके स्तर में फर्क बना रहे। एम० बी० बी० एस० के लिए कहा जाता है कि उनका प्रशिक्षण बलरामपुर अस्पताल में हुआ है और आयुर्वेदाचार्य का वहां शिक्षण न देकर उन्हें एम० बी० बी० एस० के स्तर से कम दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। आज इस प्रकार का भेद करके उनके जीवन से खिलवाड़ किया जा रहा है। आप अपने अधिकारियों की बातों को सुनकर, जो सदन में माननीय सदस्यों को धोका देते हैं वह मुनासिब नहीं है। मंत्री सरकार का ही नहीं जनता का भी आदमी होता है। यदि आप आयुर्वेद के स्नातक को भी वे ही सुविधायें और वेतनक्रम दे दें, जो कि आप एम० बी० बी० एस० को देते हैं तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। मैं जहां तक समझता हूं इन विद्यार्थियों में योग्यता एवं दक्षता एम० बी० बी० एस० वाले विद्यार्थियों से कम नहीं होती है। वे ८० प्रतिशत कोर्स एलोपैथी का पढ़ते हैं और वे ही प्रोफेसर और वे ही लेक्चरार उन्हें पढ़ाते हैं जो एम० बी० बी० एस० को पढ़ाते हैं। जो दोनों कोर्सेज हैं, उनको मैंने मिला कर देखा है। मैं भी एक साइन्स का ग्रेजुएट हूं। मैंने देखा है कि उनमें कोई अन्तर नहीं है लेकिन जहां तक सुविधाओं का सम्बन्ध है, वे उन्हें नहीं मिलती हैं। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि उन्हें सुविधायें देने में क्या आपत्ति है। आप आयुर्वेद के मुकाबले में एलोपैथी को ऊंचा दर्जा देते हैं। इस सरकार का आज जो रवैइया चल रहा है उसके कारण आयुर्वेद में अनास्था पैदा होती जा रही है।

मैं तो यहां तक कहता हूं कि यदि यहां पर आयुर्वेदिक चिकित्सा की ओर ध्यान दिया जाता और इसकी प्रगति के लिये प्रयास किया जाता तो आज संसार में बहुत से देश आयुर्वेदिक को चलाते और ऐलोपैथिक को छोड़ देते। एलोपैथिक में विज्ञान के उपकरणों द्वारा प्रगति हुई है, इन्हीं के द्वारा शल्य चिकित्सा में प्रगति हुयी है लेकिन वह तो विज्ञान की देन है, पैथी की देन नहीं है। वही आयुर्वेद में भी हो सकता है और उसका भी विकास हो जाता है। अगर इस पर पूर्णरूप से चिन्तन किया जाता तो आज इसमें भी उसी प्रकार से प्रगति हुयी होती। जहां तक पैथी का प्रश्न है आयुर्वेद, ऐलोपैथिक से ऊंचा है। उसका सिद्धान्त ही यह है कि रोग पैदा न हो। लेकिन ऐलोपैथिक में यह नहीं है। वह तो रोग को दबाती है, उसे समूल नष्ट नहीं करती नतीजा यह होता है कि एक रोग समाप्त हुआ तो दूसरा रोग शरीर में पैदा होने लगता है। आयुर्वेद में रोग के मूल कारण को समाप्त किया जाता है।

श्री अधिष्ठाता---

अब आपका समय समाप्त हो गया ।

श्री जयगोपाल (जिला सहारनपुर)---

अधिष्ठाता महोदय, मंत्री जी ने जो अनुदान पेश किया है मैं उसका समर्थन करता हूं । इस मुहकमे ने हमारे प्रदेश की बहुत सेवा की है और वे तमाम बीमारियां जो बड़ी तादाद में देहातों और शहरों में अवाम के मरने का कारण होती थीं, उनको एक-एक करके काबू में लाया गया परन्तु यह सब कारगुजारी के बावजूद किसी भी महकमें की तारीफ करना मुनासिब नहीं है क्योंकि यह नहीं कहा जा सकता है कि उसमें सेवा करने की क्षमता नहीं बढ़ायी या सकती है । मैं समझता हूं कि यह और जनता की सेवा कर सकता है अगर तवज्जह दी जाय । मैं अर्ज करना चाहता हूं कि आज कल हमारे प्रदेश में महंगाई भत्ते का बड़ा भारी झगड़ा चल रहा है और आने वाले वक्त में यह ऐसी शक्ल अख्तियार करेगा कि हमें अपनी सर्विसेज की जो बुनियादी चीजें हैं उनको फ़्री कर के इस के साथ दो, चार होना पड़ेगा क्योंकि पैसे की और महंगाई की दौड़ एक लम्बे अरसे तक नहीं चलायी जा सकती । इस महकमे को इस बात के लिये तैयार होना है कि बड़े पैमाने पर लोगों को मुफ्त दवाई दे सकें या यह कहिये कि जो हमारे सरकारी मुलाजिम हैं उनको हम फ़्री मेडिकल ऐड दे सकें । इस का एक तजुर्बा हो रहा है, मजदूरों में ई० एस० आई० की स्कीम चल रही है जिसके अन्दर मजदूर और उसके बीबी, बच्चों के इलाज की जिम्मेदारी इस विभाग ने ली है । उसके अन्दर अगर हम कामयाबी हासिल कर सकते हैं तो यह इस बात का प्रतीक होगा कि हम आगे आने वाली जिम्मेदारियों को ले सकते हैं ।

मैं एक चीज इस महकमे के बारे में अर्ज करना चाहता हूं कि इस महकमे के काम को सीरियसली लिया जाना चाहिये । यह राय कायम करना कि कहीं किसी डाक्टर से कोई गड़बड़ हो जाय तो उसको ई० एस० आई० डिस्पेंसरी में भेज दिया जाय यह ठीक नहीं है । बल्कि ई० एस० आई० के अन्दर बेहतरीन डाक्टर को भेजना चाहिये जो इस महकमे की इज्जत को कायम करें और लोगों के अन्दर विश्वास पैदा करे कि सरकार जिन जिम्मेदारियों को लेती है उन को पूरे तौर पर निभा सकते हैं और उनका मंशा ठीक तरह से उन चीजों को करने का होता है । सहारनपुर में काफी तादाद में मजदूर हैं । ई० एस० आई० डिस्पेंसरीज हैं । हमारे सिविल अस्पताल में कुछ बिस्तर इस बात के लिये मुकर्रर किये गये हैं कि जो मजदूर आयें उनको जगह दी जाय । मगर होता यह है कि वहां पर उनके साथ अच्छा बरताव नहीं होता । वहां पर जैसे सब की घास कटती है उनकी भी वैसे ही कट जाती है । उनको यह मालूम नहीं है कि सरकार ने एक बीमा योजना के जरिये से इस बात की जिम्मेदारी ली है कि वह इनको और इनके बच्चों को हर तरह की दवा दारू की सुविधा दे । तो नतीजा यह है कि मजदूरों में बेचैनी होती है और वे समझते हैं कि यह स्कीम हमें परेशान करने के लिये बनायी गई हैं । बेहतर यह हो कि सहारनपुर में ई० एस० आई० अपना अस्पताल बनाये ताकि मजदूरों को वहां रहने और इलाज का लाभ उठाने का पूरा-पूरा मौका मिल सके ।

(इस समय २ बजकर २९ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल पीठासीन हुये ।)

एक बात और अजीब मेरी नोटिस में आयी जो आज सुबह के अखबारों में निकली है । जो सेनीटरी इंस्पेक्टर हैं उन की तनख्वाह पे रेशनलाइजेशन कमेटी ने जो मुकर्रर की थी वह और भी घटा दी गई । कोई भी मुलाजिम जब यह चाहता है कि उस की सर्विस कंडीशन के बारे में गौर किया जाय तो इसलिये नहीं चाहता कि वह बदतर हो जाय, वह तो बदतर चाहता है । अब तक उसको १७५ रुपये माहवार तनख्वाह मिलती थी लेकिन नये ग्रेड में १४५ रुपये तनख्वाह मिलेगी । दूसरी तरफ उनके ऊपर काम का दबाव बढ़ता जा रहा है । जो अनुमेलन सरकार इस विभाग के जरिये से करने जा रही है उसके मुताबिक जब काम खत्म हो तजाता है, रोटीन में हो जाता है तो सेनिटरी इंस्पेक्टर से वह काम लिया जायगा । तो इस जिम्मेदारी को बढ़ने के साथ-साथ उनकी तनख्वाह का कम किया जाना नामुनासिब बात है ।

दूसरी बात यह है कि जो उनके मातहत काम करता है बी० एल० डब्ल्यू० उनकी तनख्वाह की हालत बदतर करदी है जब कि इनकी बदतर कर दी गयी है । इस तरफ मकहमे को तवज्जह देनी चाहिये । एक जोशी कमेटी बैठी थी । उसकी सिफारिश के मुताबिक सरकार ने आयुर्वेद की जो डिस्पेंसरीज थीं उनमें कुछ तादाद को वह अपग्रेड करती है और वहां पर २३५ रुपये का स्टार्ट देती है। हमारे लेबर डिपार्टमेंट में आयुर्वेद की डिस्पेंसरीज हैं लेकिन जोशी कमेटी ने जो सिफारिश की है उसके मुताबिक २३५ का स्टार्ट नहीं दिया जा रहा है जिससे वहां बड़ी बेचैनी है । जहां सरकार अपनी डिस्पेंसरीज को अपग्रेड करती है वहां लेबर के अन्दर जो आयुर्वेदिक डिस्पेंसरीज खोली हैं उनको भी वह अपग्रेड करे ।

जहां तक आयुर्वेद का ताल्लुक है मैं यह समझता हूं कि यह कम्प्लीट साइंस है और ऐलोपैथिक बहुत फैल जाने से सरकार की इस तरफ भी तवज्जह देनी चाहिये । सरकार आयुर्वेद का एक कालेज तथा अस्पताल बनारस में खोलना चाहती है । यह एक मुनासिब और अच्छा कदम है और मैं यह समझता हूं कि जितनी जल्दी हो सकेगा यह सही कदम उठाया जायगा । लंका में जितनी आयुर्वेद की तरक्की हो रही है वह यहां नहीं हो रही है। उन्होंने यहां तक किया है कि हमारे यहां जितने अच्छे अच्छे वैद्य थे, यहां तक कि जामनगर में जो रिसर्च संस्था बनाई गयी है वहां के लायक पर्सनल को अपने यहां बुलाकर आयुर्वेद की तरक्की देने की कोशिश की है जब कि हमारा देश इसमें बहुत पीछे है । इंटेग्रेटेड कालेज चलाये जाते हैं । मैं उनका कुछ महत्व नहीं समझ सका। न वे ऐलोपैथिक तैयार करते हैं और न आयुर्वेदिक तैयार करते हैं । वहां पर पढ़ाने वाले प्रोफेसर ऐलोपैथिक औषधि से ताल्लुक रखते हैं । वहां का वातावरण ऐलोपैथिक होता है और वहां से निकलने के बाद वहां के ग्रेजुएट्स न ऐलोपैथिक समझे जाते हैं और न आयुर्वेदक समझे जाते हैं। उसकी नालेज यह होती है कि बाहर आ कर वह आयुर्वेद की सेवा न करे और अपने आप को डाक्टर बनाने की कोशिश करे और उस कोशिश में वह क्या बन जाता है वह एक देखने व जानने से ताल्लुक रखने वाली बात होती है । मेरी राय यह है कि जितने इंटेग्रेटेड कोर्स से ताल्लुक रखने वाले कालेजेज हैं उनको छांट लिया जाय । आधे को खालिस एम० बी० बी० एस० और आधे को खालिस आयुर्वेदिक बना दिया जाय तब वे उस तरह के ग्रेजुएट निकलेंगे जिस तरह के तरीके इलाज में वह विश्वास रखते हैं और वे तब उसकी सेवा कर सकेंगे और उस काम को आगे बढ़ा सकेंगे । सहारनपुर के अन्दर जो जिला अस्पताल है उसमें बड़ी तादाद में मरीज आते हैं । जो उनकी सेवा सुश्रुषा के लिये आते हैं उनके साथ के आदमी को रहने की कोई जगह नहीं मिलती । नतीजा यह होता है कि तमाम बरामदों और बाहर जमीनों को वह घेरे रहते हैं । खाना पकाते हैं, गंदगी फैलाते हैं, गड़बड़ी करते हैं । कुछ लोग ऐसे हैं कि सरकार अगर उनको सहूलियत दे दे तो वे धर्मशाला बनाने को तैयार हैं ताकि वहां लोग ठहर सकें । यह चीज अफसरान के सामने रखी गयी तो उनका कहना यह है कि हम अस्पताल में इस तरह की इजाजत नहीं दे सकते हैं क्योंकि उसमें हो सकता है कि मरीज आदमी की खिदमत करने के लिये कुछ ऐसे मरीज भी आ सकते हैं जिनका मर्ज जाहिर न हो और वे दूसरे लोगों में रह कर मर्ज फैलाने का बायस बनें । दूसरे यह है कि इस तरह के इन्तजाम की जिम्मेदारी अस्पताल अपने जिम्मे क्यों ले । इस सिलसिले में मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि अगर सरकार या हेल्थ डिपार्टमेंन्ट कोई उपयुक्त जमीन जुटा कर अस्पताल के आसपास देने की कृपा करे या जिम्मेदारी ले तो मैं समझता हूं कि धर्मशाला भी बन जाय और अस्पताल में रहने से जो लोगों को तकलीफ है वह भी दूर हो सकती है । मैं समझता हूं कि सरकार को इसके ऊपर गर्मजोशी के साथ विचार करना चाहिये ।

हमारे यहां एक एक्स-रे की मशीन है । अगर आप उसके आदादी शुमार इकट्ठा करें कि उसकी रोजाना कितनी फिल्म लेनी पड़ती हैं और कितनी स्क्रीनिंग उसके ऊपर होती है तो आपको अन्दाजा हो जायगा कि वह अपनी कैपेसिटी से कितना ज्यादा काम कर रही है और इसका नतीजा यह हो सकता है कि वह किसी भी दिन बेकार हो सकती है और फिर पब्लिक को कितनी परेशानी होगी इसका अन्दाजा आप लगा सकते हैं । मैं इस बात के लिये महकमे का शुक्रगुजार हूं कि उसने

[श्री जयगोपाल]

जिम्मेदारी ली है कि ऐसी मशीनों की मरम्मत अपने तौर पर करायेगा बजाय इसके कि बम्बई और कलकत्ता से मैकेनिक बुलायें। उसमें काफी देर होती थी और लोगों को बहुत तकलीफ होती थी।

हमारे यहां एक लेडी डाक्टर हैं। उसके बारे में सिटी कांग्रेस कमेटी और मुख्तलिफ लोगों ने बहुत सी शिकायतें भेजी मगर अफसोस है कि तहकीकात नहीं होती और अगर होती है तो मुनासिब नहीं होती। उसके ऊपर महकमे को तवज्जह देनी चाहिये और ऐसी लेडी डाक्टर को रखने या न रखने से कोई फर्क नहीं पड़ता।

फैमिली प्लानिंग इस वक्त अशहद जरूरत की चीज है। इसके ऊपर हमारा आगे का आर्थिक और सामाजिक ढांचे का इनहसार है। इसके अलावा हमारे जितने जिलों में काम करने वाले लोग हैं वे तकरीह ज्यादा करते हैं और काम कम। नसबन्दी के आपरेशन हुये। जबरदस्ती लोगों को खींच कर लाया गया और टार्गेट पूरा करने की कोशिश की गयी लेकिन उसमें जो प्रचार करके लोगों की राय बनाने की बात है वह नहीं की गयी। औरतों और आदमियों में इसके लिये दिलचस्पी है और अभी कल के अखबार में आपने देखा होगा कि डाक्टर एस० के० गुप्ता का एक बयान निकला है जिसमें उन्होंने मुख्तलिफ मिसालें दे कर बतलाया है कि किस तरह घर पर आ कर लोगों ने नसबन्दी का आपरेशन कराया। हमारे यहां एक ब्लाक में एक मेल मेम्बर फैमिली प्लानिंग का प्रचार करने के लिये रखे गये। मैंने उनसे पूछा कि आप क्या काम करते हैं। तो जो कुछ उन्होंने बतलाया उससे मुझे यही मालूम हुआ कि दफा उल वक्ती करते हैं और कुछ नहीं करते। अभी तक तो दस रुपये दे कर नसबन्दी का आपरेशन कर देते हैं लेकिन मुझे डर है कि आगे चल कर जैसे कुम्भ के मेले में तो न रुपये देकर टीके का सर्टिफिकेट मिल जाता है उसी तरह से इसमें भी करप्शन न शुरू हो जाय। इस स्कीम की हमारे देश के लिये बहुत अहमियत है। इसलिये मैं अर्ज करूंगा कि जो इसमें काम करने वाले आदमी हैं उनकी सख्त निगरानी होनी चाहिये और उनको यह बताना चाहिये कि परसुएसिव मेथड्स और समझाने के तरीकों को ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर के इस चीज को कामयाब बनायें।

इन चीजों को पेश करते हुये मैं सदन से यह दरख्वास्त करूंगा कि वह इस अनुदान को कबूल करें।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय चन्द्रबली सिंह जी ने जो कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है मैं उसके समर्थन में खड़ा हूं। माननीय मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में एक जगह लेप्रोसी सम्बन्धी व्यवस्था के सम्बन्ध में "मन्दिर" शब्द का प्रयोग किया। श्रीमन्, इतना उपयुक्त शब्द है कि इसकी जितनी प्रशंसा की जाय कम है। लेकिन इसके साथ ही साथ जब मनुष्य मजबूरी के कारण इस मंदिर के दरवाजे पर सिजदा करने के लिये आता है तो उसकी शक्ल देखने लायक होती है और वह इस उम्मीद में आता है कि उस मंदिर का देवता उस पर दया करेगा और उसका उद्धार करेगा लेकिन जब उसकी मुराद पूरी नहीं होती है तो उसकी मायूसी की इंतिहा नहीं रहती। मुझे इस प्रदेश के चिकित्सालयों को देखने का मौका मिला है और जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा दवा भी कराने का मौका मिला है। ऐसी स्थिति आ जाती है जो अत्यन्त दयनीय है। लखनऊ में ऐसे चिकित्सालय हैं जहां पर मरीजों को ७।७ दिन तक डाक्टर ने अटेंड नहीं किया जिस डाक्टर के चार्ज में उसको आना चाहिये था उसके चार्ज में न आकर उसको दूसरे वार्ड में रख दिया गया। उसकी न तो उस वार्ड के डाक्टर ने खबर ली और न उस डाक्टर ने ली जिसके चार्ज में उसको आना चाहिये था और न नर्स ने ही उसकी खबर ली। वह सात दिन तक कराहती रही। जब एक माननीय सदस्य ने तवज्जह दिलाई क्योंकि उनकी उसमें स्वयं की दिलचस्पी थी तब यह राज खुला। आप सोच सकते हैं कि जिस राहत के लिये मरीजा उस दवा देना तो दूसरी मंदिर में अपनी जिन्दगी को रवानगी देने के लिये आती है, उसको सात दिन तक कोई पूछता नहीं, दवा देना तो दूसरी बात है। यह अत्यन्त दयनीय स्थिति है।

इसी राजधानी लखनऊ के एक चिकित्सालय में एक बच्चे को फ्रैक्चर हुआ उसके स्प्लिंटर सीधा लगना चाहिये था उसे टेढ़ा लगा दिया और वह बच्चा ४ दिन तक कराहता रहा है। नर्स और डाक्टर की निगाह में भी यह चीज आई लेकिन वह उसी तरह से कराहता रहा। जब बड़े डाक्टर सुपरिन्टेन्डेन्ट ने चक्कर लगाया तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। जब डाक्टर से उन्होंने कहा तो उसने कह दिया कि लग गया होगा। आप देखिये, गलत किस्म की दवा दी जाय और कहा जाय कि मरीज अच्छा हो जायेगा। आपको याद होगा कि इसी लखनऊ में एक महिला अस्पताल में तीन स्त्रियों का देहान्त हो गया और इसलिये कि पैराफिन की जगह कारबोलिक एसिड दे दी गई। पता नहीं मंत्री जी ने इस केस में क्या किया? मेरी जानकारी यह है कि केवल नर्स को मुअत्तल किया गया है। डाक्टर का कुछ नहीं किया गया है। जब कि डाक्टर की जिम्मेदारी थी नर्स के यह कहने पर कि पैराफिन का रंग लाल हो गया है, उसने यह कह कर टाल दिया कि ऐसा हो जाया करता है, पुरानी दवा होगी, तुम दे दो। मैं नहीं समझ पाया कि इस मंदिर की किस तरह से प्रशंसा करूं। यह बड़ी दयनीय स्थिति है।

इसके बाद मैं मंत्री जी का ध्यान प्रशासनिक ढांचे की ओर दिलाता हूं। भोर कमेटी और खेर कमेटी ने निश्चित रूप से सिफारिश की कि जिले में दो प्रकार का प्रशासन एक सिविल सर्जन का और दूसरा हैल्थ आफिसर का नहीं होना चाहिये। ये दोनों विभाग अलग अलग काम करते हैं और उनमें कोआर्डिनेशन नहीं है। इसको समाप्त किया जाय। मेरा अपना खयाल है कि शायद ही देश के अन्य प्रदेशों में कहीं ऐसी स्थिति हो। तो कौन सा कारण है कि यू० पी० में ऐसी स्थिति न पैदा हो जाय और प्रशासन सुदृढ़ न किया जाये। मैं चाहता हूं कि मंत्री जी इस पर ध्यान दें।

मैं मंत्री जी से नर्सेज के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि वहां पर मैंने नर्सेज में आंध्र प्रदेश, केरल और मद्रास की लड़कियां देखीं, जो बड़ी मुस्तैदी से अपना काम कर रही हैं। लेकिन एक मुसीबत है उनको ट्रेनिंग लेने के बाद उनके रहने का समुचित प्रलोभन इस प्रदेश में नहीं है। उनको दिल्ली वगैरह स्थानों पर ज्यादा तनख्वाह दी जाती है, जिससे वह दूसरे प्रदेशों में चली जाती हैं और यहां पर सर्विस करना पसन्द नहीं करती हैं। यह कितनी गलत बात है कि ट्रेनिंग हम दें, शिक्षा हम दें और हम उनकी सेवाओं से महरूम रह जायें। आपको नर्सेज के बारे में अवश्य ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये भले ही आप डाक्टरों के बारे में न कर सकें कि वह ट्रेनिंग प्राप्त करने के बाद इस प्रदेश में ही रहकर सेवा सुश्रूषा करें। उनकी प्रतिष्ठा के लिये और हमारे हित के लिये उनकी तरफ अवश्य ध्यान दिया जाना चाहिये और उनकी तनख्वाह बढ़ाने की निश्चित रूप से व्यवस्था की जानी चाहिये जिससे कि हम उनकी सेवाओं का लाभ उठा सकें।

तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जो पैसा हमारा लैप्स हो जाता है, वर्ष के आखिर में उसको लैप्स होने से रोकने की व्यवस्था करनी चाहिये। इसके लिये मंत्री जी को यह व्यवस्था करनी चाहिये कि ऐसी दवाइयां जो लाइफसेविंग हैं, उनको खरीद कर रख लेना चाहिये, इससे प्रदेश का लाभ होगा।

एक दूसरी चीज जिसकी तरफ मैं मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं वह यह है कि मोबाइल यूनिट टी० बी० के सिलसिले में चलती हैं। थोड़े से जो अस्पताल हैं उनसे काम चलने वाला नहीं है, फिर भी जो मोबाईल यूनिट हमारी काम करती हैं, उनको ज्यादा सक्रिय बनाया जाना चाहिये। जिस प्रकार आप अस्पतालों में बेड्स की व्यवस्था करने जा रहे हैं। यों तो ३० हजार बेड्स की संख्या बहुत कम है, तो भी टी० बी० के लिये हर जिले में आप कुछ बेड्स की व्यवस्था करें और उस रोग की दवा के लिये समुचित प्रबन्ध करें।

मैं मंत्री जी के बारे में बड़ी प्रसन्नता के साथ कहना चाहता हूं कि जब जब मैंने उनके विभाग की तरफ मंत्री जी का ध्यान दिलाया उन्होंने बड़ी सहानुभूतिपूर्वक उस पर विचार किया। उन्होंने

[श्री केशरीप्रसाद पाण्डेय[

टी.बी. के मरीजों को बिस्तरों के अभाव में महीने भर की दवा दी। उसके लिये मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं, लेकिन जिस हमदर्दी के साथ वह काम करते हैं वही हमदर्दी उन्हें प्रत्येक मरीज के प्रति करना चाहिये। प्रत्येक जिले के हेडक्वार्टर पर ३०—३० बेड्स ऐसी होनी चाहिये, जिससे उनको राहत मिल सके। श्रीमन्, मैं एक बात की तरफ और माननीय सदस्यों का ध्यान दिलाना चाहता हूं जैसा कि अभी मंत्री जी ने कहा कि देहात में अस्पतालों में डाक्टरों की कमी है। आपको इसके लिये अवश्य व्यवस्था करनी पड़ेगी, केवल कहने से कुछ नहीं होगा या तो आप एडमिशन के समय उसमें ऐसा क्लाज रखें कि भर्ती होते समय वह अभ्यर्थी प्रतिज्ञा करे कि डाक्टरी पास करने के बाद वह २ साल, ३ साल या ४ साल तक देहातों में सेवा करेगा। गांव का रहने वाला लड़का कुछ साल लखनऊ में पढ़ कर यदि वह देहातों से घृणा करने लगे तो यह कितने शर्म और खेद की बात है।

इस विषय पर मेरी कुछ डाक्टरों से बात हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि जैसे ही डी० आई० आर० खत्म हो जायेगा, यहां के डाक्टर दिल्ली की तरफ रवाना हो जायेंगे क्योंकि आप देखें कि और प्रदेशों ने अपने यहां के डाक्टरों की तनख्वाहें तिगुनी तक कर दी हैं, लेकिन इस प्रदेश में उन्हें कोई अच्छी तनख्वाह नहीं मिलती है। एक साथ पढ़ने वाले डाक्टरों के वेतन में कितना अन्तर है, हमारे यहां के डाक्टर को मुश्किल से ८०० रूपया मिलता है और दूसरे स्थान के डाक्टर को २१सौ मिलता है। श्रीमन् डी० आई० आर० कब तक कायम रहेगी? जिसकी बदौलत आप डाक्टरों को अपने यहां बांधे रह सकेंगे। आपको इस बात की व्यवस्था करनी पड़ेगी कि यहां पर डाक्टर निश्चित रूप से बने रहें।

(लाल बत्ती होने पर)

श्रीमन्,. अभी दो मिनट का समय और दे दें। दूसरी बात मैं एपेडिमिक असिस्टेंट के बारे में कहना चाहता हूं, जो १० वर्ष पहले से काम कर रहे थे, जिनकी संख्या १८० है। उनको बेकार रोका जा रहा है, उनसे कोई काम नहीं लिया जा रहा है। क्योंकि मलेरिया, फाइलेरिया सारे विभाग बन गए हैं लेकिन एपीडेमिक का कोई भी विभाग नहीं है। कालरा की साइकिल आने की इन्फार्मेशन माननीय मन्त्री जी के पास है, भगवान करे वह असत्य होजाय लेकिन ऐसी स्थिति अगर आ गई तो एपीडेमिक असिस्टेंट्स को लगाना चाहिए। एपीडेमिक असिस्टेंट्स १०—१० साल से बेकार हैं और उन पर ५ लाख रुपया प्रतिवर्ष बेकार खर्च किया जाता है। कन्फर्म्ड हैं, उनको तजुर्बा है और उनको उचित काम करने का ढंग मालूम है। इंटीग्रेटेड डिस्पेन्सरीज में या जहां पर कम्पाउन्डर्स से काम लेते हैं उनसे काम लीजिए, वहां उनको भेजिए और उनसे लाभ उठाइए। यह एक ऐसा सुझाव है जिसपर गम्भीरता से विचार करना चाहिए।

मैं बड़ी नम्रता से अब अपने जिले जौनपुर की बात कहना चाहता हूं। अभी २६ तारीख को माननीय बंशीधर पांडेय जी हमारे यहां गए थे। वहां बोधना एक स्थान है। वहां के सिविल सर्जन ने और जिला परिषद् ने भी सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया कि वहां पर अस्पताल खोल दिया जाय।

श्री कृष्णानन्द राय—

अब यह तो वोट की बात है।

श्री केशरीप्रसाद पाण्डेय—

यह वोट की बात नहीं है। आपके दिमाग में वोट रहता है हमारे दिमाग में कुछ और भी चीज है। तो वहां एक अस्पताल खुल जाना चाहिए, सिविल सर्जन और जिला परिषद् की सिफारिश हो चुकी है और माननीय बंशीधर पांडेय जी ने भी उसको देख लिया है। मैं आग्रह करूंगा कि जाय वहां अस्पताल अवश्य खुलवा दें।

इन चन्द्र शब्दों के साथ मैंने जो सुझाव दिए हैं उन पर विचार करें और उनको अमल में लावें जिससे आपके विभाग के कार्य सुदृढ़ हो सकें और जन जीवन का लाभ हो सके।

श्री सईद अहमद (जिला सहारनपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, जो स्वास्थ्य का बजट पेश है उसका मैं समर्थन करता हूं। मुझे खेद है कि इस बजट की रकम बहुत कम है। दुनिया में सबसे बड़ी चीज स्वास्थ्य है। हमारे बच्चों का, हमारा नेशन, हमारी आने वाली नस्ल का स्वास्थ्य अगर अच्छा है तो हमारे राष्ट्र की इज्जत होगी। हर शोबे में हमारा दिमाग अच्छा काम करेगा। जाहिर है कि जिस मुल्क जवान अच्छे होंगे वह मुल्क उतना ही शानदार होगा। ऐसी स्थिति में मैं अर्ज करता हूं माननीय मन्त्री जी ने इसमें थोड़ा कमजोरी का सबूत दिया है कि वह अपने विभाग के लिए कम रुपया हासिल कर सके।

कुछ आलोचनायें हुई और ऐसे व्यक्तियों की आलोचनायें हुयीं जिनके लिए मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं तारीफ कर सकूं। चूंकि ९ साल से मेरा उनका वास्ता रहा है और जब-जब अस्पताल में उनके पास कोई मरीज पहुंचता था चाहे वह कितना ही गरीब क्यों न हो वे बड़ी तवज्जह से उसकी देखभाल करते थे और नुस्खा देते थे, यहां तक कि अगर उनको दवा मिलने में देर होती थी तो वह खुद मंगवा कर उनको दिलवा देते थे। नर्सेज के मामले में बड़ा हस्तक्षेप होता है। अगर हम ही लोग उनको बदनाम करने लगे तो नर्सेज आयेंगी कहां से? यह तो "जाट-जाट तेरे सिर पर खाट, तेली तेली तेरे सिर पर कोल्हू।" मुझे तो कहना है कह दिया। थोड़ा सा सोच समझकर इस हाउस में बात कहें तो ठीक हो सकता है।

हमारे बहुत से माननीय सदस्यों ने बहुत अच्छे-अच्छे सुझाव दिए हैं। उनके लिए मैं सरकार से दरख्वास्त करूंगा कि उन सुझावों को अपनायें और उनको पूरा करने की कोशिश करें। साथ ही साथ, मैं अपने स्वास्थ्य मन्त्री जी को मुबारकबाद देता हूं कि वे पहले शख्स हैं जिन्होंने हाउस के सामने खड़े होकर यह कहा है कि जो भी सुझाव आयेंगे उनको पूरा करने की कोशिश करेंगे और उनके मुताबिक काम करने की कोशिश करेंगे।

मुझे यह अर्ज करना है कि आप हर जगह शहरों में ही मेडिकल कालेजेज खोलते जाते हैं। इससे विद्यार्थियों का वातावरण, उनका खानपान, उनका रहन-सहन इतना ऊंचा उठ जाता है कि कोई आदमी पढ़ने के बाद गांवों में जाना पसन्द नहीं करता। इस लिए मेरा नम्र निवेदन है कि हमारे स्वास्थ्य मन्त्री जी देहातों में मेडिकल कालेजेज खोलें जिससे वहां के मुताबिक उनका रहन-सहन हो और जो देहात के रहने वाले हैं उनके मुताबिक उनका रहन-सहन हो और उनकी मिलजुल कर रहने की आदत हो जाय। जहां देखिए वहां शहरों में कालेजेज हैं। देहात में एक मुश्किल बात यह है कि वहां पर गरीब आदमी उसकी परवाह न होने की वजह से मरता है। यह जो फैक्टरी खुली है, शुगर फैक्टरी खुली हुई हैं उनका शीरा निकल कर देहात में बहता है। वह जंगल में जाता है तो वह उस जंगल को खराब कर देता है। उसमें बहुत सड़ान होती है जिसकी वजह से जर्म्स पैदा होते हैं। उससे रोग फैलता है और फसल भी उससे खराब हो जाती है। आदमियों को भी रोग लग जाते हैं। इस सिलसिले में मन्त्री जी की तरफ से कोई भी कदम आज तक नहीं उठाया गया है, जिससे उसका प्रबन्ध हो सके। मैं यह समझता हूं कि जो फैक्टरीज के मालिक हैं, वे कैपिटलिस्ट हैं। उन कैपिटलिस्टों के खिलाफ यह सरकार कोई कदम उठाना मुनासिब नहीं समझती है। इस बात को मैं अर्ज कर चुका हूं लेकिन कोई कदम इस सिलसिले में नहीं उठाया गया है।

जो लोग इस बात को कहते हैं कि डाक्टर लोग काम नहीं करते हैं मैं इससे सहमत नहीं हूं। यह डाक्टरों की ही हिम्मत है कि वह कोढ़ी, और बुरी हालत के लोगों का इलाज करते हैं। हम भी कुछ ऐसे नुमाइन्दे हैं जो गरीब आदमियों से बात करना पसन्द नहीं करते हैं। यह किसी डाक्टर या आदमी का कसूर नहीं हो सकता है। यह तो समाज का कसूर है। समाज को पहले ठीक करना चाहिए तभी अच्छा वातावरण बन सकता है और इस प्रकार की जहनियत को लेकर चल सकता है जिसमें कोई गरीब आदमियों से नफरत न करे।

[श्री केशरीप्रसाद पाण्डेय]

मैं अपने होम टाउन के सिलसिले में कुछ अर्ज करना चाहता हूं। मेरे होम टाउन कस्बा मंगलौर, जिला सहारनपुर में लगभग १८ हजार की आबादी है। उसके मुतालिक मैंने कई दफा दरख्वास्त की कि वहां पर एक सरकारी डिस्पेन्सरी खोली जाय। जो डिसपेन्सरी वहां पर है, जिला परिषद् की है, उससे उसको ले लिया जाय। जिला परिषद् का बजट बहुत थोड़ा होता है। वहां पर पूरी तरह से दवाई मिलना भी मुश्किल हो जाता है। इस समय वहां पर कोई जनाना अस्पताल भी नहीं है। उस कस्बे के ईर्द-गिर्द १० मील तक कोई जनाना अस्पताल नहीं है। उसके लिए वहां पर कोशिश भी की गई और जांच भी की गई कि वहां पर अस्पताल कायम किया जा सकता है या नहीं, लेकिन इतना होने के बावजूद भी आज तक वह कस्बा जनाना अस्पताल से महरूम चला आ रहा है। उसके आसपास न कोई फैक्टरी है और न कोई आफिस है। वहां की म्युनिसिपैलिटी भी चौथे क्लास की है। उसमें सब गरीब आदमी रहते हैं। उन गरीब आदमियों को कम से कम यह दिखाने की जरूरत है कि चूंकि हमारा देश आजाद हो गया है तो उनको भी इसका लाभ दिया जा रहा है। आजाद होने के बाद उनको भी आजादी का हिस्सा मिलना चाहिए, जिससे वे महसूस कर सकें कि उनको भी फायदा हुआ। इसलिए वहां पर जनाना अस्पताल खोलना बहुत जरूरी है, जहां पर गरीब लोग ज्यादा तादाद में रहते हैं।

मैं देखता हूं कि कानपुर, सहारनपुर, जौनपुर और लखनऊ में और कवाल टाउन्स में सब तरह की सहूलियत दी जा रही है। इसलिए मैं दरख्वास्त करूंगा कि देहात में भी हर तरह की सहूलियत इस मुताल्लिक देना निहायत जरूरी है। देहात के लोग हर मौके पर सरकार को मदद देते रहते हैं। जब यहां पर जंग का मौका था तो गांव के गरीब लोगों ने खून दिया और रुपया भी दिया। जिस वक्त इस मुल्क का पाकिस्तान के साथ झगड़ा हुआ तो उस वक्त भी किसान ने खून दिया। चन्दे की जरूरत हुई तो चन्दे में भी बड़ी रकम किसान ने दी। अब टैक्स लगाया जा रहा है तो वह भी किसान पर लगाया जा रहा है। किसी किस्म की और मुसीबत पड़ती है तो उसमें भी किसान सरकार का साथ देते हैं, लेकिन जब सहूलियत देने की बात आती है तो किसान महरूम रह जाता है। यह बहुत इन्साफ की बात नहीं है। इसलिए मैं दरख्वास्त करूंगा कि गरीब आदमियों की तरफ ज्यादा तवज्जह दी जाय और सहूलियत दी जाय।

हर जिले में सिविल सर्जन हैं और उनके नीचे बहुत से अस्पताल हैं। उन अस्पतालों की तरफ सरकार की तवज्जह होनी चाहिए। वहां पर गरीब आदमियों का इलाज नहीं हो पाता है। इसमें डाक्टर की कमजोरी नहीं है। सरकार का फर्ज है कि अच्छे डाक्टर वहां रखे। उनको वहां पर तकलीफ होती है। इलाज होता नहीं है तो सरकार को चाहिए कि वहां पर जिला स्तर पर जो आपका सिविल सर्जन है उनको एम्बूलेन्स दी जाय। छोटे अस्पतालों में जो इस तरह के मरीज होते हैं जिनका इलाज वहां पर नहीं हो सकता है तो सिविल सर्जन गरीब आदमी को ऐसे अस्पताल में भेजे जहां पर सही तरीके से उसका इलाज हो सके। उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं फिर सरकार से दोबारा दरख्वास्त करूंगा कि कम से कम जो छोटी डिस्पेन्सरीज हैं, उनके लिए बजट में इतना पैसा रखें, जिससे गरीब आदमियों को वहां सहूलियत मिल सके। वरना होता यह है कि जो गरीब आदमी हैं उनको वहां से निकाल दिया जाता है और कह दिया जाता है कि यहां तुम्हारे लिए इलाज की कोई सुविधा नहीं है। ऐसी हालत में वे बेचारे अपने घर आ जाते हैं और सिवा इसके कि वे मौत के मुंह में जावें और इसका कोई नतीजा नहीं निकलता है। इसलिए आपसे मेरी दरख्वास्त है कि खासतौर से गरीब आदमियों की तरफ तवज्जह देने की कृपा करें, जिससे सरकार फले-फूले और हम लोग भी तरक्की कर सकें।

श्री विजयसिंह—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय चन्द्रबली सिंह जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है उसका मैं समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, प्रारम्भ में मुझे थोड़ा दुख यह हुआ

कि हमारे एक माननीय सदस्य को कुछ गलत इन्फार्मेशन मिल गयी थी। यह बात मैं इस लिए नहीं करता हूं कि मैं किसी की तारीफ कर रहा हूं लेकिन एक बात अवश्य है कि सम्भवतः इसके पूर्व जिस अधिकारी के बारे में, शर्मा जी के बारे में उन्होंने बात की थी वे पहले डिप्टी डाइरेक्टर रह चुके हैं और उसके बाद फिर डाइरेक्टर हुए। न मैं उनको शक्ल सूरत से जानता हूं और न उनके बारे में मेरी कोई व्यक्तिगत जानकारी है लेकिन जहां तक मैंने सुना है, कि वे बड़े ही व्यवहार कुशल व्यक्ति व कुशल प्रशासक हैं और अपने आफिस का काम करने के बाद भी वे सैकड़ों मरीजों को दवा आदि देते हैं। खैर, वह तो अलग चीज है लेकिन मैं समझता हूं कि सम्भवतः उन्हें गलत इन्फार्मेशन मिली है।

अब मैं प्रथम इस विषय पर आता हूं कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद हमारे देश व प्रदेश में स्वस्थ नागरिक होने के लिए क्या काम किया गया है। आप देखें कि प्रदेश की ८० प्रतिशत जनता गांवों में रहती है और २० प्रतिशत जनता शहरों में रहती है। अब देखना यह है कि ८० प्रतिशत जनता के ऊपर किस रेशियो में खर्च किया जाता है। साथ हमें यह भी देखना है कि बजट में जो पैसा हम इसके लिए रखते हैं उसका उचित इस्तेमाल सरकार ने किया है या नहीं। इसके लिए एक ही मिसाल मैं देता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए ३,२०० कैलोरीज खाने की जरूरत पड़ती है और यह आस्ट्रेलिया, डेनमार्क जैसे छोटे देशों में उपलब्ध है जबकि हमारे हिन्दुस्तान जैसे देश में मुश्किल से मात्रा १,६३० कैलोरीज ही प्राप्त होती है। इस पर भी हमारे विशेषज्ञों ने कोई ध्यान नहीं दिया है और न तो हमारी सरकार ने ही इस ओर कोई ध्यान दिया है। मान्यवर, मुदालियार कमीशन ने तथा वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेशन ने १९४६ में जो स्वास्थ्य की परिभाषा दी है वह इस प्रकार है कि केवल बीमारी को रोक देना तथा उससे छुटकारा पा जाना ही स्वास्थ्य का मतलब नहीं है जबकि व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वस्थता न प्राप्त हो।

किसी देश में स्वास्थ्य के लिए चार मेजर्स होते हैं। एक तो प्रिवेंटिव मेजर होता है, दूसरा क्यूरेटिव मेजर होता है, तीसरा रेस्टोरेटिव मेजर होता है और चौथा रेहैबिलिटेटिव मेजर होता है। प्रिवेंटिव मेजर वह होता है जब कि किसी व्यक्ति के बीमार पड़ने से पूर्व ही यह उपाय किया जाय कि वह बीमार ही न हो। क्यूरेटिव मेजर वह होता है जबकि बीमारी को इलाज द्वारा दूर किया जाय। १९४६ में जो भोर कमेटी बैठी थी उसकी रिपोर्ट सन् १९४८ में प्रकाशित हुई लेकिन उसकी तरफ सरकार कितनी उपेक्षित है कि उसे केवल नाममात्र का ही स्वरूप दिया गया है। स्वास्थ्य और चिकित्सा में थोड़ा फर्क है जो बहुत विचारणीय है। मैं माननीय मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि वे इस पर ध्यान दें, लेकिन उन्होंने प्रिवेंटिव मेजर पर कोई ध्यान नहीं दिया है। मान्यवर, फिर १९५० में खेर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी कि स्वास्थ्य के मूल सिद्धांत साधारण जन जीवन में कहां तक आए हैं और प्राइमरी हेल्थ सेन्टर्स कहां तक और कितना काम कर सके हैं। एक प्राइमरी इकाई (पेरीफेरल यूनिट) होती है जिसका कार्य ग्रामों में होता है। उनका काम प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव दोनों होना चाहिए और यह काम उनको एक साथ करना चाहिए।

आज प्रदेश में सबसे बड़ी खामी यह है कि जिलों में सिविल सर्जन क्यूरेटिव साइड को देखने का जिम्मेदार है और डी० एम० ओ० एच० प्रिवेंटिव साइड को देखने का जिम्मेदार है लेकिन अगर कोई गड़बड़ हो जाती है या हैजा प्लेग फैलता है तो सिविल सर्जन से जवाब मांगा जाता है। सरकार को इन दोनों के कर्तव्य अलग-अलग डिफाइन करने चाहिए और जिला स्तर पर भी दोनों को एक ही कर देना चाहिए। एक ही विभाग में दो प्रकार का शासन उपयुक्त नहीं। यह माननीय मन्त्री जी की उपेक्षा है प्रदेश स्तर पर एक डाइरेक्टर तथा पेरीफेरक यूनिट (पारिधिक इकाई) सबसे नीचे स्तर पर एक फिर बीच में किस प्रकार दुहरा शासन है। मूल कारण यह भी समझ में आता है कि अभी तक प्रदेश में क्यूरेटिव साइड के डाइरेक्टर होते रहे उसी सम्बन्ध में, मैं आप को बतला दूं कि १९४८ से १९५० तक डाक्टर बनर्जी यहां के डाइरेक्टर आफ पब्लिक हेल्थ रहे, फिर १९५२ तक श्री दास रहे और उसके बाद शर्मा जी

[श्री विजय सिंह]

डाइरेक्टर हुए। सरकार के सामने यह बात साफ तौर से रहनी चाहिये कि उसे प्रिवेंटिव साइड में खास तौर से काम करना है। अतः आगे अब प्रिवेंटिव साइड से डाइरेक्टर होना चाहिए। हम संक्रामक रोगों को फैलने से रोक सकते हैं। उससे सम्बन्धित कई इकाइयां हैं। इनके अन्तर्गत ही मेटरनिटी सेन्टर पब्लिक हेल्थ स्कूल्स आदि आते हैं। आज कल पब्लिक हेल्थ के लिए डाक्टर्स नहीं मिलते इसका विषय भी विचारणीय है। इसके लिए मन्त्री महोदय को अनेक सुझाव दिए गए हैं और दिक्कत यह है कि आज प्रदेश में तीनों पद्धतियां चिकित्सा की चल रही हैं पर उनका एकसा बर्ताव नहीं है। मैं उस रिपोर्ट के सम्बन्ध में कहने जा रहा था कि आप को दोनों तरफ विशेष ध्यान देना चाहिए और क्यूरेटिव साइड को सेकेंडरी तौर पर ट्रीट करना चाहिए। प्रिवेंटिव साइड पर मुख्य तौर से ध्यान दिया जाना चाहिए। मेरे पास आंकड़े हैं जिनके अनुसार आपके डाक्टर जो बाहर चले जाते हैं, इसके कारण का पता लगता है। आप आज अपने यहां एक डाक्टर को २३५ रुपया तनख्वाह देते हैं जब कि रेलवे तथा अन्य सूबे जैसे बम्बई और पंजाब आदि प्रदेशों में ही इससे ज्यादा तनख्वाह उनको मिलती है। भारत से १,८०० डाक्टर यू० के० में नेशनल हेल्थ सर्विसेज में चले गए हैं इसलिए कि उनको वहां ९,००० रु० से १६,००० रु० तक तनख्वाह मिल रही है। जो डाक्टर ५, ६ साल पढ़ता है, इतना रुपया खर्च करता है, उसे आप २३५ रुपया मासिक देते हैं, यह क्या है वेतन तथा अन्य सुविधाएं बहुत कम हैं। इस विभाग के अन्तर्गत ही सेनेटरी इन्सपेक्टर्स हैं। उन की तनख्वाह की बात सुन लीजिए, पे कमेटी ने जो तनख्वाह का ग्रेड रखा था आप ने वह नहीं दिया। जो भत्ता व महंगाई के साथ तनख्वाह उनके लिए पे रेशनलाइजेशन कमेटी ने तय की है वह भी आप ने नहीं दी है। कम से कम वह तनख्वाह तो उनको दी जानी चाहिए क्योंकि एनोमली कमेटी ने वेतन व ग्रेड कम ही कर दिया।

एक आयुर्वेदिक कालेज पीलीभीत और हरिद्वार में है। वहां के टीचर्स को जो तनख्वाहें मिल रही हैं वे उनके पढ़ाए हुए लड़कों को जो कुछ मिल रहा है, उससे भी कम है। आज उन लड़कों को ५०० रुपया मिलता है जब कि उन टीचर्स को केवल २०० या २५० रुपया मिलता है अतः सरकार इस बात पर विचार करके अपना निर्णय अवश्य ले और अमल में लाए।

मान्यवर, एक बात और कहना चाहता हूं कि डाक्टर लोग आपके साथ क्यों नहीं आते और जो हैं भी उनका उपयोग भी उचित नहीं हो रहा है। यह एक बड़ी बात हुई है जिससे लोग परेशान हैं। मान्यवर, जो स्पेशलिस्ट डाक्टर थे उनका मिसयूज होता है, जैसे डी० एम० आर० टी० को आप आफथैलमालोजिस्ट का काम दें और अगर कोई कैंसर का स्पेशलिस्ट हो तो उनको पेडीट्रीशियन डिपार्टमेंट में भेज दें। इस तरह से जो काम की इधर-उधर गड़बड़ी होती है उसकी ओर मन्त्री जी भी ध्यान दें। जो आदमी जिस काम के लिए उपयुक्त हो उसको उसी जगह रखें कोई खास व्यक्ति का विशेष पक्ष न रखें तभी उससे हम सही लाभ उठा सकते हैं और जनता का भला कर सकते हैं।

इन शब्दों के साथ मैं चन्द्रबली सिंह जी के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं स्वास्थ्य मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुदान के समर्थन के लिए उपस्थित हुआ हूं। मनुष्य के जीवन में स्वास्थ्य सबसे ज्यादा आवश्यक अंग है। इस प्रदेश को इमर्जेन्सी के जमाने में जो अनुदान का रुपया मिला है और उसके लिए जो योजनाएं आपके सामने प्रस्तुत हुई हैं वह मन्त्री जी ने ठीक ढंग से ही पेश की हैं।

सबसे पहले तो मैं यह कहना चाहता हूं कि जितने अस्पताल इस वक्त प्रदेश में फैले हुए हैं उनके अनुसार डाक्टरों की संख्या कम है और बहुत सी जगहों पर कम्पाउन्डर्स ही उनका काम देखते हैं, लेकिन अधिक पूर्णरूप से कम्पाउन्डर्स को, जिनको आजकल फारमेसिस्ट्स की उपाधि दी गई है, अधिकार नहीं है कि मेडिकल काम की जिम्मेदारियों को उठा सकें और ठीक दवा दे सकें,

आपरेशन कर सकें। हमारे प्रदेश में स्वराज्य आने के पहले ३६० कम्पाउन्डर्स को ट्रेनिंग देने की व्यवस्था थी और इसके १२ ट्रेनिंग सेन्टर्स थे। १९५९ से १९६१ तक यह सब काम ट्रेनिंग का बन्द रहा इससे बड़ा भारी नुकसान हुआ है। सन् ६१ में कानपुर में इसका ट्रेनिंग सेन्टर खुला जिसमें पहले ४० और बाद में ५० कम्पाउन्डर्स ट्रेनिंग पाते हैं। इस प्रकार कुल प्रदेश में ५० कम्पाउन्डर्स, फारमेसिस्ट्स निकलते हैं जबकि ब्रिटिश शासन काल में ३६० ट्रेन्ड निकलते थे। यह सबसे अधिक ध्यान देने की बात है कि ट्रेन्ड फारमेसिस्ट बहुत कम हैं। १९४६ से लेकर अब तक यानी १९४६ में, १९४९ में, १९५३ में, १९६३ में जी० ओ० निकले कि कोई अन्ट्रेन्ड फारमेसिस्ट किसी अस्पताल में न रखा जाय, लेकिन आज ६० परसेन्ट अन्ट्रेन्ड फारमेसिस्ट्स अस्पतालों में काम कर रहे हैं। इसकी ओर ध्यान देना चाहिए। मेरा सुझाव यह है कि प्रत्येक मेडिकल कालेज से उनकी ट्रेनिंग अटैच कर दी जाय और हर मेडिकल कालेज में ५०–५० फारमेसिस्ट्स को ट्रेनिंग दी जाय। उनका वेतन भी बहुत कम है। जिस तरह से नर्सेज का काम बहुत अधिक होता है और पैसा भी कम मिलता है और मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है यहां तक कि रात की ड्यूटी पूरी रात भर होती है। उसी के समकक्ष फारमेसिस्टों का भी वेतन निर्धारित कर दिया जाय। प्रदेश में कैंसर का एक भी अस्पताल नहीं है। इलाज के लिए मरीजों को बाम्बे या पटना जाना पड़ता है। इसलिए उत्तर प्रदेश में एक कैंसर का अस्पताल अवश्य खोला जाय तो बहुत लाभदायक होगा।

अब मैं कुछ सुझाव प्रस्तुत करता हूं डाक्टर्स जो नियुक्त होते हैं वे तो देहात में प्राथमिक तीन वर्षों तक अवश्य रहें। वहां पर वह प्राइवेट प्रेक्टिस नहीं कर सकते। हमारे वहां प्राइवेट प्रेक्टिस एलाउड है। इसका नतीजा यह होता है कि जब तक मरीज डाक्टर को प्राइवेट फीस नहीं दे देता उसका इलाज ठीक तरह से नहीं हो पाता। उनकी देखभाल अस्पताल में ठीक नहीं होती। इस ओर भी ध्यान देना चाहिए। देहली की भांति यहां भी प्राइवेट प्रेक्टिस बन्द होनी चाहिए।

पहले डाक्टर लोग दवाओं में मिक्सचर दिया करते थे। अब वे पेटेंट दवायें लिख देते हैं। यह बहुत कास्टली होती हैं। आपको डाक्टरों को ऐसे आदेश देना चाहिए कि वे ज्यादातर मिक्सचर ही लिखा करें।

आज कल नकली दवाओं का भी बहुत प्रचार है। नकली दवाओं के कारण बहुत सी मौतें हो जाती हैं। श्री बिशम्भरदयाल त्रिपाठी जो एम० पी० थे उनकी मौत पेन्सिलीन के गलत इन्जेक्शन के कारण ही हुई। मेरे साथ भी ऐसा ही केस हुआ, गलत इन्जेक्शन मेरे लगाया गया, जिसके कारण १८–१९ महीने मुझे बीमार रहना पड़ा और बलरामपुर अस्पताल में काफी समय रहना पड़ा। कभी-कभी डाक्टरों की गलती से भी मौतें हो जाती हैं। जिस वक्त इन्जेक्शन दिया जाए उसकी जांच होनी चाहिए कि वह जिसको दिया जाना है उसको सूट भी करता है या नहीं। इसमें जिस डाक्टर की गलती हो उसे सख्त सजा भी मिलनी चाहिए। मेरे केस के बारे में २ साल हो गए अभी तक जांच ही पूरी नहीं हुई है।

आपका जो फार्मेसी ऐक्ट है उसका पालन नहीं हो रहा है। जो प्राइवेट फर्म्स हैं वे नकली दवायें बेचती हैं। ड्रग इन्सपेक्टर चेक करने के लिए जाते हैं, पर कुछ रिश्वत लेकर वैसे ही लिख देते हैं कि चेक किया, और चेकिंग कुछ नहीं करते। इस ओर भी आपको ध्यान देना चाहिए।

रोगियों के साथ उनकी तीमारदारी करने वालों को निवास की कुछ सुविधा होनी चाहिए। अस्पतालों में उनके लिए ठहरने, पीने के पानी तथा शौचालय, स्नानागार आदि की कोई व्यवस्था नहीं होती। उनके लिए इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए।

फार्मेसिस्टों को रिफ्रेशर कोर्स की ओर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए ताकि वे अधिक संख्या में मिल सकें।

डाक्टरों की संख्या भी बढ़ाना चाहिए। कम से कम १ हजार डाक्टर हर साल तैयार होना चाहिए। इसके साथ ही जो एम० बी० बी० एस० का ट्रेनिंग लेकर निकले उनसे

[श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ]

उस वक्त या प्रवेश के समय एक बांड ऐसा भराना चाहिएकि डाक्टरो पास करने के बाद उन्हें कम से कम ३ वर्ष तक देहात में सेवा करनी पड़ेगी । जो डाक्टर अपने प्रदेश से पास होकर दूसरे प्रदेशों में चले जाते हैं उनसे भी इस तरह का कोई बांड भराना चाहिए ।

परिवार नियोजन के सम्बन्ध में भी मुझे कुछ सुझाव देना है । नसबन्दी केवल इन्टेलीजेन्शिया क्लास ही कराती है उनकी ही संख्या कम हो जायगी । इसका प्रभाव लोअर क्लास के आदमियों पर नहीं पड़ा है । इसको अगर सबके लिए कम्पलसरी बना दिया जाय तो अच्छा है । जो खेतिहर मजदूर लोग हैं या मजदूर पेशे के लोग हैं, उनके पास इंटरटेनमेंट का और तो कोई साधन होता नहीं, इसीलिये वे खाली समय का लाभ उठाते हैं और उसका नुकसान देश को भोगना पड़ता है । इसके रोकने के लिये उस क्लास की ओर हमारा ध्यान जाना चाहिये । नसबन्दी के बारे में मुझे बताया गया कि कुछ बूढे लोगों की भी नसबन्दी कराई जाती है । जो दो रुपये मिलते हैं लाने वाले को वे घेर घेर कर ऐसे लोगों को ले आते हैं । मुझे ऐसी रिपोर्ट मिली है कि जिन लड़कों की शादी नहीं हुई उनको भी नसबन्दी के लिये ले आये । नसबन्दी नहीं हुयी और झूठी रिपोर्ट दे दी । हाथरस में करीब करीब छः सात अस्पताल हैं । वहां सब अलग-अलग हैं । कहीं किसी में दवा ज्यादा है और कहीं बहुत कम है । मेरा सुझाव यह है कि वहां पर एक सुपरिन्टेन्डेन्ट सिविल सर्जन की मातहती में मुकर्रर किया जाय जो वहां सभी अस्पतालों की देखभाल करे । हमारे यहां एक बागला अस्पताल है । वहां शय्याओं की कमी रहती है । वहां कम से कम २० शय्यायें और बढ़ाई जायं । डायरेक्टर हेल्थ ने अपनी रिपोर्ट दी थी पर उसके अनुसार जो सुझाव दिये गये थे वे पूर्ण नहीं हो रहे हैं । इसी तरह से एक मटरूमल धन्नाताल टी० बी० अस्पताल है वहां पर तो नश्तर के औजार ही नहीं हैं । इसके अलावा वहां स्टाफ के रहने की भी अभी कोई व्यवस्था नहीं है । सब शहरों में आकर रहते हैं । इसलिये मेरा सुझाव है कि वहां भी २० शय्यायें बढ़ाई जायं और स्टाफ के रहने की व्यवस्था की जानी चाहिये । इसके अलावा वहां एक लेडी अस्पताल है । उसके बारे में बराबर लिखा पढ़ी हुई है । वहां पर एक सहायक लेडी डाक्टर और चार नर्सेज बढ़ाने की जरूरत है । वहां लेबर रूम की यह हालत है कि दस बारह केसेज रोज बाहर ही पड़े रहते हैं । वहां पर शय्यायें बढ़ाई जानी चाहिये । यही मेरा आपसे निवेदन है ।

*श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में खड़ा हुआ हूं । श्रीमन्, वैसे तो प्रान्त के अन्दर सभी विभागों की हालत दयनीय है । लेकिन स्वास्थ्य विभाग की हालत तो ऐसी है कि जिसके बारे में जितना कहा जाय उतना कम है । श्रीमन्, पहली चीज तो यह है कि हमारी सरकार उपाय करने के बजाय दवाई पर जोर देती है । इस तरफ सरकार का ध्यान हरगिज नहीं जाता कि नई नई बीमारियां जो जनता के अन्दर फैलती हैं उनका कारण क्या है । श्रीमन्, जितने मरीज अस्पताल में जाते हैं पचास प्रतिशत उनमें बीमारी का कारण भूख है । उनका पेट पालन सही तौर पर नहीं हो पाता है । इसलिये उनको कोई न कोई मर्ज घेर लेता है और वे बाद में दरवाजा खटखटाते हैं अस्पतालों का जाकर । उनके पहले ही जिस वक्त किसी डाक्टर से भेंट हो जाय कुछ लेने देने की बात, पैसे तो उनके पास होते नहीं, तो भी किसी तरह से किसी की सिफारिश से, कितने दुःख की बात है एडमिनिस्ट्रेशन के लिये । एक डाक्टर से मुलाकात के लिये एक एम०एल०ए० की सिफारिश कराते फिरते हैं कि मेरी भेंट हो जाय ।

अस्पतालों की हालत यह है कि जिस अस्पताल में ७०—८० हजार मरीज देखा जाता है, वहां ७०—८० हजार रुपये की दवा दी जाती है । अगर इनडोर पेशेन्ट्स को छोड़ दिया जाय और आउटडोर पेशेन्ट्स का ही हिसाब लगाया जाय तो २ पैसा प्रति मरीज से ऊपर नहीं पड़ेगा

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

भला दो पैसे की दवा में क्या किसी का इलाज होगा और उसका दोष भी हम डाक्टरों को क्या दे सकते हैं। इसके बाद इनडोर पेशेन्ट्स के रूप में जो भरती हो जाते हैं या करवा दिये जाते हैं या कर लिये जाते हैं, उनको भी अनेकों कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जो कठिनाई उनको नर्स, मेल नर्स, वार्ड मास्टर और उसके बाद डाक्टर से होती है, उसका वर्णन बार-बार इस हाउस में प्रश्न आदि के द्वारा होता रहता है। आज इस सदन का कोई भी सदस्य हो हर सदस्य इस बात को जानता है और महसूस करता है लेकिन उसका क्या इलाज किया जाय, यह नहीं समझ पाता है।

माननीय मंत्री जी ने अपने विभाग की बड़ी तारीफ की लेकिन यहां सामने जो लोग गैलरियों में बैठे हुये हैं, जिनको वोट देने का कोई अधिकार नहीं है, अगर उन लोगों की राय ले ली जाय और अगर वह बजट को पास कर दें तो मैं समझूंगा कि मंत्री जी तारीफ के काबिल हैं। डाक्टर जय गोपाल जी ने सहारनपुर अस्पताल की लेडी डाक्टर का जिक्र किया। एक बार नहीं अनेक बार उसके बारे में माननीय मंत्री जी से शिकायत की लेकिन कोई ऐक्शन उस सम्बन्ध में नहीं लिया गया। मेरा निवेदन तो यह है कि अगर इस प्रकार के आफीसर्स न रखे जायं और वहां की सीट खाली भी पड़ी रहे तो अच्छा है।

जहां तक प्राइवेट प्रेक्टिस का सवाल है, अस्पतालों में कोई काम नहीं करता है। इनडोर में भी आये तो चक्कर लगाया, साधारण रूप से हाल चाल पूछा और आगे बढ़ गये वही मरीज जब शाम को जाकर घर पर रुपया दे आता है और किसी प्रकार से डाक्टर को खुश कर आता है तब ही उसकी अस्पताल में भी देखभाल होने लगती है।

जहां तक अस्पतालों के अन्दर दूध और फलों का सवाल है, उनका ठेका दिया जाता है। उसके लिये टेंडर आमंत्रित किये जाते हैं। सहारनपुर जिला अस्पताल के बारे में कई बार यहां प्रश्न किये गये सरकार ने इस चीज को माना कि जिस ठेकेदार के दूध में ७० प्रतिशत मिलावट पायी गयी उसी को बराबर ठेका दिया जाता रहा। दो बार दूध में मिलावट करने के जुर्म में उसको सजा भी हुई। उस ठेके में उसका नाम फिर उसके बेटे भतीजे के नाम से चलता रहा है।

दवाओं का जहां तक ताल्लुक है अभी माननीय सदस्य ने कहा कि डाक्टर लोग ज्यादा डिपेन्ड करते हैं उन्हीं दवाओं और गोलियों पर जो बाजार में हर दुकान पर अस्पताल के बाहर मिल जाती हैं। वही गोलियों की शीशी डाक्टर लिखते हैं। अस्पतालों में जो कुछ थोड़ी बहुत दवा आ भी जाती हैं वह भी अस्पताल के बाहर जो दुकानें हैं वह वहां जाकर मिलती हैं। वहां पर कम्पाउन्डर कह देते हैं कि अस्पताल के सामने ही बाहर फलां दुकान पर दवा इतने में मिल जायगी। इसका नतीजा यह हुआ कि शिकायत की दुकान तो हमारे यहां से कुछ दिन के लिये उठ गई थी लेकिन अब फिर जिस वक्त चाहे सरकार जाकर सहारनपुर में तलाशी ले तो वहां ज्यादातर दवाएं वही मिलेंगी जो अस्पताल में सप्लाई हुई होंगी। वही वहां जाकर बिकती हैं। सब जगह एक सा ही हाल है।

जहां तक मशीनों का सम्बन्ध है मैंने यहां प्रश्न किया था कि सहारनपुर के अस्पताल में कितनी मशीनें हैं और उनमें से कितनी खराब पड़ी हैं? वहां दो एक्स-रे मशीनें और एक कारडियोग्राम की है और दूसरी और मशीनें हैं जो कई कई साल से मरम्मत के लिये बेकार पड़ी हैं और उनमें से एक भी काम नहीं कर रही हैं। मेरे प्रश्न करने का इतना लाभ जरूर हुआ कि पिछली बार जब प्रश्न करने के बाद मैं सहारनपुर वापस गया तो पता करने पर जानकारी यह हुई कि प्रश्न करने के कारण बाद को बहुत-सी मशीनों की मरम्मत कराने की कोशिश की गई, कुछ ठीक हो गईं और एक दो का रिप्लेसमेन्ट भी हुआ लेकिन उसको भी अब एक साल से ज्यादा हो गया और अब की बार जब मैं फिर वहां गया तो मैंने फिर उसी चीज को रिपीट होते हुये पाया कि सब मशीनें खराब पड़ी हुई हैं और तीन एक्सरे मशीनों में से एक भी काम नहीं कर रही है, एलेक्ट्रोकारडियोग्राम की भी ठीक नहीं है। दवायें भी नहीं मिलती। जब यह हालत हमारे जिले की है तो इसी से सूबे में अन्य अस्पतालों का भी अन्दाजा लगाया जा सकता है कि क्या हालत वहां होगी।

[श्री ब्राह्मदत्त मायर]

इसके अलावा यह हमारे देश की बड़ी बदकिस्मती है कि हम भाई भतीजावाद को अधिक प्रोत्साहन देते हैं। अगर कोई ब्राह्मण डाक्टर पहुंच जाता है तो ब्राह्मण समझने लगते हैं कि अब तो हमारे डाक्टर साहब आ गये हैं अब तो हमारा इलाज ठीक होगा और दवा मिलेगी। सिख पहुंच गया तो वह समझने लगते हैं कि अब तो सब चीज हमको मुफ्त मिलेगी। अगर इलाज करने वाले डाक्टरों में यह चीज घुसेगी और उनकी हौसला अफजाई होगी तो उस से हालत और बदतर हो जायगी। हमारे जिले में सिविल सर्जन सिख, लेडी डाक्टर सिख और दूसरे डाक्टर सिख। नतीजा यह है कि जितने सरदार हैं खूब एडवान्टेज उठाते हैं, जिस सरदार के यहां भी बच्चा पैदा होने को होता है सबको छोड़ कर उसको अस्पताल में जगह मिल जाती है। जहां तक हमारे सिविल सर्जन का ताल्लुक है वह सर्जन जेल हैं लेकिन अस्पताल का जहां तक ताल्लुक है वह बिलकुल निल है, सिविल सर्जन निल, लेडी डाक्टर निल। मैं मंत्री जी से हाथ जोड़ कर प्रार्थना करूंगा कि वह इन दोनों सज्जनों को वहां से हटा दें हम बिना दवा के ही गुजर कर लेंगे।

श्री बसन्तलाल शर्मा—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो चिकित्सा सम्बन्धी अनुदान माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है उसके लिये मैं उनको बधाई देते हुये माननीय चन्द्रबली सिंह के कटौती के प्रस्ताव का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, यह एक ऐसा विषय है जो हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम अपने देश के विकास की तरफ सतत् प्रयत्नशील हैं। हम चाहते हैं कि हमारा समाज दिन प्रति दिन समुन्नत हो लेकिन यह तभी हो सकता है जब हम स्वस्थ रहें। यदि हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो काम करने में मन अधिक लगेगा और अधिकाधिक काम करने के लिये हम सक्षम होंगे। कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय माननीय चन्द्रबली सिंह जी ने जब अपना भाषण आरम्भ किया तो उससे मुझे ऐसा लग रहा था कि विरोधी सदस्यों में सद्बुद्धि प्राप्त हुयी है और मैं चाहता था कि मैं उनको बधाई दूं परन्तु क्या किया जाय? एक बात उन्होंने ऐसी कही जिस से मुझे बड़ा दुख हुआ। जैसे ही उनकी दृष्टि औफिसर्स गैलेरी की ओर गयी, उनके मष्तिस्क का संतुलन दूसरी ओर चला गया। उन्होंने कहा कि हमारे जो स्वास्थ्य निदेशक हैं वे चापलूसी के बल पर ही इस पद पर पहुंचे हैं। मैं हमेशा से इस मत का रहा हूं कि जो अधिकारी या सरकारी कर्मचारी अपने प्रयत्न, अपनी निष्ठा, अपनी मेहनत और कर्तव्यपरायणता से काम करता है, उसको हमेशा उन्नति का अवसर मिलना चाहिये। दूसरे यदि माननीय चन्द्रबली सिंह जी को शिकायत है तो वे इस समय देख लें कि आपके चिकित्सा निदेशक की व्यवहार कुशलता किस प्रकार की है। दिल्ली में जब स्वर्गीय पंत जी रहा करते थे तो उनकी बीमारी में यदि बंगाल से विधानचन्द्र जी आते थे तो हमारे यहां से भी डा० डी० एन० शर्मा जैसे कुशल डाक्टर को बुलाया जाता था। जब जब भी उन्होंने किसी का इलाज किया है तो अपने अनुभव और निपुणता का परिचय दिया है। तो ऐसे अधिकारी के लिये यह कहना कि वे चापलूसी के कारण आज इस पद पर पदासीन हैं, उचित न होगा। मैं निर्भीकता पूर्वक कहता हूं कि इस प्रकार का लांछन किसी अधिकारी या कर्मचारी पर लगाना उचित नहीं है।

मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आज भ्रष्टाचार की शिकायत क्यों होती है। माननीय सदस्यों को देखना होगा कि यदि उस व्यक्ति को चाहे वह सिपाही हो या डाक्टर हो, जो ईमानदारी से काम करता है, उत्साह के साथ काम करता है, यदि उनके मुकाबले में पदोन्नति नहीं किया जायगा तो कर्तव्य परायणपता से विमुख होते हैं, तो उन्हें किसी प्रकार का उत्साह या संतोष नहीं मिलेगा। अतः यदि आज डा० डी० एन० शर्मा की पदोन्नति हुयी है तो उन्हें तो उनकी प्रशंसा करनी चाहिये कि वे कितनी ईमानदारी से, कितनी लगन से और कर्तव्य-परायणता से काम करते हैं। इसके लिये उन्हें गौरवान्वित होना चाहिये था। यहां पर यह भी कहा गया कि स्वास्थ्य की दिशा में कुछ भी नहीं हो रहा है। इसके सम्बन्ध में यहां पर आसाम,

आंध्र प्रदेश और अन्य प्रदेशों के बारे में आंकड़े पेश किये गये। उन आंकड़ों में तो मैं नहीं जाना चाहता लेकिन मैं यह अवश्य कहना चाहता हूं कि प्रदेश में इस दिशा में जो कार्य हो रहा है वह आपके और हमारे सामने है। देवरिया में मेरी रिश्तेदारियां हैं। मुझे उस जिले से काफी वाकिफकारी है। वहां पर प्लेग का बहुत अटैक होता था आज वहां पर वह छूमंतर की भांति गायब हो गया है। इसका श्रेय है तो स्वास्थ्य विभाग को है और उसके निदेशक को है पहले बड़े-बड़े मेलों में आये दिन हैजा हुआ करता था। बहराइच जिले में सैयद सालार का मेला होता है जिसमें पहले हैजा फैलता था लेकिन जब से जन प्रिय सरकार आयी है और स्वास्थ विभाग में दिन प्रति दिन इस दिशा में मोड़ दिया जा रहा है और टीके लगाये जा रहे हैं और हैजे का नामोनिशान वहां पर नहीं रह गया है।

कुष्ट के सम्बन्ध में मेरा कहना है कि बहराइच में कबीरदास और तुलसीदास के शब्दों में कोढ़ का रोग वहां पर जाता था और इसलिये वहां कोढ़ अन्य लोगो में भी फैला करता था। लेकिन कोढ़ नियंत्रण केन्द्र खुल जाने से कुष्ठ पर काफी नियंत्रण होता जा रहा है। जो स्पष्ट सत्य है उसका नकारात्मक उत्तर देना बुद्धिमत्ता और ईमानदारी की बात नहीं है।

मलेरिया के विषय में मेरा निवेदन है कि मेरा क्षेत्र जंगली भी है। वहां कतरनियां घाट की साइड में हर साल मलेरिया फैला करता था। लेकिन जब से मलेरिया यूनिट्स खुली हैं और ऐन्टी मलेरिया केन्द्र के कर्मचारी सक्रिय कार्य कर रहे हैं तब से दिन प्रति दिन मलेरिया काफी मात्रा में घट गया है और नाम मात्र के लिये इंटीरियर कार्नर में एक आध केस होते हैं तो होते हों, वरना नहीं के बराबर वहां मलेरिया रह गया है।

आपको विदित है कि पहले चेचक किस स्तर पर पहुंची हुई थी। आज चेचक के जो टीके लग रहे हैं उसका परिणाम हमारे सामने है। मैं उन व्यक्तियों में नहीं हूं जो अपनी ही मां को चुड़ैल कहें और दूसरे की मां को देवी कहें। मैं तो हमेशा अपने घर को पहले देखता हूं और जो अच्छाई है उसको अच्छाई कहा करता हूं। उसको अच्छाई न कहना ठीक नहीं है। जिस तरह से हम और विभागों में बढ़ रहे हैं उसी तरह से स्वास्थ्य में भी बढ़ रहे हैं।

मेरे जिले के अन्दर यह बात सही है कि डाक्टरों की कमी है और सामान्यतया डाक्टर कम होने के कारण विभाग के सामने कठिनाई है। बहुत से अस्पतालों में डाक्टर नहीं हैं। मेरे जिले में गिलोला एक स्थान है जहां पर लगभग ३ साल से डाक्टर नहीं है। वहां के क्षेत्रीय एम०एल०ए० श्री दलजीत सिंह बराबर प्रयास कर रहे हैं लेकिन अभी तक डाक्टर वहां नहीं गया। तीन साल का पर्याप्त समय हो गया है, मेरी मंत्री जी से प्रार्थना है कि और किसी स्थान को डाक्टर की कमी का अनुभव करायें और हमारे यहां डाक्टर भेजें। मेरे यहां नानपारा में महिला चिकित्सालय की इमारत बने हुये लगभग तीन साल हो रहे हैं। उसमें सिर्फ एक चौकीदार है, न सामान है, न लेडी डाक्टर है। बड़े प्रयास के बाद मंत्री जी ने गत वर्ष ८ अप्रैल को विशेष रूप से आर्डर किया था लेकिन उस बारे में कोई प्रगति नजर नहीं आई।

इसी तरह से फर्रुखाबाद जिले में छिबरामऊ में एक महिला चिकित्सालय ४ साल से बना हुआ है। वहां पर कोई सामान नहीं, लेडी डाक्टर भी नहीं है, केवल एक चौकीदार है जिसके द्वारा रोज झाड़ू तो लग जाती है, लेकिन बिना डाक्टर के उसको जनता को क्या लाभ। मैं चाहूंगा कि इस दिशा में कुछ प्रयास करना चाहिये।

जो व्यय के आंकड़े दिखाये गये उनमें आयुर्वेद के ऊपर बहुत कम व्यय किया जा रहा है। मैं विशुद्ध आयुर्वेदिक के पक्ष में हूं। पैंट और टाई लगाने वाले लड़के देहातों में जाकर कुछ नहीं कर सकते। जिस वातावरण में यहां लड़के मिश्रित पाठ्यक्रम पढ़ते हैं और जो उनका पहनावा होता है तथा बी०एम०बी० एस० की जो उनको डिग्री दी जाती है उसमें परिवर्तन होना चाहिये। मेरे विचार से आयुर्वेद के लिये विशुद्ध धोती, कुर्त्ता और टोपी का पहनावा होना चाहिये और आयुर्वेदाचार्य की डिग्री देनी चाहिये, तथा स्नातकों को विशुद्ध आयुर्वेद पढ़ाना चाहिये तभी वे लोग गांवों में जाकर वहां की जनता की सेवा कर सकेंगे। आज गांवों में लोग जाना पसन्द नहीं करते। आजकल गांवों में गुंडेबाजी और बलवे होते हैं इसलिये डाक्टर वहां जाने से

[श्री बसन्तलाल शर्मा]

घबड़ाते भी हैं। लोग आ करके गलत पोस्टमार्टम रिपोर्ट लिखवाना चाहते हैं उस तरफ भी ध्यान देना होगा। डाक्टर अगर नहीं लिखता है तो रात को मरीज देखने के बहाने बुलाते हैं और लठ्ठ मार देते हैं। डाक्टर के पास संरक्षक का कोई प्रबन्ध नहीं होता है।

श्री रघुनाथ (जिला बलिया)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। आज रोग और रोगियों की संख्या बढ़ती जा रही है। दवायें भी काफी महंगी होती जा रही हैं जिसके फल-स्वरूप आज गरीब आदमी को दवा नहीं मिल पाती है और दिन ब दिन उसकी मौतें बढ़ती जा रही हैं। सरकार को सस्ती दवा का प्रबन्ध करना चाहिये।

आज देहातों में अस्पताल बहुत कम हैं। बहुत से अस्पताल तो ऐसे हैं जहां दवायें नहीं हैं। कहीं-कहीं डाक्टरों का पता नहीं है। ३०० अस्पतालों में इस प्रदेश में डाक्टर नहीं हैं क्योंकि देहातों में डाक्टर जाना पसन्द नहीं करते। सरकार को इस बात पर निर्णय लेना चाहिये कि देहातों में डाक्टरों की सेवायें अनिवार्य कर दें। उनकी तनख्वाह बढ़ा दें और उनकी प्राइवेट प्रेक्टिस बन्द कर दें ताकि वे मरीजों की तरफ तवज्जह दे सकें। मरीज बैठा रहता है लेकिन डाक्टर प्राइवेट प्रेक्टिस के खातिर बाहर निकल जाते हैं और अस्पताल में मरीज ताकता रह जाता है।

जनाने अस्पतालों की भी बहुत कमी है और इससे औरतों की बहुत मृत्यु होती है। शहर के अस्पताल बहुत दूर पड़ते हैं जिससे जच्चा बच्चा का प्रबन्ध देहातों में नहीं हो पाता है डाक्टरों में सेवा की भावना कतई नहीं है और पैसे की तरफ उनका ध्यान अधिक रहता है। मरीज मर रहा है लेकिन बगैर पैसा लिये वे उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। डाक्टरों में जन सेवा की भावना पैदा करने के लिये भी जरूरी है कि जिसमें यह सेवा भावना न हो उसको इस पद से हटा दिया जाय। गाजीपुर सदर अस्पताल में एक हरिजन औरत के बच्चे की बिना दवादारू के मृत्यु हो गयी। सिविल सर्जन मौके पर नहीं थे। कम्पाउन्डर जी वहां थे उन्होंने भी इतनी उदासीनता दिखाई कि वह दवा से वंचित रहा और देखते-देखते उसकी मौत हो गयी। सिविल सर्जन साहब से कहा गया लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। डाक्टर डी० एन० शर्मा से कहा गया। रघुवीर राम जी ने निदेशक से कहा और एम० पी० सरयू पान्डेय ने स्वास्थ्य मंत्री को लिखा लेकिन सिविल सर्जन और कम्पाउन्डर अपने-अपने स्थान पर बरकरार हैं, कोई भी ऐक्शन उनके खिलाफ नहीं लिया गया। सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिये।

गांव में जच्चा-बच्चा के लिये सेंटर्स खोले हैं। गांवों में दवाइयां काम करती हैं उनसे बड़ा नुकसान होता है। वे गन्दा कपड़ा पहनती हैं। उनके हथियार गन्दे होते हैं जिनसे कि वे नाल काटती हैं। जिससे तरह-तरह का टिटनेस हो कर जच्चा और बच्चा की जान चली जाती है लेकिन इस तरफ सरकार का ध्यान नहीं होता। मैं इसका समर्थन करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा पैसा इस मद में रखा जाय और अधिक से अधिक दाइयों को ट्रेनिंग दे कर रखा जाय। जो दाइयां रखी गयी हैं उनकी भावना है कि मैं तो बहुत बड़ी डाक्टर हूं। वे बिला फीस लिये जाती नहीं। इसलिये सरकार को ख्याल होना चाहिये कि अगर कोई दाई फीस मांगती है देहात के लोग समझते हैं कि वह फीस मांगेगी, इसलिये गांव की जनता ले नहीं जा पाती है। उसकी तहकीकात करनी चाहिये ताकि कोई दाई फीस न मांगने पाये।

स्वास्थ्य विभाग ने कुछ दाइयों को ट्रेंड करने की स्कीम निकाली है लेकिन उनको ट्रेनिंग वह गंवार दाई ही देती है। वह सिवाय चौका चूल्हा करवाने के और कोई ट्रेनिंग नहीं देती। इसलिये सरकार को चाहिये कि बढ़िया ट्रेनिंग देने वालों को रखें और गांव गांव में सेन्टर खोलें। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो सैकड़ों की जान हर साल चली जाती है।

स्वास्थ्य विभाग ने मलेरिया के बारे में सराहनीय काम किया है। यहां तक कि अब मलेरिया विभाग की आवश्यकता ही नहीं रही। इस काम के लिये मैं निदेशक महोदय को धन्यवाद देता हूं। जो अच्छा काम हुआ है उसे कोई छिपा नहीं सकता। इसको सब लोग मानते हैं कि मलेरिया उन्मूलन अभियान बहुत ही सफल रहा।

साथ ही साथ आज जो व्यवस्था इस प्रदेश में है और उसके कारण जो परेशानियां लोगों को हैं उसकी तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिये। गरीबों को दवा नहीं मिलती, अस्पतालों की बुरी हालत है डाक्टरों की क्या भावना है।

अब मैं आखिरी बात कह कर अपने व्याख्यान को समाप्त करता हूं। आयुर्वेदिक कालेज, लखनऊ के छात्रों के साथ हमारी सहानुभूति है और जो उन्होंने मांगें पेश की है उनका मैं समर्थन करता हूं।

श्री शुगनचन्द शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। मैं जो स्वास्थ्य मंत्री जी ने अनुदान पेश किये हैं उनके समर्थन के लिये खड़ा हुआ हूं। साथ ही साथ उनको सुझाव देना चाहता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि सरकार उनकी ओर ध्यान दे। जो शराब की दुकानें ५-५ मील के फासले पर देहात में खुली हुई हैं उनको बन्द कर देना चाहिये। पन्द्रह हजार से ऊपर की आबादी वाली जगहों में ही शराब की दुकानें रहनी चाहिये। हमारे देश में नशाबन्दी की स्कीम चली है मगर देहातों में इसका (शराब का) खुलकर प्रचार किया जा रहा है। इस बारे में गरीब जनता की ओर सरकार ध्यान दे। हमारे जिले में एक रुहाना शुगर मिल है उसके शीरे से गांव के बहुत से मवेशी हर माह मर जाते हैं। मुजफ्फरनगर में एक गांव मलीरा है वहां पर शुगर मिल का शीरा बहकर आता है उसकी वजह से तमाम गांव बीमारियों में फंसा रहता है। कई दफा उस गांव के लोग प्रार्थना-पत्र दे चुके हैं लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। मैं प्रार्थना करूंगा कि इसका इंतजाम किया जाय।

हमारे देहात में जो डिसपेंसरीज हैं उनमें दवायें बहुत कम जाती हैं। कुल ४००-५०० रुपये की दवा साल भर में जाती है। इसलिये मरीज दवा न मिलने के कारण परेशान रहते हैं। इसलिये इनमें ज्यादा से ज्यादा दवायें पहुंचानी चाहिये जिससे जनता अधिक से अधिक लाभ उठा सके।

परिवार नियोजन के बारे में मंत्री जी ने कहा कि इधर लोगों का ध्यान बहुत कम है। मेरे जिले में १८ फरवरी को एक परिवार नियोजन का शिविर चलाया गया। उसमें डी० पी० ओ० ने हर ब्लाक के बी० डी० ओ०, ए० डी० ओ० और अन्य कर्मचारियों से कहा कि सब लोग एक-एक, दो-दो आदमी नसबन्दी के लिये लाओ। इसलिये वहां लोगों को जबरदस्ती लाया गया जिसके कारण कुछ लोग तो अपनी धोती तक छोड़कर भाग गये। मेरे एक रिश्तेदार ने अपनी ख्वाहिश से नसबन्दी का आपरेशन कराया। लेकिन उसको एक महीने तक अस्पताल में रहना पड़ा। शिविर में नसबन्दी का आपरेशन करके छोड़ दिया गया और उनकी तवज्जुह नहीं की गई। मेरी राय में इस समय देश-हित में आबादी कम करनी चाहिये। जिस आदमी का नसबन्दी का आपरेशन किया जाय उसको कम से कम एक हफ्ते अस्पताल में रखा जाये जिससे वह ठीक होकर अस्पताल से निकले। मेरे जिले में बहुत से आदमी एक-एक महीने तक परेशान रहे। मैंने सुना है कि नसबन्दी करने वाले डाक्टर को फीस दी जाती है इसलिये वे ज्यादा से ज्यादा आपरेशन करने की फिक्र में रहता है और जल्दी करता है जिससे मामला बिगड़ जाता है। इससे जनता परेशान होती है। इसको बन्द कर दिया जाय। आजकल जिनकी शादी नहीं हुई है या जो वृद्ध हैं उनका आपरेशन किया जाता है।

हमारे जिले के जो सिविल सर्जन हैं उनका नाम शायद डाक्टर दरबारी कहते हैं इन्होंने बड़ा भ्रष्टाचार फैला रखा है। इनके लिये हम विधायक लोग लिखकर दे चुके हैं। एक मुकदमें में जो गोली का शिकार हुआ था, उसके केस को पोस्ट मार्टम में खत्म कर दिया और यह भी नहीं लिखा

[श्री शुगनचन्द शर्मा]

कि लाठी लगी है या गोली लगी है ऐसे आदमी को या तो एडीशनल डायरेक्टर बना दिया जाय या मंत्री जी अपने दफ्तर में रख लें। एक आदमी से सरकारी फरनीचर की मरम्मत कराई और कुछ फरनीचर उससे अपने लिये लिया, तो उससे कई सौ रुपये छोड़ने का कहा और कहा कि उसी समय वह पेमेन्ट करेगा ऐसे आदमी को एक दिन भी न रखा जाय। यह दवा बचाकर ले जाता है और मरीजों से अस्पताल में देखने को मना कर देता है कहता है कि हमारे घर पर आओ, कहने को जन सेवक बनता है लेकिन घर पर २५ रुपये या १६ रुपये मरीजों से फीस लेता है। मुलाजिम लोग जो सार्टीफिकेट लेने जाते हैं, उनसे वह १६-१६ और २०-२० रुपया फीस ले लेते हैं, उनको वह परेशान करते हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से प्रार्थना करता हूं कि इस पर जल्दी से जल्दी कदम उठाकर उनका इन्तजाम किया जाए। दवाइयों के सिलसिले में हमारे देहातों में जो डिस्पेन्सिरियां हैं उनको ३ हजार रुपया सालाना की एड दी जाय और शफाखानों में दवाइयों का इन्तजाम किया जाए।

*श्री भगवानदास यादवेन्दु--

उपाध्यक्ष महोदय, चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य के मद की मांग पर जो कटौती का प्रस्ताव माननीय चन्द्रबली सिंह जी ने प्रस्तुत किया है, उस कटौती के प्रस्ताव पर मैंने दोनों पक्षों के माननीय सदस्यों के विचारों से अपने को अवगत कराया। मान्यवर, मैं ऐसा समझता हूं कि इस सदन में माननीय सदस्यों द्वारा जो विचार प्रकट किये गये उनसे इस प्रदेश की ७ करोड़ जनता में से केवल ३ करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व होता है और चार करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व उनके द्वारा प्रकट किये गये विचारों से नहीं हुआ है। प्रदेश की ४ करोड़ जनता जिनके ऊपर बहुत बड़ा टैक्सेशन का भार है, जिनके पास बहुत बड़ा बीमारी का हिस्सा है, उनका प्रतिनिधित्व इस सदन में नहीं हो पाया, यह मुझे स्पष्ट मालूम होता है। यहां पर व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप डाक्टरों और डाइरेक्टर वगैरह पर किये गये, यह बातें लोगों ने ऊपर अपना दबदबा कायम करने के लिये कहीं और अपने कुन्बापरस्ती के आधार पर अपने परिवार के लड़कों को ज्यादा डाक्टरी सेवा में लेने के लिये लोगों ने अपना दबदबा दिखाया। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया जो मंत्री जी ने कहा कि टी० बी० के मेडिसिन पर पौने दो लाख रुपया खर्च करने के लिये रखा है। १९६४ में मंत्री जी द्वारा दी गयी रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में १६ लाख टी० बी० के पेशेन्ट हैं और इतने १६ लाख पेशेन्ट के लिये दवा हेतु पौने दो लाख की केवल व्यवस्था की गयी है। इस हिसाब से यदि ६४ की संख्या को भी ठीक माना जाए, तो प्रति मरीज १० नये पैसे का हिस्सा मुश्किल से आता है। तो १० नये पैसे में क्या वह १० नये पैसे में रोग से, भयंकर रोग से छुटकारा पा सकेगा? इस प्रदेश की ७ करोड़ जन संख्या में कुछ ऐसे वर्ग हैं, जिनमें १०० आदमी के पीछे १ आदमी टी० बी० का रोगी है, कुछ वर्ग ऐसे हैं जिनमें २० पीछे एक रोगी है और किसी वर्ग में १० पीछे एक टी० बी० का रोगी है। इसलिये इस टी० बी० के भयंकर रोग के उन्मूलन के लिये, अपने प्रदेश की जनता को स्वस्थ और समुन्नत बनाने के लिये आपको इस ओर जोरदार कदम उठाना चाहिये और हमेशा इसका उन्मूलन करना चाहिये। इस क्षय की बीमारी की ओर घातक रोग को आपको जड़ मूल से खत्म करना पड़ेगा, बिना इसके हमारे प्रदेश और देश के निवासियों की स्वस्थ स्थिति नहीं हो सकती है।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि वह ऐडमिनिस्ट्रेशन की बात है। मुझे किसी से व्यक्तिगत प्रश्न नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूं हमारे पूर्वी जिले के एक अधिकारी हैं, जो कि निहायत करप्ट और घूस खोर हैं, तो भी उधर के बैठने वाले माननीय सदस्यों ने उनकी तारीफ की है। यह बड़ी विडम्बना की बात है, कि जो चीजें हमें सही नजर आती है वह उनको गलत नजर आती है और जो हमें गलत नजर आती हैं वह उनको सही नजर आती हैं। यह पूर्व

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

और पश्चिम के जिलों को आप पक्षपातपूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। एक आदमी जिसका कि सदन में नाम लेकर कहा गया कि वह करप्ट है, मैं उसके संबंध में दावे के साथ कहना चाहता हूं, यदि वह चार्ज सही है तो वह उनको यहां पर साबित करें और सही निकले तो मैं उधर आ जाऊंगा। मैं केवल विरोध करने के लिये यहां पर विरोध करना उचित नहीं समझता हूं।

अब मैं ऐडमिनिस्ट्रेशन की मौलिक बातों पर आता हूं। पोस्ट मार्टम का वर्क है। इसको एम० डी० जूरिस्ट्स को ही करना चाहिये। पोस्ट ग्रेजुएट के लिये सौ रुपये एलाउन्स मिलता है लेकिन यह काम हमारे अस्पतालों में एम० बी०, बी० एस० डाक्टर्स ही करते हैं। हमारे पास कुछ अस्पतालों के नाम हैं। लखनऊ, कानपुर, आगरा, मेरठ और बरेली, इन स्थानों पर एम० डी० जूरिस्ट हैं, उनके जरिये से यह काम कराया जाय। एम० बी०, बी० एस० के जरिये से यह काम कराया जाता है जो उपयुक्त नहीं है।

जहां तक एम० डी० रेडियालोजिस्ट्स का संबंध है, उनके संबंध में कई बार कहा जाता है कि हमारे यहां एम० डी० रेडिआलोजिस्ट्स नहीं हैं लेकिन मैं कह सकता हूं कि लखनऊ के सिविल अस्पताल में डाक्टर जौहरी हैं और बलरामपुर अस्पताल में डाक्टर अरोड़ा है। जब दो-दो एम० डी० रेडियोलोजिस्ट्स है तब जहां जगहें खाली पड़ी हैं वहां इसी तरह से एम० डी० रेडिआलोजिस्ट्स को भेजना चाहिये।

एक और बात ऐडमिनिस्ट्रेशन के संबंध में है, जिसके लिये मैं विभाग को धन्यवाद देता हूं। डाक्टर के० बी० सिंह एक प्रोफेसर आफ ऐनाटामी थे। ये कानपुर में थे। इनके आचरण पर गंभीर आरोप लगाये गये थे। यहां इस हाउस में भी और विधान परिषद में भी बहुत विचार हुआ था और इनके आचरण पर भयानक आरोप लगाये गये थे। बाद में इनको आगरा भेज दिया गया था। वहां जा करके भी इन्होंने पी० एम० टी० के पेपर्स आउट कर दिये और इस कारण इनके खिलाफ जाब्ते की कार्यवाही की गयी और इनको हटा दिया गया। इसके लिये मैं विभाग को बधाई देना चाहता हूं।

आई० ए० एस० और आई० पी० एस० के जो अधिकारी हैं वे केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी हैं और केन्द्रीय सरकार उन सब को चिकित्सा संबंधी सभी सुविधायें देती है और वे वहां से रिइम्बर्समेन्ट प्राप्त कर सकते हैं। किन्तु वे वहां से ऐसा न करके लखनऊ के अस्पतालों से प्रान्तीय सरकार की दवायें लेते हैं। इस पर ध्यान होना चाहिये जिससे प्रदेश के छोटे लोगों और कर्मचारियों को दवायें मिल सकें।

साथ ही बलरामपुर अस्पताल में जो मंत्री, एम० एल० एज०, एम० एल० सीज० और आई० ए० एस० और आई० पी० एस० भरती होते हैं उन पर खाना, मेन्टिनेन्स आदि का जितना रुपया बकाया है उसको वसूल करना चाहिये। सरकार उसकी रिकवरी करे।

२ और ३ नवम्बर को बनारस में हेल्थ की स्टैंडिंग कमेटी की बैठक हुई थी उसमें वीमेन्स हेल्थ डाइरेक्टर, डाक्टर मन्डूशा और डाक्टर जय कर के लिये सर्वसम्मति से शिकायत की गयी और हेल्थ डिपार्टमेन्ट को सर्व सम्मति से लिखकर दिया गया कि उनको स्थानान्तरण किया जाय। माननीय मंत्री जी के होते हुए भी और सचिव को लिखकर सर्वसम्मति से देने के बाद भी कुछ नहीं किया गया और कोई कार्यवाही नहीं हुई।

अब मैं फेमिली प्लानिंग के विषय में कुछ कहना चाहता हूं। हमारा भारत धार्मिक आस्थाओं पर आधारित देश है। भिन्न भिन्न धर्मों के लोग एक सूत्र में बंधकर भारत का गण राज्य बनाते हैं। इसमें रहने वाले सभी धर्मों के मानने वाले व्यक्तियों में कुछ अंग ऐसे हैं जो इसके विरोधी है। फेमिली प्लानिंग हमारे इस देश की बढ़ती हुई जनसंख्या के लिये आवश्यक निर्देश है कि हम इसको किसी न किसी तरह से कंट्रोल करें। लेकिन कुछ ऐसी धार्मिक अड़चनें हैं जिनके कारण कुछ लोग धर्म के नाम पर प्रचार करते हैं कि नसबन्दी नाजायज है और नहीं होनी चाहिये। तो मैं चाहूंगा कि सरकार कोई कमेटी या कमीशन मुकर्रर करे और इस बात की जांच

[श्री भगवानदास यादवेन्दु]

करे और यह पता लगाये कि कहां-कहां पर क्या क्या परिवर्तन किये जायं और कहां-कहां पर क्या हो रहा है, इसका क्या क्या प्रभाव पड़ता है। इस बात की जांच आवश्यक है। इस भिन्नता को दूर होना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष---

आपका समय समाप्त।

श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी (जिला बस्ती)---

उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे ऐसे महत्वपूर्ण अनुदान पर बोलने का जो समय दिया है इसके लिये मैं आभारी हूं। हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने जो अनुदान पेश किया है मैं उसका समर्थन करती हूं। चन्द्रबली सिंह जी ने जो अपनी कटौती का प्रस्ताव पेश किया है मैं उसका विरोध करती हूं। चन्द्रबली सिंह जी ने शर्मा जी के ऊपर जो आक्षेप लगाया है उसके लिये मैं दुःख प्रकट करती हूं। कम से कम उनको इस बात को सोचना चाहिये कि किसी भी सरकारी कर्मचारी के प्रति ऐसी भावना प्रकट करना और फिर उनके पास जाकर जनता के हित के लिये कहना क्या उचित है। इस प्रकार से शिकायत करने से कर्मचारियों के मन में दूसरी तरह की भावना पैदा होती है और उनके अन्दर कमी आती है। उसके अन्दर यह भावना पैदा होने से कमजोरी पैदा होती है और उस कमजोरी की वजह से हमारे अन्दर भी कमजोरी महसूस होती है। अगर कोई गलती करता है तो उसको बतलाना चाहिये जिससे कि वह सही रास्ते पर आ जाय। जो काम सही हो उसकी तारीफ होनी चाहिये। यह कोई जरूरी बात नहीं है कि कोई काम अच्छा भी किया गया हो तो उसकी बुराई की जाय। सही बात को गलत नहीं कहना चाहिये। कौन इस बात को मान सकता है कि सरकार ने कुछ नहीं किया। सब लोग देखते हैं और जानते हैं कि जगह-जगह अस्पताल खुल गये हैं। मेडिकल कालेज खुल रहे हैं। अगर कोई कमी है तो उसको बतलाना चाहिये, जिससे सुधार किया जाय।

मैं मंत्री जी का ध्यान बस्ती जिले की तरफ दिलाना चाहती हूं जो पिछड़ा हुआ इलाका है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से वहां किसी अस्पताल की कमी नहीं रह गई है, लेकिन एक बात यह कहना चाहती हूं कि उनकी व्यवस्था अभी ठीक नहीं है। हमारे जिले के अस्पतालों को अनुदान बहुत कम मिलता है, जिससे दवाइयों का इन्तजाम पूरी तरह से गरीब लोगों के लिये नहीं हो पाता है। मैं मंत्री जी से प्रार्थना करती हूं कि वह पिछड़े हुए जिले बस्ती की तरफ अपनी निगाह रखें और वहां के अस्पतालों के लिये इतना अनुदान दें जिससे गरीब लोगों के लिये पूरी तरह से दवा मिल सके। जब हम लोग जाते हैं तो गरीब लोग कहते हैं कि हमको नुस्खा लिखकर दे दिया जाता है कि इसको बाजार से ले आओ। तो उनको बाहर से दवाई लाने के लिये कहा जाता है। जो गरीब आदमी है वह तो अपनी रोटी का इन्तजाम भी नहीं कर सकता है तो फिर दवाई के लिये पैसा कहां से लाये। डाक्टर से पूछा जाता है तो वह कहता है कि जितना उसके पास बजट था वह सब उसने खर्च कर दिया है, वह खत्म हो गया है। उसको भी मजबूरी होती है। ऐसी हालत में मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगी कि बस्ती के अस्पतालों को दवाओं के लिये वह थोड़ा सा अनुदान और अधिक दें।

हमारे यहां टी० बी० अस्पताल तथा जनाना अस्पताल भी हैं। उनमें बेड्स की बहुत कमी है। रोगी बाहर पड़े रहते हैं। डाक्टरों को बहाना मिल जाता है, वह कह देते हैं कि बेड नहीं है। भर्ती नहीं होती है। महिलायें डिलीवरी के लिये बाहर बरामदे में पड़ी रहती हैं। बेड नहीं मिलते हैं। इसलिये वहां पर टी० बी० और जनाना अस्पतालों में बेड बढ़ाने की कृपा करें। वह पिछड़ा इलाका है। गरीब लोग ज्यादा रहते हैं। वह अपने घर पर डिलीवरी नहीं करा सकते। हर आदमी चाहता है कि अस्पताल में जाकर डिलीवरी करायें। मंत्री जी इस ओर ध्यान दें। आंखों के अस्पताल को भी अनुदान देते हैं। वहां नया अस्पताल होने से बहुत मरीज आ रहे हैं। सीतापुर कोई नहीं जाता है। उनके रहने के लिये कमरे नहीं हैं। इसलिये मैं मांग करती हूं कि उनके रहने के लिये भवन निर्माण हेतु आप अनुदान दें, जिससे १, २ कमरे वे बना लें

और उनको राहत मिले। हमारे यहां जनाना अस्पताल में ऐसी डाक्टर हैं जिनकी वजह से जितना काम है वह भ्रष्टाचार का है और जनता दुखी है जिसका मैं इस भवन में कहना उचित नहीं समझती हूं। वह किसी की बात नहीं सुनती हैं। मैं चाहती हूं उस लेडी डाक्टर का वहां से ट्रांसफर कर दें। सरकारी कर्मचारी जो दवायें खरीदते हैं सरकार उसकी उनको कीमत नहीं देती है लेकिन सेन्ट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों को जो दवायें बाजार से खरीदनी पड़ती हैं उनका पैसा सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट अदा करती है लेकिन हमारी यू० पी० सरकार अपने कर्मचारियों को यह सुविधा नहीं देती है। इसलिये सरकार से मेरी प्रार्थना है कि इस सरकार के कर्मचारियों को जो दवायें बाहर से लेनी पड़े उसके लिये उनको वही सुविधा दे जो सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट अपने कर्मचारियों को देती है।

दूसरी बात यह है कि हम लोगों के लिये दारुलशफा में जो डाक्टर हैं उनके रहने के लिये क्वार्टर की कोई व्यवस्था नहीं है, जिसकी मांग हम सदा से करते आ रहे हैं। सरकार से मेरी प्रार्थना है कि उनके रहने के लिये एक क्वार्टर का प्रबन्ध किया जाय तथा उनके लिये टेलीफोन भी होना चाहिये क्योंकि हम लोगों को जरुरत पड़ती है। तब जो लोग रायल होटल में रहते हैं वे बलराम पुर अस्पताल जाते हैं। वहां जाने पर मालूम होता है कि आपके डाक्टर तो दारुलशफा में हैं। ऐसी हालत में हम लोगों को डाक्टर का घर न मालूम रहने से बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इसलिये सरकार से मेरी प्रार्थना है कि डाक्टर के रहने के लिये वह क्वार्टर दे तथा उनके लिये एक टेलीफोन की व्यवस्था करे।

श्री मतोलासिंह (जिला बांदा)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। उत्तर प्रदेश के अन्दर जितने विभाग हैं, उनमें स्वास्थ्य विभाग सबसे निकम्मा है। सेनेटरी इंसपेक्टर्स कोई काम नहीं करते हैं। बाजार में सड़कों के किनारे आटा, दाल, मिठाई आदि की दूकानें लोग खुली हुई रखते हैं और उसमें सड़कों के किनारे की गन्दी धूल जाकर जम जाती है। उस गन्दे खाद्य पदार्थ को खाने पर फेफड़े के अन्दर वह बारीक धूल चली जाती है जिससे खांसी, दमा, तपेदिक आदि बीमारियां होती हैं। सरकार को जानकारी होगी कि सड़कों के किनारे की बस्तियों में ही ज्यादातर तपेदिक की बीमारी फैलती है और यह बात बिलकुल निश्चित है। सरकार को चाहिये कि वह खाद्य पदार्थों की सफाई की तरफ ध्यान रखे क्योंकि खाद्य पदार्थ एक ऐसी वस्तु है जिससे हमारा जीवन ज्यादा समय तक चल सकता है। लेकिन हमारी सरकार स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बिलकुल ही उदासीन है और यही कारण है कि लोगों को अशुद्ध खाद्य पदार्थ खाने को मिलता है जिससे तमाम बीमारियां फैलती हैं। आज जो सिनेटरी इंस्पेक्टर्स हैं वे रिश्वत के भंडार हैं। घी, दूध, दही, मिठाई वालों वे चालान नहीं करते जिसके कारण और मिलावटी सामान मिलते हैं।

मेरे जिले में एक सिविल सर्जन हैं। उनके बारे में माननीय मंत्री जी को जानकारी होगी क्योंकि उनकी बहुत सी शिकायतें उनके पास आयी हैं। कत्ल के मामले में मुलजिमान से विशेष धन लेकर वे उनकी इच्छा के मुताबिक रिपोर्ट लिख देते हैं जिसके कारण कत्ल बढ़ते जाते हैं।

श्री चन्द्रबलीसिंह—

उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमती राजेन्द्र किशोरी जी ने यहां भाषण दिया था और उसके बाद ही वे शर्मा जी को सलामी देने चली गयीं। इस तरह से सदन में किसी की तारीफ करना बहुत गलत है।

श्री उपाध्यक्ष—

ऐसी छोटी बातों को बिला वजह माइंड नहीं करना चाहिये।

(व्यवधान)

माननीय चन्द्रबली सिंह जी, आप सीधे बात न कीजिये। श्री हरी सिंह जी, आप शान्त रहें।

श्री चन्द्रबलीसिंह--

सरकारी कर्मचारियों को उन्होंने गुलाम बना रखा है।

श्री मतोलासिंह--

सरकार से मेरा अनुरोध है कि बांदा के सिविल सर्जन को अविलम्ब वहां से हटाने का वह प्रबन्ध करे। वे कत्ल के मामले में रिश्वतें लेते हैं और मुल्जिम जो कुछ कहता है वही लिख देते हैं। बांदा में अर्तरा नाम का एक बड़ा कस्बा है जिसकी आबादी ३० हजार से ज्यादा है। वहां पर ५-६ माह से कोई डाक्टर नहीं है। मैंने सरकार से कहा भी था लेकिन अभी तक वहां कोई डाक्टर नहीं भेजा गया है। मैं फिर सरकार से चाहूंगा कि वह जल्द से जल्द वहां डाक्टर भेजने का प्रबन्ध करे। मानिकपुर में चार साल से कोई डाक्टर नहीं है। एक मामूली कंपाउन्डर है और वहां गरीबों की संख्या ज्यादा है। लेकिन उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। न उनका कोई इलाज ही वहां होता है। इसी प्रकार कालिंजर में अस्पताल खुल गया है, लेकिन वहां कोई डाक्टर नहीं है। इसके अलावा हमारी सरकार ने देशी दवाओं का कोई इंतजाम नहीं किया। अगर यह काम सरकार कर दे तो बड़ा उपकार हो सकता है।

एक आप का आयुर्वेदिक कालेज है। उसमें रोज झगड़ा होता रहता है। अगर सरकार उचित समझे तो उसके लिये एक कमेटी बना दे जो देख ले कि वहां के विद्यार्थियों की मांगे उचित हैं अथवा नहीं। मैं समझता हूं कि उनकी मांगें उचित हैं और सरकार को उन को मान लेना चाहिये।

इसी प्रकार होली के मौसम में टेसू के फूल के रंग का प्रयोग होना चाहिये। टेसू के फूल से चेचक रुकती है और फोड़ा फुंसी नहीं होती। इसके अलावा दूसरी तरह की बीमारियां भी नष्ट होती हैं। इसलिये दूसरे गंदे रंगों पर सरकार को प्रतिबन्ध लगाना चाहिये और टेसू के रंग का प्रयोग कराना चाहिये।

*श्री दीनदयाल करबरिया (जिला बांदा)--

उपाध्यक्ष महोदय, यह अनुदान एक महत्व का विषय है। आज की स्थिति यह है कि नयी नयी बीमारियां पैदा होती चली जाती हैं और उसके लिये नयी- नयी दवाईयों की खोज होती रहती है। आज दूध में मिलावट के लिये ५०० से १००० रुपये तक जुर्माना होता है, लेकिन हाल यह है कि मिलावट सभी चीजों में चालू हो गयी है। इसके लिये मेरा सुझाव है कि सरकार को कम से कम डालडा तो बिलकुल बंद करा देना चाहिये और मंत्री जी भी मेरी इस बात से इत्तिफाक करते हैं इसलिये कि स्टैंडिंग कमेटी में मैंने उनसे इस बारे में बात की थी।

इसके अलावा हमारी बीमारियां दांत से शुरू होती हैं। अगर हमारे दांत खराब हैं तो जो खाना हम खाते हैं उनका जहर खाने के साथ हमारे पेट में चला जाता है और उससे तरह तरह के रोग पैदा होते हैं। इसके लिये सरकार को दांतों के अस्पताल और डाक्टरों पर विशेष ध्यान देना चाहिये। अगर दांत और हमारा पेट साफ रहे तो बहुत सी बीमारियां हमसे दूर रह सकती हैं। इसके बाद हमको टब में स्नान करने की आदत डालनी चाहिये। इससे भी हम स्वस्थ्य रह सकते हैं।

आप देखें कि आज परिवार नियोजन की हवा है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप के माध्यम से सदन से कहूंगा कि माननीय सदस्य पहले समझें कि यह परिवार नियोजन क्या है। ९०, ८० और ७० साल के नौजवान की आप नसबन्दी करके परिवार नियोजन करना चाहते हैं। महाभारत के समय १८ अक्षोहणी सेना हमारी मैदान में उतरी थी। आज चीन और पाकिस्तान

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

का खतरा हमारे सिर पर है । हमको अपने बचाव के लिये अधिक संतति उत्पन्न करना चाहिये । इसलिये जो हमारी आयुर्वेदिक पद्धति है उसी पर आ जाइये । हमको बन्दूकें विदेशों से नहीं मिलीं । अमरीका ने राशन देना बन्द कर दिया । इसलिये हमको अपने पैरों पर खड़ा होना होगा और हमें विदेशी चीजों का आयात करने की जरूरत नहीं है । हमें स्वतंत्र रहना है तो डिमाक्रेसी में अपनी आस्था बनाये रखनी है। दो भाइयों को देखो, दो भाई हैं हकीकी एक शाह नामवर है एक फिर रहा गदा है ।" तो ऐसा विरोधाभास समाज में नहीं होना चाहिये । सबके साथ समानता का बर्ताव होना चाहिये। साथ ही हमारे भाइयों को धोती पहिनने वालों की निन्दा नहीं करनी चाहिये । बल्कि मैं तो कहूंगा कि इनको टाई, कालर भी नहीं लगाना चाहिये और अपनी पद्धति को अगर उठाना है तो अपनी संस्कृति का उत्थान करना होगा। (लाल बत्ती होने पर) लाल बत्ती हो गयी है, जल्दी जल्दी कह डालूंगा । अब मैं अपने क्षेत्र के बारे में कहूंगा कि चित्रकूट एक बहुत बड़ा स्थान है । वहां प्रथम श्रेणी का अस्पताल होना चाहिये । उन्होंने वादा किया है । मैं आशा करता हूं कि वहां प्रथम श्रेणी का अस्पताल कर देंगे । उससे २० गांवों को फायदा हो जायगा । चित्रकूट में विन्ध्याचल पर्वतीय श्रेणियां हैं, वहां जड़ी बूटियां हैं. . . . . .

श्री हरीसिंह (जिला मेरठ)—

श्रीमान्, समझ में कुछ नहीं आ रहा है कि क्या कह रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

आपका समय समाप्त हो गया । श्री चन्द्रबलीसिंह (व्यवधान)

श्री उग्रसेन—

श्रीमन्, आपको तो अधिकार है, १५ मिनट के लिये । उसको इस्तेमाल कर सकते हैं । उनका १ घंटे का प्रस्ताव आ गया है ।

श्री उपाध्यक्ष—

उसको मूव तो करें ठीक तरीके से । १० आदमी बोलना चाहते हैं । पांडेय जी मेरे पास आये तो मैं ५ मिनट के लिये राजी हो गया, मैं कमलासिंह जी को ५ मिनट दे सकता हूं ।

श्री उग्रसेन—

दो मिनट हमको दीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष—

जितनी पार्टियां हैं सब में झगड़ा पड़ेगा ।

(कई सदस्य विरोधी पक्ष में खड़े होकर १५ मिनट का समय बढ़ाने की मांग करने लगे)

श्री उपाध्यक्ष—

अच्छा, मैं १५ मिनट का समय बढ़ाता हूं, मगर यह मेरे ऊपर रहेगा कि मैं किसको बोलने के लिये पुकारूं । सब पार्टियों के लोगों को मैं नहीं बुला सकता ।

*श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, कटौती का प्रस्ताव जो माननीय चन्द्रबलीसिंह जी ने पेश किया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । श्रीमन, जब माननीय मंत्री जी भाषण कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि एमरजेन्सी की वजह से हम इस काम के लिये अधिक रुपया नहीं रख पाये हैं और कुछ योजनाओं को हमें कम करना पड़ा है । मान्यवर, एप्रोप्रियेशन एकाउन्ट्स

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री कमलासिंह यादव]

में देखिये। १९६१-६२ में चिकित्सा की मद में ५ करोड़ ५६ लाख रुपया रखा गया था, इसमें से १७ लाख ६५ हजार रुपये की बचत हुई। इसी वर्ष जन स्वास्थ्य में ५ करोड़ ८८ लाख के बजट में से १ लाख ५२ हजार की बचत हुई। १९६२-६३ में करीब ५ करोड़ ९५ लाख का बजट था और उसमें से २५ लाख ५२ हजार की सेविंग हुई। जनस्वास्थ्य में ६ करोड़ २३ लाख का बजट था, जिसमें से १२ लाख ५६ हजार की बचत हुई। १९६३-६४ में ६ करोड़ ५२ लाख का बजट था, इसमें से १ लाख ३८ हजार की बचत हुई। जनस्वास्थ्य में ५ करोड़ ९१ लाख का बजट था, उसमें से ८९ लाख की बचत हुई। मुझे तो बड़ा आश्चर्य है कि जितना रुपया यह सदन स्वीकार करता है उतना भी यह विभाग खर्च नहीं कर पाता। एक तरफ तो आदमी मर रहा हो, मरीज को दवा न मिले, दूसरी तरफ इतने रुपये की सेविंग हो, यह देखने की चीज है, श्रीमन्। अस्पतालों में कहा जाता है दवा बाजार से ले आओ। उधर लाखों रुपये बच जाते हैं। फिर जो रुपया बचता है वह भी समय से सरेन्डर नहीं होता। नतीजा यह होता है कि उस रुपये का दुरुपयोग होता है।

मैं माननीय मंत्री जी से कहता हूं कि वह उत्तर प्रदेश की जो १९६३-६४ की आर्थिक समीक्षा है उसको उसके पृष्ट ३५ पर देखें। १९६३ में डाक्टरों की संख्या ८ हजार थी, यह बढ़ कर ९,०१० हो गयी। यह जो आपकी संख्या है यह बहुत ज्यादा है। फिर यह कहना कि डाक्टर नहीं मिल रहे हैं, यह आपकी भूल है। इसलिये मैं कहूंगा पृष्ठ ३५ में और उसके ऊपर एक कान्ट्री ब्यूटरी पार्ट अवश्य है उसमें १९६१ में १८१९ की संख्या थी और १९६४ में २०२९ हुई। इस तरह से मैं माननीय मंत्री से कहना चाहता हूं कि धन का आप दुरूपयोग कर रहे हैं। उचित ढंग से रुपया खर्च होना चाहिये, वह नहीं हो रहा है। आज प्रदेश को पश्चिमी, पहाड़ी, मध्यवर्ती, दक्षिणी तथा पूर्वी इन पांच क्षेत्रों में बांटा गया है। पश्चिम क्षेत्र में नगरों की आबादी १७ परसैन्ट है, मध्यवर्ती में नगरों की आबादी १७.८८ परसेन्ट है और पूर्वी क्षेत्र में ७.५ परसेन्ट लोग नगरों में रहते हैं। इस तरीके पर मैं देख रहा हूं कि जितना रुपया खर्च हो रहा है वह सब नगरों में हो रहा है। देहातों नहीं हो रहा है। उसका नतीजा यह है कि ९९ परसैन्ट आदमी नेगलेक्ट हो रहे हैं जिनका रुपया कर के रूप में आता है। भविष्य में हम लोग सुनना नहीं चाहते कि रूरल एरियाज में डिस्पैन्सरीज डाक्टरों से खाली हों। १९५५ में गाजीपुर में एक लेडी अस्पताल बनाया गया। आज तक वहां जगह खाली है। कोई डाक्टर वहां नहीं भेजा गया। मैं चाहूंगा कि इस तरीके की व्यवस्था खत्म हो। जो शहरों के अस्पताल हैं इनमें डाक्टरों की भीड़ है और वहां १५ और बीस बीस साल से डाक्टर पड़े हैं। माननीय मंत्री ने कोशिश नहीं की कि जितने डाक्टर्स का अप्वाईन्टमैन्ट हो उनको रूरल एरियाज में भेजें। अगर वे रूरल एरियाज में जावेंगे तो इनका फायदा होगा। सरकार कोशिश करेगी कि जो इनके आदमी हैं वे रूरल में न जांय, मैं यह लांछन नहीं लगाना चाहता लेकिन मैं चाहता हूं कि जितने डाक्टर्स हों अगर उन्हें बाध्य करें कि दो या तीन साल इनको रूरल एरियाज में सर्विस करनी होगी तो सारी समस्यायें दूर हो सकती हैं। इसके अलावा, बहुत से इन्स्ट्रमैन्ट्स, माईक्रास्कोप, वगैरह बेकार पड़े हुए हैं। माननीय मंत्री को चाहिये कि वे इनको ठीक कराये। हर जिले में टी० बी० क्लीनिक खोला गया लेकिन वहां जो सामान मिलना चाहिये वह नहीं मिल रहा है। नतीजा यह है कि वे गोलियां ही लोगों को बांट बांट कर भुलावा दिये जा रहे हैं और टी० बी० का मर्ज बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा अनसुना रोग जो हो जाता है वह मर्ज भी बढ़ता चला जा रहा है। वह विटामिन्स की कमी से होता है। इस किस्म की जो बीमारियां हैं उनकी तरफ आप ध्यान दें। पोस्टमार्टम के लिये मंत्री जी को चाहिये कि जो एक्सपीरियेन्स्ड डाक्टर्स हों उनको प्रोत्साहन देना चाहिये जिनकी नालेज अच्छी हो। डाक्टर्स की जानकारी न होने की वजह से पोस्टमार्टम के कैसेज बिगड़ते चले जा रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री केशरीप्रसाद पाण्डेय—

श्रीमन्, एक व्यवस्था का प्रश्न है। आपने अभी १५ मिनट का समय बढ़ाया है...

श्री उपाध्यक्ष—

सुन लीजिये। अभी माननीय मंत्री जी को भी जवाब देना है और माननीय चन्द्रबलीसिंह भी बोलेंगे।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

आपने आश्वासन दिया कि हर आदमी को तीन-तीन मिनट का समय दिया जायगा। आपने यह भी कहा कि यह मेरी इच्छा पर होगा मैं किसे कितना समय दूं।

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने यह कहा था कि यह मेरी इच्छा पर होगा कि मैं किस-किस को बुलाऊं।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

पन्द्रह मिनट का टाईम आपने इसलिये बढ़ाया कि कुछ लोग जो बोलना चाहते हों, वे बोल सकें।

श्री उपाध्यक्ष—

पांडेय जी, माफ कीजिये। अब समय नहीं है। आप कृपया बैठ जावें।

(श्री केशरीप्रसाद पांडेय ने स्थान ग्रहण किया।)

श्री सुखदेवप्रसाद (जिला गोंडा)—

हम केवल २ मिनट लेंगे। हमारे दल के केवल २ सदस्य बोले हैं।

श्री उग्रसेन—

आप चाहते हैं कि सदन में गड़बड़ी हो। गड़बड़ी तो होगी। रोका नहीं जा सकता है।

श्री उपाध्यक्ष—

यह नहीं हो सकता है। माननीय चन्द्रबलीसिंह।

श्री भगवानदास यादवेन्दु—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। पहले आपको व्यवस्था का प्रश्न सुनकर उस पर व्यवस्था देनी चाहिये। आप स्वयं चिल्लावेंगे तो कैसे सदन का काम चलेगा?

श्री उपाध्यक्ष—

सदन सवा पांच बजे तक ही चलेगा। माननीय चन्द्रबलीसिंह।

श्री भगवानदास यादवेन्दु—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब आपने १५ मिनट समय बढ़ाया है तो उसे कैसे इस्तेमाल करेंगे? आप इन लोगों को बोलने का समय दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय चन्द्रबलीसिंह।

श्री चन्द्रबलीसिंह—

पहले आप व्यवस्था के प्रश्न पर तो अपनी व्यवस्था दें, तभी मैं उत्तर दे सकता हूं।

श्री सुखदेवप्रसाद—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। आपने जनसंघ के केवल २ सदस्यों को ही अवसर दिया है जबकि और दलों के ४, ४ और ५, ५ आदमी बोले हैं। १५ मिनट तो आपने इस झगड़े में ही ले लिये हैं। मैं केवल २ मिनट चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

आप कृपया बैठ जावें।

श्री झारखण्डेराय (जिला आजमगढ़)—

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। आपने कृपाकर हमारे आग्रह पर सदन का समय १५ मिनट के लिये बढ़ाया। हम लोग खयाल करते थे कि ५, ५ मिनट करके ३ आदमी बोलेंगे, कमलासिंहजी, उग्रसेन जी और ऊदल जी। आपने केवल कमलासिंह जी को ही मौका दिया। यह आपकी कुव्यवस्था है कि आप औरों को अवसर नहीं दे रहे हैं और चन्द्रबलीसिंह जी को आपने पुकार लिया। इसने समय में तो २ आदमी बोल भी लेते।

श्री उपाध्यक्ष—

यह तो आपके अख्तियार की बात है। आप ही तो हल्ला गुल्ला मचाते हैं।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

१५ मिनट का समय और बढ़ा दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष—

यह तो आप हर वक्त कह देंगे। १५ मिनट का समय बढ़ा ही दिया गया है। अब आप कृपा करके बैठ जांय।

श्री सुखदेवप्रसाद—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आधा घंटा और बढ़ा दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठ जाइये।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

इस प्रस्ताव पर आपको मत तो लेना ही होगा।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि सदन का समय आधा घंटा बढ़ा दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री सुखदेवप्रसाद—

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे दल के सबसे अधिक सदस्य हैं और उनमें से केवल २ सदस्यों को ही बोलने का मौका दिया गया है जब कि कम संख्या वाले दलों के ३–३, ४–४ सदस्य बोल चुके हैं। आपकी इस व्यवस्था के विरोध में मैं सदन का त्याग करता हूं।

(श्री सुखदेवप्रसाद सदन छोड़ कर चले गये।)

श्री चन्द्रबलीसिंह—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले आयुर्वेदिक प्रणाली में प्रशिक्षण पाने वालों के बारे में कहना चाहता हूं। इम्तिहान में उनके साथ कत्ले आम किया जाता है। किसी भी विषय में

१० फीसदी लड़के ही फेल होने चाहिये जब कि इसमें ३ फीसदी लड़के पास होते हैं। यह इम्तिहान नहीं कत्ले आम है। दूसरी तरफ सरकार कहती है वह आयुर्वेद प्रणाली को पनपाना चाहती है। मैं अर्ज करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा १० फीसदी लड़के फेल हों, इस प्रकार से इम्तिहान होना चाहिये। तब ही हमें अधिक से अधिक डाक्टर चिकित्सा के लिये मिल सकेंगे।

इसके साथ ही साथ गांवों में दवाओं को सुलभ करने के लिये दूसरे विभागों का रुपया काट कर या प्रशासन के खर्चे को काट कर गरीब लोगों को फ्री दवा की व्यवस्था करना चाहिये। आप चाहें तो इस प्रकार की सीमा बांध दीजिये कि ३०० रुपया से ज्यादा पाने वालों को फ्री दवा नहीं दी जायगी। इस तरह से आप गरीबों को अधिक दवा दे सकेंगे। इसके साथ ही साथ होमियोपैथी दवाओं की व्यवस्था भी की जानी चाहिये।

गांवों में औरतों के पाखाने की व्यवस्था भी होनी चाहिये। इसी से सबसे ज्यादा बीमारी फैलती है और सास बहू में झगड़े होने का मुख्य कारण भी यही होता है। क्योंकि मायके में तो घर के बाहर चली जाती है लेकिन सुसराल में जा नहीं सकती। घर के अन्दर पाखाने के कारण लड़ाई होती है। आयुर्वेद और तिब्बी डाक्टरों को आप ज्यादा से ज्यादा सुविधा दें। १०० रुपया से कम पाने वाले, मजदूरों और रिक्शा वाले आदि गरीब लोगों की बीबियों के बच्चा पैदा होने के समय कम से कम १ मास तक उनके पथ्य के लिये तथा मुफ्त दवा दिये जाने का कानून बनाया जाना चाहिये। तभी आम जनता का स्वास्थ्य सुधर सकता है। थोड़ा सा पैसा केवल शहरों में खर्च करने से काम नहीं चल सकता, आज सारा चिकित्सा का पैसा शहरों में खर्च हो रहा है और गांव के आदमी दवाओं से महरूम रह जाते हैं। आशा है कि मंत्री जी हमारे सुझावों को मानेंगे।

अभी बहुत सी आलोचनायें खास तौर से शर्मा जी के संबंध में सुनने को मिलीं। इधर और उधर से दोनों तरफ से उनके बारे में कहा गया, लेकिन जब उधर के लोग किसी अधिकारी की तारीफ करें तो इसके माने हैं कि वह अधिकारी बहुत भ्रष्ट है और उससे जाहिर हो जाता है कि वह सरकारी पक्ष का पक्षपात करते हैं और उधर के लोग उनका पक्षपात करते हैं। जब इधर के लोग किसी अधिकारी की तारीफ करें तो समझ लेना चाहिये कि वह अधिकारी कायदे कानून का आदमी है और जब दोनों पक्ष किसी की तारीफ करें तो समझना चाहिये कि वह सब से ज्यादा भ्रष्ट और निकम्मा, गया और गुजरा दलाल आदमी है वर्ना वह इस तरह की तारीफ पा ही नहीं सकता। मैंने तो अच्छी तरह से अब शर्मा जी को पहचाना है, उनसे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है और मैं नहीं जानता कि वह किस जाति के हैं, किस इलाके के हैं और न मैं इस बिना पर उनके संबंध में कह रहा हूं। उनकी तरक्की जुल्म करके हुई है इसलिये उनके समय में जुल्म बढ़ा हुआ है।

श्री भगवानदास यादवेन्दु—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं..... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठ जाइये, यह वह कह सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री चन्द्रबली सिंह—

अभी हमारे विजय सिंह जी ने कहा कि वह उपनिदेशक थे लेकिन अगर उपनिदेशक मां के पेट से पैदा होते हैं और फिर वह निदेशक बन जाय तो कोई बात नहीं है। नियुक्ति तो दोनों की होती है। अगर वह चापलूसी से बढ़ सकते तो कोई बात नहीं है। हमें अफसोस है कि शर्मा जी के अन्याय पर पर्दा डालने का प्रयत्न दोनों तरफ से हो रहा है। यदि जांच की जाय तो स्वास्थ्य विभाग में जो भ्रष्टाचार है उसका पता चल जावेगा। अभी मलेरिया विभाग

[श्री चन्द्रबली सिंह]

के लोग घूस न देने पर निकाले गये हैं और घूस उसमें ऊपर तक के लोगों तक पहुंची है। जिस ने घूस दे दिया उसको रोका गया है और जिसने घूस नहीं दिया उनको निकाला गया है। ऊपर के ऐसे अफसरों के चाल-चलन की कोई परवाह नहीं की जाती है। मैं दर्जनों मिसालें दे सकता हूं जिन में शर्मा जी का हाथ डूबा हुआ है।

श्री उग्रसेन—

केवल एक मिनट मुझे दे दें, एक ही बात कहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष—

अब समय नहीं है, अब मंत्री जी उत्तर देंगे।

श्री उग्रसेन—

सुन लीजिये, मुझे केवल यह कहना है कि कटौती का प्रस्ताव पेश करते हुये माननीय चन्द्रबली सिंह ने बहुत सी काम की बातें कही हैं लेकिन शर्मा जी के संबंध में जो कुछ उन्होंने कहा है वह उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है, वह संयुक्त सोशलिस्ट दल की राय नहीं है।

श्री चन्द्रबली सिंह—

यह संयुक्त सोशलिस्ट दल की राय है, चापलूसों की राय नहीं है।

श्री दाऊदयाल खन्ना—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय,.....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय उग्रसेन जी, आप शांत रहें।

श्री चन्द्रबली सिंह—

(दर्शक दीर्घाओं की ओर इशारा करते हुए) आप लोग नौकरों के चापलूस एम० एल० एज०, जो यहां पर बैठे हैं, देख लें।

श्री दाऊदयाल खन्ना—

मैं सभी माननीय सदस्यों का शुक्रगजार हूं जिन्होंने अपने भाषणों से लाभान्वित किया है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि उन्होंने जो सुझाव रखे हैं, और इस विभाग की जिन कमियों की ओर ध्यान दिलाया है, उन्हें हम लोगों ने नोट कर लिया है और हमारे जो अधिकारी हैं, उन्होंने भी नोट कर लिया है। जिन बातों की ओर उन्होंने हमारा ध्यान दिलाया है अगर हम ठीक कर सकते हैं, तो अवश्य करेंगे।

माननीय चन्द्रबली सिंह जी ने स्वास्थ्य विभाग की मांग पर कटमोशन पेश किया है। इस पर मतदान भी होगा। इस मांग का सम्बन्ध स्वास्थ्य विभाग से है और मुझे तो बड़ी आशा यह थी कि बहुत सी बातें स्वस्थ वातावरण में होंगी लेकिन उनकी इब्तदाई तकरीर जो हुयी उससे यह मालूम हुआ कि वे कुछ स्वस्थ वातावरण में नहीं सोच रहे थे और इधर और उधर की बातों में उनका मस्तिष्क घूम रहा था। इस तरह की यहां पर चर्चा होना कि नर्सेज इस कारण से नहीं आती हैं और व्यक्ति विशेष के नाम लेना अच्छा नहीं मालूम होता है। हर विभाग में हर प्रकार के आदमी होते हैं। हमारे सदन में ही कुछ माननीय सदस्य बहुत अच्छे होंगे पर कुछ में खराबियां भी होंगी। लेकिन इस तरह की बातें जो हम अपने छोटे-छोटे कर्मचारियों के बारे में कहते हैं, वे ठीक नहीं हैं। यहां पर हमारी लड़कियां और बहुएं आती हैं उनकी इज्जत के बारे में इस प्रकार कहना उचित प्रतीत नहीं होता है।

श्री चन्द्रबलीसिंह—

श्रीमन्, मैंने जो कहा है यह उनकी (नर्सेज की) इज्जत की रक्षा के लिए कहा है।

श्री दाऊदयाल खन्ना—

कमियां तो न मालूम किस-किस में कितनी कितनी होती हैं लेकिन जनरलाइज करने से कोई काम नहीं निकलता है।

यहां पर माननीय केशरी प्रसाद पांडेय जी ने कुछ सुझाव दिए हैं कि कुछ पेशेन्ट्स की मौतें हुयी, गलत दवा देने के कारण, मैंने उनकी जांच कराने के लिए आदेश दे रखे हैं। जांच हो रही है।

एक बात माननीय सदस्यों ने यहां पर कही, माननीय बसन्त सिंह जी ने कही, और माननीय चन्द्रबली सिंह जी ने कही, आयुर्वेदिक चिकित्सा और आयुर्वेदिक कालिजों के सम्बन्ध में। मैंने इसके सम्बन्ध में काफी तफसील में अपने भाषण में पहले भी कहा था और अब भी निवेदन कर दूं। उन्होंने कहा कि इन्टेग्रेटेड कोर्स के विद्यार्थियों को आप एम० बी०, बी० एस० के बराबर क्यों नहीं कर देते हैं जब कि यह दूसरे प्रदेशों में भी माना जा रहा है। मैं आप से कहता हूं कि यह चीज गलत है। कहीं भी ऐसा नहीं होता है कि किसी प्रदेश में कंडेन्स्ड कोर्स के बाद एम० बी०, बी० एस० के बराबर मान लिया गया हो। ऐसी गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए और यही बात मैंने कही थी कि जो विद्यार्थी आयुर्वेद कालेज के हैं उनको हमें समझाना चाहिए न कि यह कि एक बात वह कहें और उससे आगे बढ़ कर ४ बात हम कर दें। उससे इन्हीं का नुकसान होगा।

श्री बसन्तसिंह—

मैंने कहा था कि आयुर्वेद के स्नातकों को एम० बी०, बी० एस० के स्नातकों के बराबर अगर आप कर दें तो फिर झगड़ा खत्म हो जायगा। दूसरे प्रान्तों में है या नहीं, मुझे मालूम नहीं। दोनों पद्धतियां समान स्तर पर लायी जायं। यही मैं चाहता हूं।

श्री दाऊदयाल खन्ना—

बहरहाल, मैंने यही सुना था जो मैं कह रहा हूं। दूसरी बात आपने यह कही कि ८० फीसदी उनको पढ़ाई एलोपैथी की होती है। यह भी बिल्कुल ठीक नहीं है।

श्री बसन्तसिंह—

मैंने यह कहा था कि जितनी ऐलोपैथी एम० बी०, बी० एस० में पढ़ाई जाती है उसकी ८० परसेंट आयुर्वेद मिश्रित में पढ़ाई जाती है।

श्री दाऊदयाल खन्ना—

इंटीग्रेटेड कोर्स जो लड़के पढ़ते हैं उसमें ८४० लेक्चर्स आयुर्वेदिक सिस्टम के होते हैं और कुल ४३५ एलोपैथी के होते हैं तो आयुर्वेद ही प्रधान रहा। तो जो भ्रम है उसको दूर करना चाहिये और लड़कों को समझाना चाहिये कि वे अपनी स्ट्राइक बन्द करें और हम कालेज खोलें ताकि उनकी पढ़ाई हो, इम्तिहान हो। जैसा मैंने पहले कहा, स्टेट आयुर्वेदिक कालेज के जितने लड़के निकलेंगे उनको हम अपने प्रदेश की सर्विस में लेंगे ही और उनका वेतन क्रम उससे ज्यादा है जो आल इंडिया मेडिकल काउन्सिल ने सिपारिश की है। ऐसी हालत में मैं समझता हूं कि सिर्फ यहां कह देने से काम नहीं चलेगा बल्कि उन लड़कों को समझाना चाहिये ताकि उनका नुकसान न हो।

माननीय चन्द्रबली सिंह जी ने फरमाया कि फैमिली प्लानिंग के सिलसिले में लूप विधि को ज्यादा तरजीह दी जाय। यह बिलकुल उनकी सही राय है और अपने प्रदेश में उसके लिये हम कारखाना खोल रहे हैं जो लूप्स को ही बनायेगा। जुलाई, १९६५ से जनवरी, १९६६ त २६,८६८ ने लूप विधि को अपनाया है और हमारे प्रदेश में ४०० के करीब लेडी डाक्टर्स को ट्रेड

[श्री दाऊदयाल खन्ना]

कर दिया गया है जो लूप विधि स्त्रियों को बताती हैं जो उनके पास आती हैं। तो इस पर ज्यादा जोर देंगे, लेकिन और चीजें भी चलेंगी। यह ६ महीने के अन्दर इतनी प्रगति हुई है।

माननीय चन्द्रबली सिंह ने यह कहा कि अगर इधर के आदमी कोई बात कहें तो समझ लो कि वह ठीक नहीं है, और अगर उधर के कहें तो ठीक है। तो आप स्वयं गौर कर लीजिये। जिस व्यक्ति के मुताल्लिक आपने कुछ कहा काफी तेजी के साथ तो ऐसी हालत में किसी व्यक्ति विशेष को यहां बहस में नहीं लाना चाहिये। वह सुपरसीड करके डायरेक्टर बने और मुझे तो यही बताया गया कि उस समय के विरोधी दलों के जो नेता रहे हों, सभी ने सरकार से सिपारिश की थी कि इनको डायरेक्टर बना दीजिये यह बड़े अच्छे आदमी हैं। अब वह सही सिपारिश थी या गलत, मैं कुछ नहीं कहता। बहरहाल, कोई अच्छी प्रथा नहीं है कि अगर १० आदमी किसी बात को कह दें तो वह करी ही जाय। लेकिन ऐसा हुआ। हां, उनमें कोई खराबी हो, तो माननीय सदस्य बतायें। वे सरकार के अधिकारी हैं, अगर उनमें कोई कमी होगी तो सरकार उसको देखेगी और उसको दूर करेगी।

श्री दीनदयाल जी ने एक बात की चर्चा की और उसे श्री चन्द्रबली सिंह ने भी फरमाई कि इंगलैण्ड के अन्दर दांत मुफ्त मिलते हैं। हमारे देश के अन्दर चाहे हम कितने ही गरीब हों और तरह-तरह की बीमारियों से हम घिरे रहते हैं लेकिन एक बात अपनी जगह सही है और अगर आप गौर करेंगे तो सही पावेंगे कि इंगलैण्ड के अन्दर दांतों की बीमारी बहुत ज्यादा है और हमारे देश में बहुत कम है। वहां पर ४० से ५० वर्ष के बाद कोई आदमी शायद ही नजर आये जिसके दांत फर्जी न हों लेकिन यह बात यहां नहीं है। यह बात दवाई से ताल्लुक नहीं रखती है। हम लोग जो खाना खाते हैं अपने देश के अन्दर वह काफी सख्त खाना होता है। चना खाते हैं और गन्ना चूसते हैं लेकिन जिन देशों के अन्दर मुलायम खाने की आदत पड़ गयी है वहां दांत खराब होने लगे हैं। बजाय इसके कि यह मांग की जाय कि मुफ्त दांत दिये जायं बेहतर यह होगा कि यह प्रचार किया जाय कि सब लोग खाने के अन्दर कोई न कोई सख्त चीज जरूर खाया करें और इस तरह से लोगों के दांत खराब नहीं होंगे।

श्री दीनदयाल ने एक बात डालडा के सम्बन्ध में कही। मैं डाक्टर नहीं हूं, कोई विशेषज्ञ नहीं हूं लेकिन मेरा भी यह खयाल है कि डालडा हमारे स्वास्थ्य को बहुत खराब कर रहा है और हाइपर टेंशन, हार्ट अटैक से इसका कुछ सम्बन्ध जरूर है। आज डाक्टर न कहें लेकिन १०, ५ वर्ष के बाद यह चीज आयेगी। उसका खास कारण यह है कि मूंगफली के तेल का डालडा बनता है और वह हाइड्रोजिनेट किये जाने के कारण एसिमिलेट नहीं हो पाता है। लेकिन गवर्नमेन्ट उसे कैसे बन्द कर दे? शराब नुक्सानदेह है, कभी फायदा नहीं पहुंचाती है। बहुत से उसे पीते हैं और बहुत से नहीं पीते हैं। लिहाजा हम यह प्रचार करें कि डालडा न खाओ, तेल खाओ क्योंकि तेल से कोई नुक्सान होने वाला नहीं है।

दीनदयाल जी ने फैमिली प्लानिंग के बारे में कहा कि लड़ाई में आदमियों की आवश्यकता होती है। फैमिली प्लानिंग करने से हमारा यह मंशा है कि चार बच्चे पैदा हों और वह स्वस्थ हों। अगर दर्जनभर होंगे, कमजोर होंगे तो वे बेकार होंगे और देश की हिफाजत नहीं करेंगे। इसलिये यह चीज रखी गयी है कि जो गरीब तबका है, मजदूर तबका है जिनके साधन अच्छे नहीं हैं उनके अन्दर खास तौर से उसका प्रचार हो। पढ़े-लिखे और अमीर लोग तो खुद इन बातों की ओर ध्यान देते ही हैं।

इस बात की तरफ भी ध्यान दिलाया गया कि डाक्टर पैसा लेते हैं, दवाई बेचते हैं। मैं नहीं कहता कि हमारे प्रदेश के अन्दर जितने डाक्टर हैं पैसा नहीं लेते। लेते होंगे, लेकिन हमारी दिक्कतें हैं। दवाई दी और अस्पताल में बेच दी। मैं यह अर्ज करूंगा कि वह खुल कर न आयें नाराजगी का डर हो अथवा और कोई बात हो, हमको खामोशी से बतला दें अमुक शख्स के पास दवा मौजूद है। अपना कर्मचारी भेज देंगे जो दवा पकड़े। मैं विश्वास दिलाता हूं जिस वक्त वह फरमा देंगे दो घंटे के अन्दर रेड करवा दिया जायगा, जांच करा ली जायगी।

यह कहना ठीक नहीं है कि बहुत से ऐसा करते हैं। जो डाक्टर गलत काम करते हैं उनकी हम जांच करायेंगे। डेमोक्रेसी में एक तरीका होता है, तानाशाही नहीं है कि किसी ने कहा और फौरन कत्ले आम करवा दिया। कहीं कोई खामी नजर आये तो हमको बतला दे। हम उस की जांच करायेंगे और दोषी को सजा दिलायेंगे। इन शब्दों के साथ मैं विश्वास दिलाता हूं कि हम हत्तुलइमकान कोशिश करेंगे और सदन इस अनुदान को पास करेगा।

श्री उग्रसेन---

मैं एक बात नोटिस में लाना चाहता हूं। मेरे यहां जिला परिषद् के अध्यक्ष ने आंख के अस्पताल की दुकानें बनवा दीं। २९ बैठों को निकाल दिया और उनकी दुकानों को नीलाम करवा दिया।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या १८ के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना एवं सुझाव देना।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १८-चिकित्सा---के अन्तर्गत १०,०८,८८,८०० रुपये की मांग वर्ष १९६६-६७ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या १९ के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना एवं सुझाव देना।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १९-सार्वजनिक स्वास्थ्य के अन्तर्गत ९,९३,३९,४०० रुपये की मांग वर्ष १९६६-६७ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष---

अब हम उठते हैं और कल ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजकर १३ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ:
१५ मार्च, १९६६।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६०६ पर)

क्रम-सं०	फिएट कार परमिट दिये जाने वालों के नाम	प्रार्थना की तिथि
१	श्री के० सी० टन्डन, अधीक्षक, जिला परिषद् फर्रुखाबाद ..	१२-१२-१९६३
२	श्री चतुर्भूज शर्मा, मंत्री, स्वायत्त शासन	दिसम्बर १९६४
३	श्री राधाकृष्ण, अध्यक्ष, लोक सेवा आयोग	९-६-१९६४
४	श्री मसुदुल हसन, संयुक्त सचिव, परिवहन	२८-८-१९६४
५	डा० डी० पी० टंडन, मेडिकल कालेज, लखनऊ	२-५-१९६३
६	श्री हुकुम सिंह चिसेन, मंत्री राजस्व	२-१२-१९६४
७	श्रीमती साधना मेहरोत्रा, लखनऊ	२-९-१९६३
८	श्री मान सिंह, गन्ना निरीक्षक	३१-१-१९६५
९	बेगम ऐजाज रसूल, सदस्या, विधान परिषद्	२६-११-१९६२
१०	श्री जे० के० टंडन, प्रेसीडेन्ट इन्डस्ट्रियल, ट्रीब्यूनल, ..	२२-४-१९६३
११	कु० असरफ अली खान, सदस्या, विधान सभा	३१-१२-१९६३
१२	श्री के० सी० पुरी, सचिव, विधायिका विभाग	१-१-१९६५
१३	श्री बी० मुकर्जी रिटायर्ड हाई कोर्ट जज	३-८-१९६२
१४	श्री श्रीराम एडवोकेट, इलाहाबाद	२८-९-१९६४
१५	श्री भानु प्रताप सिंह, सदस्य, विधान सभा	१५-४-१९६४
१६	श्री जी० मुकर्जी, आई० ए० एस०	४-१-१९६५
१७	श्री उमाशंकर, सचिव, श्रम तथा चिकित्सा	१४-१-१९६४
१८	श्री प्रेम प्रकाश, डी० एल० आर०	२३-९-१९६४
१९	डाक्टर एम० यू० खान, मेडिकल कालेज, लखनऊ	११-११-१९६३
२०	श्री गुर सरन लाल श्रीवास्तव, जिला जज, लखनऊ ..	३०-६-१९६४
२१	श्री आर० पी० भार्गव, सदस्य (वरिष्ठ) राजस्व परिषद् ..	१-१-१९६५
२२	श्रीमती रानी टंडन, सदस्या, विधान परिषद्	२-५-१९६४
२३	श्री पी० के० कौल, आई० ए० एस०	३-३-१९६४
२४	श्री ए० बी० मलिक, निर्देशक, उद्योग	११-१०-१९६३
२५	श्री पी० एन० कपूर, सचिव, उत्तर प्रदेश	७-४-१९६४
२६	श्री एच० ए० सिद्दीकी, सदस्य, लोक सेवा आयोग ..	३-३-१९६४
२७	श्री जस्टिस एम० सी० देसाई, हाई कोर्ट	४-९-१९६३
२८	डाक्टर ए० एच० खान, सिविल सर्जन, इलाहाबाद ..	७-१२-१९६३
२९	श्री जिया राम, विजिलेन्स डाइरेक्टर	१५-७-१९६४

क्रम-सं०	फिएट कार परमिट दिये जाने वालों के नाम	प्रार्थना की तिथि
३०	श्री आर० के० कौल, उप सचिव	२८–१२–१९६४
३१	श्री सुरेन्द्र विक्रम, सदस्य, विधान सभा	२१–११–१९६४
३२	प्रो० आर० बी० दास, पब्लिक एडमिस्ट्रेशन, लखनऊ विश्वविद्यालय	१०–३–१९६५
३३	श्री आनन्द स्वरूप, उप विकास आयुक्त	२३–८–१९६३
३४	श्री मिठ्ठन लाल, प्रिजाइडिंग आफिसर, इन्डस्ट्रिल ट्रिब्यूनल, ..	२१–१–१९६५
३५	श्रीमती बी० लाल	२८–२–१९६५
३६	श्रीमती चम्पावती, सदस्या, विधान सभा	१४–३–१९६४
३७	श्री महेश प्रसाद, आई० ए० एस०	५–२–१९६५
३८	श्री जे० एम० लाल, संयुक्त विधि परामर्शी	२२–५–१९६४
३९	श्री बी० एस० सेठ, परिवहन आयुक्त	१२–३–१९६५
४०	श्री प्रेम मोहन, सुप्रिन्टेंडिंग इन्जीनियर, पी० डब्लू० डी० ..	२४–४–१९६४
४१	श्री अश्विनी कुमार, सचिव, उत्तर प्रदेश	२०–११–१९६४
४२	श्री हीरा लाल, गाजियाबाद	९–४–१९६५
४३	श्री राजेन्द्र पाल सिंह, सदस्य, विधान परिषद्	१८–१–१९६५
४४	श्री राम लखन, सदस्य, विधान परिषद्	२६–४–१९६५
४५	श्रीमती सोनी सहाय, द्वारा श्री भगवान सहाय, सदस्य ..	२१–८–१९६५
४६	श्रीमती बेगम साहब द्वारा श्री नियाज हुसैन, सदस्य, विधान सभा	सितम्बर, १९६५
४७	श्री यू० एन० पाठक, अध्यक्ष, जिला, परिषद्	६–४–१९६५
४८	डाक्टर के० डी० शर्मा, बलरामपुर हास्पिटल	२०–१–१९६५
४९	डाक्टर प्रेम नाथ	२–३–१९६५
५०	श्री ए० के० शर्मा, संयुक्त सचिव, उद्योग	१९–८–१९६४

विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न १० का उत्तर पीछे पृष्ठ ६१९ पर)

१२४-ए, ब्लाक दारुलशफा, लखनऊ
पत्रांक २५ (भू-दान)–६४–६५/ज०
दिनांक २६–७–६५।

प्रेषक,

राम किशोर त्रिपाठी, सदस्य, विधान सभा, उत्तर प्रदेश, अध्यक्ष जिला कृषक समाज, बाराबंकी।

सेवा में,

श्री हंस कुमार जी, अधीक्षक अभियन्ता, लखनऊ।

विषय––शारदा नहर लखनऊ डिवीजन की हैदरगढ़ तथा जौनपुर शाखा के १८ मील ५ फर्लांग पर नहर पार करने हेतु पुल की व्यवस्था।

महोदय,

इस पत्र द्वारा आपका ध्यान लखनऊ डिवीजन की हैदरगढ़ तथा जौनपुर नहर के १८ मील ५ फर्लांग पर नहर पार करने हेतु एक छोटे पुल के निर्माण की ओर दिलाना चाहता हूं।

हसवापुर के बाबा परमेश्वर दास की कुटी पर प्रत्येक मंगलवार को श्री खिलाड़ी दास की समाधि पर मेला लगता है। हजारों की संख्या में नर, नारी दर्शनार्थ जाते हैं। इसी स्थान पर श्री खिलाड़ी दास विद्यापीठ की स्थापना की गई है जहां पर १०वीं कक्षा तक बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं जिसे शिक्षा विभाग से मान्यता भी मिल चुकी है। इसी स्थान पर पशुपालन विभाग की ओर से पशु-चिकित्सालय एवं दुग्ध-उत्पादन केन्द्र की स्थापना हुई है और लगभग ५६ हजार की लागत से भवन बनाया जा रहा है। किन्तु नहर की उत्तरी क्षेत्र की जनता को नहर के ऊपर की ओर पुल से घूम कर लगभग २ मील चक्कर काटना पड़ता है और नीचे की ओर भी २ मील घूम कर उक्त स्थान पर पहुंचना पड़ता है जबकि १८ मील ५ फर्लांग पर एक छोटा पुल बनवाने से केवल ३ फर्लांग ही चलना पड़ता है, ऐसी व्यवस्था न होने से छोटे-छोटे बच्चों तथा अन्य ग्रामीण जनता को कष्ट होता है।

अतः इस पत्र द्वारा निवेदन है कि उक्त नहर के १८ मील ५ फर्लांग पर एक छोटा सा पुल बनाने का व्यवस्था करने की कृपा करें।

भवदीय,
रामकिशोर त्रिपाठी,
एम० एल० ए०।

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६२७ पर)

ग्रामों के नामों की सूची

१—ओंग

२—मउहर

३—जहानाबाद

४—बिन्दकी रोड

५—देउमाई

६—[illegible]

७—बिलन्दा

८—हसवा

९—थरिआंव

१०—राजापुर

सत्यमेव जयते

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६२८ पर)

क्रम-सं०	परमिट पाने वाले का नाम	गाड़ी संख्या	कब तक
१	श्री मोहम्मद जमील खां, बस्ती	यू० पी० के० ६१८	२८–४–१९६६
२	प्रेसीडेन्ट, खैर इन्टर कालेज, बस्ती	यू० एस० जेड० ३१९	२०–५–६६
३	,, ,, ..	यू० पी० ए० ५४७६	२०–५–६६
४	,, ,, ..	यू० एस० जे० ८८३६	२८–६–६६
५	श्री राम नारायन दुबे, गोरखपुर	यू० एस० बी ५१७५३	२९–४–६६
६	श्री नन्द किशोर अग्रवाल, बस्ती	यू०एस०क्यू० १२१६	२६–४–६६
७	श्री नरेन्द्र सिंह, बस्ती ..	य०एस०पी० ५६७	३०–११–६७
८	श्री शिव चरित्र दुबे, आजमगढ़	यू०एस०एल० २७५४	२९–४–६६
९	श्री राम किन्कर उपाध्याय, गोरखपुर।	यू०पी०ए० ४३८८	२८–६–६६
१०	श्री नरोत्तम लाल, गोरखपुर ..	यू०एस०एल० ३१६७	२७–१२–६६
११	कु० फिजा हसन, लखनऊ ..	यू०एस०बी० १७६१	२–३–६७
१२	श्री रबीन्द्र सेन मंगल, मुजफ्फरनगर	यू०एस०पी० १०६२	१२–३–६७
१३	श्री संकटा प्रसाद, बस्ती ..	यू०एस०क्यू० ८२२३	५–६–६७
१४	श्री अब्दुल शकूर, गोरखपुर ..	यू०एस०बी० ३८९२	२७–१२–६५ नवीकरण के अन्तर्गत अस्थायी परमिट २६–४–६६ तक दिया गया है।
१५	श्री इनायत अली, गोंडा ..	यू०पी०जी० २०४	३–६–६८
१६	श्री कालीप्रसाद, गोंडा ..	यू०एस०बी० ३५२१	२९–१–६७
१७	श्री रामानुज पांडेय, गोरखपुर ..	यू०पी०ओ० ३६५	१५–१२–६६ ये परमिटें बस्ती दुधारा मेंहदावल, सहजनवा मार्ग के लिए स्वीकृत है।
१८	श्री श्रीकान्त लाल, गोरखपुर ..	य०एस०बी० ४११२	३–१–६६

नत्थी 'ङ'

(देखिय तारांकित प्रश्न ६० का उत्तर पीछे पृष्ठ ६३१ पर)

माह		बस गाड़ियों की संख्या जो चालू हालत में थीं	बस गाड़ियों की संख्या जो खराब हालत में थीं	कुल योग	खराब पड़े रहने का कारण
१		२	३	४	५
अगस्त, ६५	..	३६	३	३९	कालम ३ में दी हुई
सितम्बर, ६५	..	३४	५	३९	सभी गाड़ियां
अक्तूबर, ६५	..	३५	२	३७	सामान्य खराबी तथा
नवम्बर, ६५	..	३५	२	३७	बस का नवीनीकरण
दिसम्बर, ६५	..	३६	१	३७	एवं मेन्टीनेन्स हेतु
जनवरी, ६६	..	३२	६	३८	खराब थीं।

विधान सभा सचिवालय, पुदुचेरी

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० ११ एल० ए०—१९६६—८६२ ।